राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम सत्र का 43वां दिवस [संख्या 30

सोमवार

दिनांक 9 अप्रेल, 1979

विधानसभा की बैठक म. पू. 11.02 बजे विधानसभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री मूलचन्द डागा।

न्यू लाइट आर्ट वर्क्स, जोधपुर में श्रमिकों की हड़ताल

900. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 23 श्रमिकों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं नोटिस दिये तथा 20 प्रतिशत वेतन वृद्धि का जिक्र किये बगैर ही अचानक लघु उद्योग, न्यू लाइट आर्ट वर्क्स, जोधपुर में हड़ताल पर चले जाना तथा औद्योगिक विवाद को सरकार द्वारा लेबर कोर्ट में रेफर कर दिये जाने के पश्चात् भी हड़ताल आज दिन तक जारी रखना औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न्यायोचित एवं कानूनन गलत नहीं है ?

(2) यदि हां, तो 107 दिन से चल रही अनजस्टिफाइड तथा गैर कानूनी हड़ताल पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 20-3-79 को अचानक श्रमिकों द्वारा प्रबन्धक की पिटाई कर दी गई जिसकी सूचना श्रम मंत्री को तार तथा फोन पर दी गई ? यदि हाँ, तो क्या औद्योगिक शान्ति बनाये रखने हेतु श्रम मंत्री ने प्रबन्धकों को हड़ताल पर रोक लगाने का आश्वासन दिया ? यदि हां, तो फिर आज दिन तक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 (3) के अन्तर्गत हड़ताल पर रोक क्यों नहीं लगाई गई ?

श्रम मन्त्री (श्री केदारनाथ) : (1) श्रमिकों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं नोटिस दिए अचानक लघु उद्योग, न्यू लाइट आर्ट वर्क्स, जोधपुर में हड़ताल पर चले जाना औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कानूनन गलत नहीं है। विवाद को

(श्री केदारनाथ)
लेबर कोर्ट को रेफर करने के पश्चात् श्रमिकों द्वारा हड़ताल पर रहना औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न्यायोचित नहीं है।

(2) हड़ताल पर प्रतिबन्ध इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) यह सही है कि प्रबन्धक द्वारा 20-3-79 को प्रबन्धक की कथित पिटाई करने के बारे में फोन पर सूचना दी गई। यह सही नहीं है कि औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए श्रम मंत्री द्वारा प्रबन्धकों को हड़ताल पर रोक लगाने का कोई आश्वासन दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, जब श्रम मंत्री ने हड़ताल गैर कानूनी करार दे दी ..

श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : नहीं दी है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मंत्री महोदय ने इस हड़ताल को अनुचित माना है। आपने खुद ने अभी यहां पर स्टेटमेंट दिया है, उसमें आपने इस स्ट्राइक को अनुचित माना है। यह आपका बयान है। फिर आगे आपने यह बताया है कि वहां पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। आपने यह कहा है कि 20–3–79 और 2–4–79 को वहां पर हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। सरकार ऐसी हालत में एक ओर तो लेबर कोर्ट को रेफर करती है और सैक्शन 23, 24 को इनवोक नहीं करना चाहती है दूसरी ओर समझौते की कन्सीलिएशन प्रोसीडिंग्स चला रही है। एक बार समझौता वार्ता टूटने के बाद मामला लेबर ट्रिब्यूनल में चला गया है उसके बावजूद दो-चार महीने से यह कारखाना बंद है, वहां पर हड़ताल चल रही है, वहां पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, लोग कानून को हाथ में लेकर चल रहे हैं फिर भी जो भी दोषी हो उसको दंड नहीं दिया जाए तो मेहरबानी करके यह बताइये कि यह कहां तक उचित है ?

(व्यवधान)

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, यह दादागिरी नहीं चलेगी। हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाए उसके बाद दूसरा सप्लीमेन्ट्री होना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : I want answer. अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन का आन्सर नहीं आ रहा है। यह आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर के बाद दूसरा सप्लीमेंट्री किया जाए ?

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, इस हड़ताल को गैर कानूनी डिक्लेअर नहीं किया गया है। कोर्ट में इस डिस्प्यूट का रेफरेन्स 20-3-79 को किया गया है। सैक्शन 10(3) के तहत स्ट्राइक को प्रोहिबिट किया जाता है तो वह स्ट्राइक इल्लीगल मानी जाती है। इस सैक्शन को इनवोक नहीं किया गया है इसलिए हड़ताल को इल्लीगल नहीं माना गया है।

(श्री केदारनाथ)

दूसरी बात, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मजदूरों ने लेबर डिपार्टमेंट की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया है। कारखाने के मालिक को कहा है कि वह भी मध्यस्थता को मान ले और लिख कर दे दे किन्तु उसने आज तक यह लिख कर नहीं दिया है। इसलिए यह हड़ताल लम्बी हो गई है। मैं यह मानता हूं कि इसका निपटारा होना चाहिए। मैंने स्वयं ने मालिक को यह कहा है कि 2 पर्सेन्ट से ज्यादा एडहाक इन्क्रीज नहीं करेंगे। मजदूरों की मांग 20 पर्सेन्ट है। फिर भी हमने यह कहा है कि हम अपनी ओर से 2–3 पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मालिक खुद लिख कर नहीं दे रहा है और वह मध्यस्थता को नहीं मानता है इसलिये हड़ताल लम्बी चल रही है। यह तो उचित नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह उत्तर किस ने दिया है ? आप खुद कहते हैं कि इसको लेबर ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया है और कन्सीलिएशन प्रोसिडिंग भी चालू है तो इसको गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए या फिर यह दवाब की राजनीति है, जिसे कानून के द्वारा कानूनन बना दीजिए। यह सरकार क्या कानून और नियमों के आधार पर चलती है या दवाब के आधार पर ? सरकार क्या चाहती है ?

श्री केदारनाथ : सैक्शन 24 को पढ़कर सुना देता हूं। सैक्शन 24 के सब सैक्शन (2) में यह बताया गया है कि कब हड़ताल को इल्लीगल डिक्लेअर किया जाता है। किसी कारखाने में हड़ताल हो तो उसको इल्लीगल डिक्लेअर नहीं करेंगे जब तक सैक्शन 10(3) के तहत उसे प्रोहिबिट नहीं किया जाता है....

श्री मूलचन्द डागा : आपने यह मामला लेबर ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया है। किन कारणों से आपने यह मामला लेबर ट्रिब्यूनल को रेफर किया है ? आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। आपको यह मामला ट्रिब्यूनल को रेफर नहीं करना चाहिए।

श्री केदारनाथ : रेफर करने के बाद भी स्टेजेज होती हैं। समझौते का रास्ता भी अपनाना चाहिए। कारखाने में अशान्ति फैल रही है, ऐसी अशान्ति नहीं है....

श्री मूलचन्द डागा : आप को गोलमाल जवाब नहीं देना चाहिए। आप बताइये, लेबर कोर्ट में मामला क्यों दिया गया ? क्या कारण है ?

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मामला लेबर ट्रिब्यूनल को रेफर किया गया है और दूसरी तरफ स्ट्राइक चल रही है। यह दो बातें कैसे हो रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री नूरा।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह फैक्ट्री मालिक मिनिमम वेजेज एक्ट को नहीं मान रहा है ? कृपया पहले यह बतायें, मंत्री महोदय कि यह कारखाने वाला इसको मानता है या नहीं ? दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मालिक

(५)

(श्री नूरा)

ने कुछ गुंडे तैयार कर के मजदूरों को पिटवाया है। गलत मुकदमे कोर्ट में मजदूरों पर लगवाये हैं। ये गुंडे मजदूरों पर हमले करते हैं इससे असन्तोष फैल रहा है। मजदूरों की ओर से कोई अशान्ति नहीं फैलाई जा रही है....

श्री मूलचन्द डागा : आप मालिक को जेल में रखो।

श्री नूरा : मजदूरों का .ह कोई इल्लीगल काम नहीं है। कोई जुर्म नहीं किया है मजदूरों ने ?क्या मिनिमम वेजेज एक्ट को सारी फैक्ट्री वाले मानते हैं....

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष जी, मैं बताता हूँ। आज की स्थिति में स्ट्राइक इल्लीगल नहीं है। मैं सैक्शन पढ़ कर सुनाता हूं....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपने उसको रेफर क्यों किया ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप उन्हें बताने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : एच० एन० शर्मा। माननीय सदस्य, आप आपस में बातें न करें। सदन को break-water मानें। आपस में न उलझें।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न तो यह है, माननीय श्रम मन्त्री जी की 16–2–79 को जो समझौता वार्ता हुई वह किन कारणों से असफल रही ? दूसरा, लघु उद्योगों में इतने लम्बे समय तक हड़ताल चलती रहे और समझौता किसी प्रकार न हो सके, तो समझौता जल्दी से जल्दी हो जाय, इसके बारे में मन्त्री महोदय का क्या विचार है ? तीसरा, अभी मन्त्री महोदय ने सैक्शन 10 (3) का हवाला दिया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लादूं कि सैक्शन 10 (3) क्या है ?

'Reference of disputes to Boards, Courts or Tribunals :— where an industrial dispute has been referred to a Board (Labour Court, Tribunal or National Tribunal) under this Section, the appropriate Government may by order prohibit the continuance of any strike or lockout in connection with such dispute which may be in existence on the date of the reference."

अब मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, सैक्शन 10 (3) के तहत जब लेबर ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट को मामला सौंप दिया, उसके बाद भी स्ट्राइक कंटीन्यू क्यों है ? यह मेरे हिसाब से अनुचित है। फिर भी मजदूरों की मांगें पूरी होनी चाहिये इसके बारे में श्रम मन्त्री महोदय, या लेबर डिपार्टमेंट कब तक समझौता

(श्री एच. एन. शर्मा)

करा देगा या हड़ताल खतम करवा देगा ? यही मेरा निवेदन है ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने गलत इन्टरप्रेट किया है। सैक्शन 10 (3) को अभी इनवोक नहीं किया। इसके बजाय सैक्शन 24 (2) मेरे पास है मैं पढ़ कर सुनाता हूं "where a strike or lock out........"

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आपने लेबर ट्रिब्यूनल को किन कारणों से रेफर किया ?

श्री नूरा : मालिकों ने मजदूरों पर हमला करवाया, इसकी सूचना आपके पास आई या नहीं ? यह बतावें। दूसरे वेज बोर्ड का फैसला....

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य गुल मोहम्मद, आप भी पूछ लीजिये । यह अंतिम सप्लीमेंट्री होगा।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं श्रमिकों ने मालिकों को एक माह का नोटिस दिया या नहीं दिया ? अगर नहीं दिया तो स्ट्राइक इल्लीगल हुई या नहीं ? तीन माह तक समझौता नहीं हुआ, इससे उस फैक्ट्री का प्रोडक्शन डाउन हुआ या नहीं ? आप प्रोड्क्शन के आधार पर पैसा बढ़ाना चाहेंगे या और किसी हिसाब से ? अगर प्रोडक्शन के आधार पर पैसा बढ़ाना चाहेंगे तब तो ठीक है। लेकिन अगर फैक्ट्री का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो पैसा बढ़ाना चाहें वह उचित नहीं है। पैसा मालिक देगा कहां से ? इसका कृपया गंभीरता से जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री माधव सिंह ।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या यह सही है कि श्रम मन्त्री जी को फैक्ट्री मालिकों ने मध्यस्थ बनाने से इन्कार कर दिया ?

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, 30–3–79 को फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों की योजनाबद्ध तरीके से पिटाई की । क्या यह भी सही है कि इसकी सूचना फैक्ट्री मालिकों ने तार और टेलीफोन पर दी ?

श्री केदार नाथ : अध्यक्ष जी, जहां तक गाली-गलोच और मार-पिटाई का सवाल है यह तो दोनों तरफ से हुई। आगे इस पर पुलिस क्या कर रही है ? दोनों ने एफ० आई० आर० दर्ज करवायी है।

दूसरा, अध्यक्ष जी, यह पूछा गया कि क्या यह बिना नोटिस के स्ट्राइक हुई है ? तो यह पब्लिक यूटीलिटी सर्विस नहीं है। इसलिये ऐसी स्ट्राइक बिना नोटिस के भी हो सकती है। जब तक सैक्शन 10 (3) के तहत हम प्रोहिबिट नहीं करते तब तक स्ट्राइक इल्लीगल नहीं कह सकते। समझौता वार्ता में मैंने कहा कि मैं केवल 3 पर्सेंट

(6)

(श्री केदारनाथ)

बढ़ाऊंगा, मैंने केवल अपनी ओर से तीन साल का मुनाफा देखने के बाद 3 पर्सेंट बढ़ाने का कहा, न 20 पर्सेंट बढ़ाने का, न 9 पर्सेंट को मानते हुए बढ़ाने का कहा यह देख कर कि सबसे ज्यादा रीजनेबल एटिट्यूड क्या हो सकता है....

श्री मूलचन्द डागा : आप क्या बात कह रहे हैं ? As Law Miniser you are answering on the floor of the House ?

श्रीमान्, सवाल यह नहीं है । सवाल यह है कि आपने लेबर कोर्ट में क्यों रेफर किया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह

भरतपुर शहर की चारदीवारी पर अतिक्रमण ।

श्री मानसिंह, (भरतपुर) श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुराने भरतपुर शहर के चारों ओर मिट्टी की दीवार (हाई मड फोर्टीफिकेशन वाल्स) थी तथा यह दीवार राजस्थान मोनूमेंट्स, आर्क्यालाजिकल साइट्स एंड एन्टीक्विटी एक्ट, 1961 के अन्तर्गत प्रोटेक्टेड मानूमेंट थी ? यदि हां, तो इसे प्रोटेक्टेड घोषित करने के पश्चात् इसकी सुरक्षा के लिये राज्य सरकार ने क्या प्रयत्न किये एवं कितनी राशि व्यय की ?

(2) क्या यह सही है कि हजारों अवैध निर्माण इस दीवार के पास हो गये हैं जिससे इसके मूल स्वरूप में परिवर्तन हो गया है ? यदि हां, तो इस भूमि पर कौन कौन व्यक्ति ने कब कब अतिक्रमण कर अवैध कब्जा किया तथा कौन कौन अतिक्रमणकारी के विरुद्ध कब कब राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई ? विवरण अतिक्रमणकारियों के नाम, क्षेत्र आदि सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार के अतिक्रमण राजस्थान मानूमेंट्स आर्क्योलाजिकल साइट्स एंड एन्टीक्विटी एक्ट, 1961 के अन्तर्गत संगीन अपराध है ? यदि हां, तो ऐसे कौन कौन अपराधियों के विरुद्ध कब कब मामले रजिस्टर्ड हुए तथा ऐसे मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि गत दो माह में इस दीवार एवं भूमि पर बहुत अधिक अतिक्रमण हुए तथा अब भी इस प्रकार के अतिक्रमण जारी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और ऐसे अतिक्रमण भविष्य में न हों इसके लिये राज्य सरकार क्या क्या कदम उठा रही है ?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री महबूब अली) : (1) जी हां। यह दि० 16–9–68 को सुरक्षित घोषित की गई। भरतपुर नगर

(राज्यमंत्रीशिक्षा श्री महबूब अली)
में संरक्षित स्मारकों की देखरेख करने के लिये निम्न स्टाफ स्वीकृत है। इस पर गत वर्ष अनुमानित 16,500) व्यय हुआ था।

1) संग्रहाध्यक्ष एक

2) लिपिक एक

3) चौकीदार एक

(2) जी हां। कौन कौन व्यक्ति ने कब कब अवैध कब्जा किया इसके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। समय समय पर हुए अतिक्रमणों में से लगभग 350 को हटवा दिया गया जिसकी सूची (क) संलग्न है।

(3) जी हां। इस प्रकार के अतिक्रमण दण्डनीय अपराध हैं। जनवरी, 1979 में 9 व्यक्तियों के विरुद्ध संग्रहाध्यक्ष भरतपुर द्वारा पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई, जिसकी सूची (ख) संलग्न है। पुलिस द्वारा चालान सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

(4) गत दो माह में भी लोगों ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया जिनको हटवा दिया गया। सारी स्थिति का जायजा लेकर आगे की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से 6 साल पूर्व भी इस दीवार के ऊपर एक सा करके सड़क बनाने की योजना राज्य सरकार ने तैयार की थी। उस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था लेकिन तत्कालीन प्रधान मंत्री ने उसे रोक दिया और उसकी प्राचीनता कायम रखने के आदेश किये। इसको प्राथमिकता दी गई, उसको संरक्षित घोषित किया गया और उसी रूप में रखने के आदेश किये गये। परन्तु आज भी इस दीवार के ऊपर सैंकड़ों मकान बन गये हैं, कितने ही कच्चे और कितने ही पक्के बन गये हैं। राज्य सरकार अतिक्रमण रोकने में समर्थ नहीं है। जब कि सन् 1961 में इसको प्रोटेक्टेड मान्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, फिर क्या वजह है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है?

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको प्रोटेक्टेड मान्यूमेंट 1961 में घोषित किया गया इससे पहले ही इस पर बहुत से कब्जे हो चुके थे। यह एक ऐसा कम्प्लीकेटेड प्रश्न बन गया है। पहले के कब्जों के लिये क्या व्यवस्था हो सकती है? अब कानून लागू है फिर भी अतिक्रमण हो रहे हैं और नगरपालिका इजाजत दे रही है तो यह सारा मामला एक कम्प्लीकेटेड हो गया है। तो इस पर समग्र रूप से विचार करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है। समिति हर पहलू को देख कर राज्य सरकार को सिफारिश करेगी कि ऐसी स्थिति में कौन कौन से अतिक्रमण ऐसे हैं जिनके कारण से ओरिजिनल स्वरूप रहेगा और कौन से पर अलग से कार्यवाही की जा

(श्री महबूब अली)

सकती है। इस बारे में कार्यवाही करने के लिये एक समिति का गठन कर दिया गया है।

श्री काशीनाथ गुप्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार के आदेश हैं कि इसकी प्राचीनता को रखा जाय। सरकार कब तक सोचती रहेगी ? सरकार ने 6 साल में क्या कार्यवाही की ? राज्य सरकार ने आदेश दिये थे उसके बाद भी अतिक्रमण किया गया तो 6 साल के अन्दर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिस समिति का उन्होंने उल्लेख किया है, उस समिति का गठन कब हुआ है, वह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी और उस समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इस समिति के अध्यक्ष हमारे माननीय सदस्य श्री सुरेश शर्मा हैं, डाइरेक्टर ग्राफ आर्क्योलाजिकल साइट्स एण्ड एन्टीक्विटी मैम्बर हैं, नगरपालिका के चेयरमैन मैम्बर हैं और चीफ टाउन प्लानर मैम्बर हैं। इसमें देरी इसलिये लग रही है कि विधानसभा के किसी सदस्य को कमेटी में लिया जाता है तो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष से अनुमति ली जाती है। अनुमति मिलने पर कार्यवाही शुरू कर देंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : कौनसी तारीख को किया है ?

श्री काशीनाथ गुप्ता : सरकार की ओर से आज तक कुछ नहीं किया गया।

(व्यवधान)

नगरपालिका ने इजाजत दी है यह गलत बयानी की गई है। मैं 6 साल तक नजूल कमेटी, नगरपालिका का चैयरमैन रहा हूं। इस प्रकार की कोई मंजूरी नहीं दी गई है। यह एक ऐतिहासिक किला है। जब लार्डलेक ने हमला किया था तब इसी किले में तोप के गोले पार नहीं हो सके। यहां पर अंग्रेजों के दांत खट्टे किये गये। सरकार को इसके महत्व की रक्षा करनी चाहिये। आज दुःख की बात हैं, सरकार नष्ट होने से इसे बचा नहीं सकती। जब मकान बन जावेंगे तब क्या हिफाजत हो सकेगी ? मैं जानना चाहता हूं, इन 6 वर्ष में सरकार ने इसके बचाने के क्या प्रयत्न किये ?

श्री लालचन्द (भादरा) : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उस जवाब से ऐसा नजर आ रहा है कि आज भी वहां पर मकान बन रहे हैं और अतिक्रमण किया जा रहा है। यह भारत के अन्दर अकेली ही एक ऐसी दीवार है, जिसको अंग्रेज हजार बार कोशिश करके भी नहीं तोड़ सके।

श्री अध्यक्ष : लार्डलेक को धक्के दिला दिये।

श्री काशीनाथ गुप्ता : उसको आप बरबाद कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार इस बारे में सजग है। पर्याप्त हो चुका है....

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : इसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। जब कानून बना हुआ है तो फिर उस कानून के तहत उसके खिलाफ चालान क्यों नहीं किये गये, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : दो स्थगित प्रश्न भी हैं।

प्रश्न संख्या 902

श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 903

श्री बालकृष्ण थानवी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रघुनन्दन व्यास।

(व्यवधान)

सरकार का उत्तर पर्याप्त है। उसकी व्यवस्था आ चुकी है।

श्री लालचन्द : अध्यक्ष महोदय, बावजूद कानून के एन्क्रोचमेंट होता रहा है उसके बाद भी आज सरकार का जवाब माकूल नहीं आ रहा है। सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और अब भी उसके ऊपर एन्क्रोचमेंट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने सरकार के कान खोल दिये।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास।

आसन पैरों पर हैं। श्री रघुनन्दन व्यास।

सिरोही जिले के मन्दिरों के अधीन राजस्व की भूमि

904. **श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :** क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले के सारणेश्वर, आम्बेश्वर, भुवनेश्वर, बैजनाथ मार्कण्डेश्वर, बैजनाथ आदि शिव मन्दिरों के पास राजस्व की कितनी भूमि है ?

(2) क्या अचलगढ़, आबू, अर्बुदा देवी, आबू गुरु वशिष्ठ की सम्पत्ति भी खुर्द-बुर्द हो रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार इन मन्दिरों की सम्पत्ति की जांच करवायेगी और करोड़ों की सम्पत्ति की रक्षा करेगी ?

देवस्थान मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : (1) इन मन्दिरों में से केवल सारणेश्वर तथा मार्कण्डेश्वर के खाते में राजस्व भूमि है। सूची संलग्न है।

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

(2) जी नहीं।

(3) शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या यह मन्दिर राजस्थान देवस्थान बोर्ड में है या उनका कोई वहां पर फर्जी देवस्थान बोर्ड है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो पूरक प्रश्न है कि देवस्थान विभाग ने क्या किया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने एक बड़ा एम्ब्रेसिंग प्रश्न पूछा है।

भूतपूर्व रियासत सिरोही के मुख्य मंत्री श्री गोकुलभाई भट्ट के समय में सिरोही राज्य के 44 राजकीय मन्दिरों का बोर्ड बनाया गया था। उक्त बोर्ड के श्री गोकुल भाई भट्ट तथा राज-परिवार के लोग सदस्य बने।

श्री भंवरलाल श्रीमाली भूतपूर्व, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर एवं बीकानेर डिवीजन ने उक्त 44 मन्दिरों के अतिरिक्त बोर्ड में 3 मन्दिर और मानकर कुल 47 मन्दिरों के देवस्थान सिरोही बोर्ड को प्रन्यास के रूप में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत दिनांक 15-1-76 को पंजीकृत किया। सहायक आयुक्त, जोधपुर के उक्त निर्णय के विरुद्ध 5 मन्दिरों के बारे में अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत हुई है, जो राजस्थान देवस्थान आयुक्त के यहां विचाराधीन है।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो उत्तर है पर्याप्त नहीं है। करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है और राजस्थान देवस्थान बोर्ड के अन्दर नहीं है। बड़े बड़े लोगों का उस पर बेजा दखल है और कोई कन्ट्रोल नहीं है। सिरोही स्टेट जब राजस्थान में मर्ज हुई उस वक्त श्री गोकुल भाई भट्ट उसके मुख्य मन्त्री थे। उन्होंने मिल कर मन्दिरों को इधर-उधर बांट दिया। हम चाहते हैं कि उन सारे मन्दिरों को राजस्थान देवस्थान बोर्ड के कब्जे में लिया जाय और उनकी व्यवस्था की जाय।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि 47 मन्दिर देवस्थान बोर्ड में ले लिये गये हैं। 5 मन्दिरों की अपील चल रही है। मन्दिर श्री सारणेश्वर जी, बैजनाथ, मार्कण्डेश्वर, मन्दिर वशिष्ठ जी देवस्थान बोर्ड, सिरोही के अन्तर्गत ले लिए गये हैं। ये मन्दिर 47 मन्दिरों की सूची में हैं। शेष दो मन्दिर, आम्बेश्वर और भुवनेश्वर, उक्त सूची में नहीं हैं। इन दोनों मन्दिरों के साथ में कोई राजस्व की भूमि नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : वह बोर्ड राजस्थान देवस्थान विभाग का ही है या अलग से कोई बोर्ड है जिसके ऊपर आपका कण्ट्रोल नहीं है ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : यह अलग से नहीं है। यह 15-1-76 को पंजीकृत कराया गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : गुरु वशिष्ठ का जवाब आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अब गुरु वशिष्ट को रहने दीजिए।

प्रश्न संख्या 18

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 233

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री गोपालसिंह।

ग्राम पीथमपुरी (सीकर) में भू-संरक्षण

574. **श्री गोपालसिंह (खण्डेला)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष अति-वृष्टि से सीकर जिले की नीमकाथाना तहसील में पीथमपुरी झील का पानी उफल जाने के कारण वहां 4 किलोमीटर लम्बा तथा 80 फीट गहरा नया नाला बन गया और नाले से वहां के किसानों की काश्त की भूमि बेकार हो गई है और आस पास के कुओं का पानी सूख गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस नये नाले से भू-संरक्षण हेतु जिला अधिकारियों ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या इस गांव में और भी बहुत सारे नालों से काश्त की भूमि लगातार बरबाद होती जा रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसके समाधान हेतु कोई योजना बनाने का इरादा रखती है ?

कृषि मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) :

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां। कृषि विभाग के अन्तर्गत हाल ही में प्रारम्भ मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आसपास के सम्पूर्ण क्षेत्र का मुआयना करवाकर जल-ग्रहण क्षेत्र के आधार पर सेल्फ आफ प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए राजस्व रिकार्ड से काश्तकारों की सूची तैयार की गई है तथा जल्दी ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री गोपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी लम्बाई चौड़ाई में इसने खेती के क्षेत्र का नुकसान किया है। सारा

(श्री गोपालसिंह)

वर्ष हो गया है। काश्तकारों का नुकसान हो रहा है। जिलाधीश ने योजना बनाकर राज्य सरकार को भेजी है। पांच महीने हो गये हैं। अभी तक मामला विचाराधीन ही बताया गया है। क्या मन्त्री महोदय, अब बताएँगे कि इस पर कब तक निर्णय कर दिया जाएगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस नाले के कारण खेती बिगड़ गई है। इसकी योजना भारत सरकार को भेजी थी। इसको फ्लड रिलीफ में इरिगेशन डिपार्टमेंट करायेगा। पैसा आना अभी बाकी है। उसके आते ही वह काम हाथ में ले लिया जाएगा।

श्री गोपाल सिंह : इन्होंने सिंचाई मंत्री को पूर्व में लिखा था। यह योजना बनाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह जवाब दिया जा रहा है तो सिंचाई विभाग करेगा या रिलीफ विभाग करेगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, फ्लड के अन्दर पैसा अलाट होगा। एलोकेशन रिलीफ से आयेगी। काम सिंचाई विभाग करेगा।

श्री गोपाल सिंह : कुछ सम्पर्क स्थापित करते। आने वाले एक महीने या दो महीने में ही इसको टेकअप कर लेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रयत्न यही है कि दोनों विभागों द्वारा की बरसात से पहले पहले हल निकल जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री एच. एन. शर्मा।

वन विभाग में कार्यरत वर्क चार्ज कर्मचारी

578. **श्री एच. एन. शर्मा** (बेगूं) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग में पिछले 10–15 वर्षों से कार्यरत वर्क चार्ज कर्मचारियों को वर्क चार्ज से हटाकर मस्टररोल में लगाया गया है ? अगर हां, तो ऐसा किन नियमों के तहत किया गया है ?

(2) कुल मिलाकर ऐसे कितने कर्मचारियों को वर्क चार्ज से मस्टररोल में लगाया गया है तथा कहां, कहां ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, वन (श्री हरिसिंह यादव) : (1) जी, हां। कुछ कर्मचारी वर्क चार्ज से हटाकर........

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष : जरा गर्दन झुकाकर।

श्री हरिसिंह यादव : (1) जी, हाँ। कुछ कर्मचारी वर्क चार्ज से हटाकर मस्टररोल के आधार पर लगाये गये हैं। वन विभाग में विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत वर्क चार्ज करने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सम्भागों में कार्यरत वर्क चार्ज कर्मचारियों पर कोई नियम लागू नहीं हैं।

(श्री हरिसिंह यादव)

(2) 14 कर्मचारियों को वर्क चार्ज से मस्टररोल पर लगाया गया है। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ा स्पष्ट कवेश्चन पूछा था, कितने कर्मचारियों को वर्क चार्ज से हटाकर मस्टररोल में लगाया गया है ? मन्त्री महोदय ने कहा है, कुछ कर्मचारियों को। इसी प्रकार से यह पूछा है कि किस नियम के तहत यह किया गया है ? तो बताया गया कि कोई नियम लागू नहीं है। जो सूची मिली है, वह अपर्याप्त है। कम से कम 200 कर्मचारियों को माउण्ट आबू, वेगूं, रावतभाटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अन्दर 15–15 साल हो गये हैं वर्क चार्ज में काम करते हुए उनको मस्टररोल में लगाया है। क्या यह अन्याय नहीं है ? उप वन संरक्षक, कोटा ने 15–2–79 को एक आर्डर निकाला है, जिसके तहत यह किया गया है। कोई काम कराना है, तो वह वर्क चार्ज से नहीं मस्टररोल से कराना चाहिये।

श्री हरिसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया। वर्क चार्ज स्टेट ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में है। उसके कर्मचारी अभी तक वर्क चार्ज में काम कर रहे हैं। उनको नहीं हटाने के बारे में कोई नियम नहीं है। वर्क चार्ज और मस्टररोल दोनों से ही आदमी काम करने के लिए रखे जाते हैं। जैसे कि क्लोजर के लिए या पेड़ रखाने के लिए आवश्यकता होगी तो आवश्यकता के अनुसार पेड़ रखाने के लिए कुछ आदमी रख लेते हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : 15 साल के बाद उनको निकाला जा रहा है। उनको 15–15 साल हो गये हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : पन्द्रह–पन्द्रह साल ?

श्री मदन सिंह दांता (दांता रामगढ़) : 15 साल में तो उनको पक्का हो जाना चाहिये ?

श्री एच. एन. शर्मा : इतने पुराने लोगों को पर्मानेण्ट नहीं करेंगे ?

श्री मदन सिंह दांता : क्या यह सही है कि कुछ वर्ष में ही पक्का हो जाना चाहिये ?

श्री मूलचन्द डागा : 240 दिन के बाद पक्का हो जाना चाहिये।

श्री हरिसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, जहां काम के लिए आवश्यकता होती है तो वहां उनको वर्क चार्ज में रख लेते हैं। उनको मन्थली तनख्वाह मिलती है। मस्टररोल में रोजाना हाजरी लेकर तनख्वाह मिलती है। यह काम की वजह से है। इनमें कोई खास फर्क नहीं है। वर्क चार्ज को मन्थली तनख्वाह देते हैं और मस्टर रोल वालों को डेली हाजरी लेकर पैसा देते हैं। यह सही है कि कुछ आदमी 15 साल से काम कर रहे हैं।

(श्री हरिसिंह यादव)

उनके लिए कोई नियम नहीं बनाये हैं। मैंने अभी विभाग को निर्देश दिये हैं कि ऐसे कर्मचारी, जो वर्क चार्ज में काम कर रहें हैं, कोई स्थान खाली हो तो उनको वनपाल की जगह पर प्राथमिकता के आधार पर समायोजित करना चाहिये। उनको बुलाकर रिक्रूटमेंट करना चाहिये। इसके बारे में नियम बनाने जा रहे हैं। इससे समस्या समाप्त हो जाएगी। वर्क चार्ज के नियम बने हुए हों तो वह कुछ हद तक ठीक है लेकिन दूसरे विभागों में ऐसे कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई ऐसे नियम नहीं हैं। आवश्यकता के अनुसार वह भर्ती किये जाते हैं। काम समाप्त हो जाने पर उनको हटा दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री एच. एन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन जो है वह भी वन विभाग की तरह ही एक विभाग है। वहाँ पर भी वर्क चार्ज के रूल्स लागू हैं। माननीय मन्त्री महोदय को इसका फर्क मालूम नहीं है कि वर्क चार्ज और मस्टर रोल में क्या अन्तर है। वर्क चार्ज वालों को छुट्टी भी मिलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक राज्य सरकार का षड़यन्त्र लगता है। दो सौ कर्मचारियों को वर्क चार्ज से मस्टर रोल में ले लिया और उन पर रोक लगा दी। जो 15. 2. 79 का लैटर है, वह मैं आपकी अनुमति से पढ़ कर सुनाता हूं—

विषय :—वर्क चार्ज से कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

"उपरोक्त विषय में लेख है कि इस कार्यालय से पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को वर्क चार्ज बेसिस पर नहीं रखा जाय और अगर आवश्यकता हो तो मस्टर रोल बेसिस पर रखा जाय।"

अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने 15 साल काम कर लिया उनको मस्टर रोल में कर दिया। फिर भी मन्त्री महोदय कहते हैं कि यह रूल्स हमारे बनाये हुए नहीं हैं....

श्री मूलचन्द डागा : क्या लेबर लॉ वन विभाग में लागू नहीं है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : नहीं है, नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : कैसे नहीं है ?

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय मन्त्री महोदय, कृपया यह भी बतावें कि क्या पी. डब्ल्यू. डी. और सिंचाई विभाग इन दोनों विभागों में वर्क चार्ज बेसिस पर जो एम्प्लाइज काम करते हैं, उनकी सेवाएं 240 दिन के बाद 241 दिन हो जाने पर रेगुलर कर दी जाती हैं ?

श्री रघुनन्दन व्यास : इसका मतलब यह हुआ कि वर्क चार्ज से मस्टर रोल में करके उनको घर भेज दिया ?

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, यह दासता और गुलामी की बीमारी है वर्क चार्ज की, 15 साल नौकरी कर लेने के बाद उनको प्रमोशन और इन्क्रीमेन्ट का कितना नुकसान हुआ यह उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार करके उनको उचित स्थान दिलाया जावे। यह बतावें कि यह कार्यवाही कब तक कर ली जावेगी ?

श्री मनोहर सिंह मेहता (गोंडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, 15 साल तक उनके सिर पर तलवार लटकती रही। भविष्य में अब इनकी सेवाओं का क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग में 240 दिन काम करने के बाद वर्क चार्ज कर्मचारियों की सर्विस की सिक्योरिटी हो जाती है, यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : लेबर मिनिस्टर से पूछ लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : लेबर मिनिस्टर से पूछ लीजिये।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह यादव : मेरा निवेदन यह है कि किस प्रकार से इन वर्क चार्ज एम्प्लाइज की सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाय ? इस सम्बन्ध में हम नियम बनाने जा रहे हैं। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि कोई कार्य किसी इलाके में अफारेस्टेशन का हो रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई लोग जाना नहीं चाहते हैं तो उसको....

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : उनको हटाकर वहां पर दूसरे लोगों को रख दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि 240 दिनों के बाद वर्क चार्ज वालों की सर्विसेज को नियमित कर दिया जाना चाहिए यह नियम है, लेकिन अगर कन्सर्निंग ऑफिसर दो साल, चार साल और पांच साल भी उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज नहीं करें तो आप उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रहे हैं ?

श्री हरिसिंह यादव : मैंने निवेदन किया है कि हम उनकी सर्विस सिक्योरिटीज के बारे में प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले तीस वर्षों से इसी प्रकार चला आ रहा था,....

श्री मूलचन्द डागा : पिछले दो वर्षों में आपने क्या किया ?

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : कोई भी आफिसर अपनी ड्यूटी में नेग्लिजेन्ट है और उसकी वजह से किसी लेबर ने सफर किया तो आपने उस आफिसर के खिलाफ क्या एक्शन प्रपोज किया या करने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या यह सही है कि जंगली कानून बना हुआ है, जंगली लोगों के लिए, इस कानून को कब समाप्त करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : कोई आफिसर अपनी ड्यूटी नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट उसके अगेन्स्ट में क्या एक्शन प्रपोज करती है ?

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) : क्या आज तक लागू जंगल के कानून को अब आप बदलने का विचार रखते हैं ?

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। क्या मैं यह इन्फरेन्स ड्रा करूं कि officers are incompitent.

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : मन्त्री महोदय, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

इसका आप उत्तर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने उत्तर भी दे दिया।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। पिछले दो वर्ष में किसी ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी में नेग्लिजेन्सी बरती उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ ? इन्होंने उत्तर यह दिया है कि तीस वर्ष में क्या हुआ। मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिये। अगर उत्तर नहीं आता है तो क्या हम यह इन्फरेन्स ड्रा करें कि इन्काम्पीटेन्ट टीम ऑफ मिनिस्टर्स है जो काम्पीटेन्ट ब्यूरोक्रैसी के शिकन्जे में हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय, उत्तर देने की तैयारी कर रहे हैं।

माननीय श्री माणक लाल ठाकौर।

श्री माणकलाल ठाकौर (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से केवल यह पूछना चाहता हूं कि जो वर्क चार्ज में वर्षों से लगे हुए कर्मचारी हैं, उनके सम्बन्ध में क्या वन मन्त्री महोदय यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि जो सुविधायें उनको मिलती आ रही थीं उनको कम नहीं किया जायेगा और उनकी नौकरी की सुरक्षा की गारन्टी दी जायेगी ?

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, वर्क चार्ज एम्प्लाईज में मेजोरिटी में अनुसूचित जन जातियों के लोग हैं, क्या उनको इसलिए मस्टर रोल में कर दिया कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह का प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है कि जंगली लोगों के बारे में जंगली कानून कब समाप्त होगा ?

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : मन्त्री जी ने कहा है कि लेबर की सिक्योरिटी के बारे मे शीघ्र ही नियम बनाने जा रहे हैं। जब तक नए नियम नहीं बनते हैं तब तक जो कर्मचारी 15-15 साल से ड्यूटी पर थे, काम कर रहे थे, जिनको मस्टर रोल पर काम करने के आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों को सरकार विथड्रा करेगी ?

श्री टीकमचंद कांत : मेरा निवेदन है कि जंगल का कानून जो लगातार चलाया जा रहा है, उसको सरकार बदलने जा रही है या नहीं ?

श्री हरिसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बीच बीच में बोलते हैं इसलिए मेरी दुविधा यह है कि सदस्य जो पूछना चाहते हैं, मैं उसका जवाब नहीं दे पाता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा था, उसको महरबानी कर के रिपीट करें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय ने रिपीट किया है।

श्री हरिसिंह यादव : मैंने बहुत ही स्पष्ट निवेदन किया है सदन से कि जो विकास कार्य वन विभाग का है उसको, सभी माननीय सदस्य जानते हैं अच्छी तरह से कि इसमें वृक्ष लगाने के काम, उनकी रखवाली के काम, उनको काट कर ईंधन के रूप में काम लेने, ऐसे काम राजस्थान में भिन्न भिन्न स्थानों पर होते रहे हैं। इन कामों को करने के लिए केजुअल लेबर की आवश्यकता पड़ती है, रेगुलर लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस बार 70 प्रतिशत तक मजदूरों, जो काम कर रहे हैं लकड़ी काटने का, बांस काटने का, की मजदूरी बढ़ाई है। दूसरी तरफ जो कहा गया है कि वर्क चार्ज पर जो काम कर रहे हैं, उनकी सर्विस की सिक्योरिटी का क्या हो रहा है ? मैं निवेदन करूं कि अभी तक लेबर कोर्ट के माध्यम से इनके केसेज को डिसाइड नहीं किया जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि ऐसे केसेज में लेबर कोर्ट से रिड्रेस मिलने का प्रावधान किया जाए।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मस्टर रोल वाले लेबर कोर्ट में नहीं जा सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक : 27-3-79)

जिलाधीश कार्यालयों के भण्डारों का भौतिक सत्यापन

620. **श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

क्या समस्त जिलाधीश कार्यालयों में भण्ड़ारों का भौतिक सत्यापन निर्धारित समय से हो रहा है ? अगर हां, तो समस्त जिलों के जिलाधीश कार्यालयों के भण्ड़ारों का भौतिक सत्यापन पूर्व में कब किया गया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : कुछ जिलों में समय पर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो सूची पेश की है उसमें कुछ जिलों में 5-5 साल तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है ? यह किसकी भूल है ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने सूची दी है इसके हिसाब से कई जगह भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। जहां पर नहीं हुआ है उसके लिए मैं सम्बन्धित जिलाधीशों को हिदायत भेज रहा हूं कि यह तुरन्त किया जाए। क्यों नहीं किया गया, इस बारे में उनसे स्पष्टीकरण मंगाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र आर्य।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक : 28-3-79)

राजस्व विभाग में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कर्मचारी एवं अधिकारी

661. **श्री सुभाष चन्द्र आर्य** (सूरजगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व विभाग में पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति तथा हरिजनों को सरकारी सेवा में कौन कौन को राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किया गया ?

(2) क्या राज्य सरकार ने निर्धारित सीमा में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : (1) राजस्व विभाग में पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के नियुक्त किए गए व्यक्तियों की पदवार संख्या संलग्न सूची में दर्शायी गई है। हरिजन अनुसूचित जाति में ही आते हैं अतः उनके लिए अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। अनूसूचित जाति व जन जाति के लिए आरक्षित स्थानों का ध्यान रखते हुए निर्धारित सीमा में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करने का प्रयत्न किया गया है। कुछ मामलों में निर्धारित कोटे से कम नियुक्तियां हुई हैं जिसका कारण योग्य उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना अथवा अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त न होना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री सुभाष चन्द्र आर्य : कितना कोटा

(श्री सुभाष चन्द्र आर्य)
पूरा किया गया है कितना नहीं किया गया है या अधूरा है ?

श्री गुलाब चंद कटारिया (उदयपुर) : आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले या उनके प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं हुए । क्या आपने राजस्थान के विभिन्न नियोजन कार्यालयों से कभी सूची प्राप्त करने की कोशिश की कि वहां योग्य उम्मीदवार है या नहीं ?

दूसरे, क्या यह सही है कि जो आपने उत्तर दिया है, वस्तुस्थिति उसके विपरीत है ? ऐसे हजारों विद्यार्थी हैं जो बी० ए० व एम० ए० और अन्य प्रकार की क्वालीफिकेशन्स रखते हैं फिर भी उनको आपने नहीं बुलाया ?

तीसरे, क्या भविष्य के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे कि ऐसी जो नियुक्तियां हैं उनमें प्रार्थना पत्र लेकर इन्टरव्यू मे उनको सीधे बुलायें ?

एक माननीय सदस्य : योग्य आदमियों की कमी नहीं है । सरकारी मशीनरी तोड़ मरोड़ कर जवाब दे रही है । भविष्य में छानबीन करके जवाब दिए जायं ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि इस साल कितने ग्रेजुएट्स, व पोस्ट-ग्रेजुएट्स, जो अनुसूचित जाति व जन जाति के हैं, सरकार से स्टाइपेंड ले रहे हैं ? क्या आप जानते हैं कि क्वालीफाइड लोगों के लिए आपके पास ऐसी मशीनरी है कि उनको उन्हीं स्थानों पर सूचित किया जा सके, जहां वे स्टाइपेंड ले रहे हैं ? दूसरे, क्या सरकार के पास जो मशीनरी है, वह इतनी सक्षम है कि पता लगा सके, कितने हरिजन कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं ? सरकार उन आंकड़ों को छिपाने के लिए सदन में कोट नहीं कर रही है ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : सरकार का कोई इरादा छिपाने का नहीं है, हरिजन कितने नियुक्त किए गए हैं, इस बारे में अब तक कोई अलग सूचना नहीं थी । अब यह हिदायत कर दी जाएगी कि जो चयनित किए जायं, उनमें हरिजनों का खाना अलग रखा जाए ताकि पूरी सूचना आ जाए । अनुसूचित जाति व जन जाति में हरिजन आते हैं, लेकिन माननीय सदस्य चाहते हैं कि हरिजनों को अलग बताया जाए तो ऐसी हिदायत दी जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : मन्त्री को पता ही नहीं कि हरिजन किसको कहते हैं ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मुझे पूरा जवाब देने दें ।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : मन्त्रीजी ने बताया कि हरिजन शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं आते हैं ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : यह मैंने नहीं कहा । सामरियां जी ने कहा है कि अनुसूचित जाति व जन जाति में हरिजन कितने हैं

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

उसके जवाब में मैंने यह नहीं कहा कि हरिजन इन जातियों में नहीं आते हैं, वे आते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो लिस्ट क्यों नहीं बताई ?

(व्यवधान)

क्वेश्चन बहुत साफ है। आप बताइये कि बात क्या है ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैंने सूची प्रस्तुत कर दी है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राजपत्रित अधिकारियों के चयन का सवाल है या उनकी नियुक्ति का सवाल है....

एक माननीय सदस्य : कमाल है या सवाल है....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित होते हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : आप नियमों में परिवर्तन कीजिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्व मन्त्री जी, जो अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं जिनको हरिजनों के नाम से पुकारा जाता है उनके लिए डाइरेक्ट अपाइन्टमेंट की कोई पद्धति नहीं है ? यह उनकी जानकारी में है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें सत्यता है कि जिस दिन साक्षात्कार होता है उसके पश्चात् उस व्यक्ति को डाक पहुंचती है ?

(व्यवधान)

श्री विज्ञान मोदी : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति के लोगों की सीधी भर्ती होती है....

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : इनकी खुशामद करें और घरों पर काम करें....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिस दिन साक्षात्कार होता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(श्री अध्यक्ष) (व्यवधान)

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान बीज निगम द्वारा बीज पैक करने हेतु पैक के टेण्डर

902. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बीज निगम ने बीज पैक करने के लिए पैक (थैलियां) खरीदने के लिए टेण्डर आमन्त्रित किये ? यदि हां, तो कब कितने कितने पैक मूल्य के तथा किस किस के टेण्डर प्राप्त हुये तथा उनकी क्या क्या दरें थीं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) टेण्डरों के साथ किस किस ने कितनी राशि जमा कराई तथा विभाग द्वारा जारी की गई शर्तें क्या थीं ? शर्तों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त टेण्डरों में से किस पार्टी का टेण्डर किस अधिकारी द्वारा कब स्वीकार किया ?

(4) न्यूनतम टेण्डर स्वीकार नहीं करने का क्या कारण है ?

(5) इस सम्बन्ध में क्या कोई अनियमितताये हुई हैं ? यदि हां, तो क्या क्या हुई तथा उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। दो लाख जूट केनवास बैग्स को खरीदने के लिए टेण्डर की अन्तिम तारीख 28–2–79 थी। इन बैग्स की अनुमानित लागत सात लाख रु० होगी। कुल 13 फर्मों ने टेण्डर भेजे। इनकी तुलनात्मक दर तालिका (ए) में संलग्न है। नेगोसियेशन के बाद जो दरों की तुलनात्मक स्थिति है वह तालिका (बी) में संलग्न है।

(2) संलग्न तालिका ए व बी में प्रत्येक द्वारा जमा कराई गई धन राशि अंकित है। शर्तों की प्रति भी संलग्न है तालिका (सी) पर।

(3) एक उप समिति द्वारा दिनांक 17–3–79 को टेण्डर देने वालों से बातचीत करने के बाद टेण्डर पर अंतिम निर्णय लिया। इसके अनुसार कोटा लेमिनेटर्स व राजस्थान लेमिनेटिंग फण्ड प्रिंटिंग इण्डस्ट्रीज, कोटा के टेण्डर स्वीकृत किये गये। उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की पुष्टि बीज निगम के बोर्ड की बैठक दिनांक 6–4–79 में की गई।

(4) उत्तर खण्ड 3 में दिया जा चुका है।

(5) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृषि मन्त्री)

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जोधपुर जिले के दुग्ध अभिशीतलन केन्द्रों पर एकत्रित दूध की जांच

903. **श्री बालकृष्ण थानवी** (फलौदी) : क्या डेयरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. , जोधपुर द्वारा संचालित डेयरी व उसके द्वारा नियन्त्रित दुग्ध अभिशीतलन केन्द्रों पर एकत्रित व वितरित किये जाने वाले दूध तथा घी की रासायनिक डाक्टरी जांच करवा के उसके कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का पता लगाने की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? और अब इस बारे में क्या राज्य सरकार यह अत्यावश्यक व्यवस्था करने जा रही है ? अगर हां, तो कब से ?

उत्तर

जी हाँ । व्यवस्था है ।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक : 15-3-79)

रतनगढ़ तहसील में भूतपूर्व बीकानेर रियासत के समय बने कुओं का रकबा

18. **श्री जगदीश चन्द्र शर्मा** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रतनगढ़ तहसील में भूतपूर्व बीकानेर रियासत के समय बने हुए कितने सार्वजनिक कुएं हैं, उनके अधीन कितना कितना रकबा प्रदान किया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन कुओं के अधीन रकबे (बाड़ी) की क्या शर्तें थीं ? वर्तमान में ऐसे भू-खण्डों के मौके की स्थिति क्या है ? कृपया प्रत्येक की पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें ।

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार कुओं के अधीन भूमि को नियमों का उल्लंघन करके प्लाट्स बनाकर बेचा गया है ? यदि हां, तो बेचने वाले का नाम और बेचान करने का अधिकार बताने की कृपा करें ।

(4) क्या यह सही है कि इस भांति राजस्व भूमि को आबादी में बिना परिवर्तित कराये, प्लाट्स करके बेचने वाले कानून के अनुसार अपराधी हैं ? यदि हां, तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और किस किस के खिलाफ कार्यवाही चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) कस्बा रतनगढ़ में भूतपूर्व बीकानेर रियासत के समय बने हुए कुओं की सूची (क) व (ख) संलग्न हैं । किन्तु रिकार्ड के अनुसार ये सार्वजनिक कुंए नहीं हैं, बल्कि अलग अलग नाम से हैं ।

(2) कोई सार्वजनिक कुआ दर्ज नहीं है । जमीन खातेदारी की है ।

(राजस्व मंत्री)

(3) इन कुओं की खातेदारी की वाड़ी की भूमि में से 5 बेवान हुए हैं, इनका विवरण संलग्न है।

(4) बिना रूपान्तरण कराये कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग करना गैर कानूनी है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कानून के तहत कार्यवाही करने के आदेश मैं जिलाधीश को दे रहा हूं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17-3-79 व 29-3-79)

मरुस्थलीय विकास हेतु योजनाएं

333. श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा मरुस्थलीय विकास के लिये क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और उन पर कितने समय में किन किन योजनाओं पर कितनी कितनी धनराशि व्यय होगी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन योजनाओं की सही और समय पर क्रियान्विति हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इन योजनाओं का परिणाम कब तक सामने आने की आशा है?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा मरुस्थलीय विकास के लिए सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम बनाये गये हैं। ये योजना भारत सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना, जो भारत सरकार के विचाराधीन है, में सम्मिलित कर ली गई है। छठी पंचवर्षीय योजना में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास हेतु लगभग 29.78 करोड़ की धनराशि तथा मरु विकास कार्यक्रम पर लगभग 74.32 करोड़ की धनराशि व्यय करने के प्रावधान रखे गये हैं। इस क्षेत्र के लिए वर्ष 79–80 में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम पर 9.122 करोड़ तथा मरु विकास कार्यक्रम पर 13.14 करोड़ रु. की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन योजनाओं की सही यथा समय पर क्रियान्विति हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला विकास अभिकरण का गठन किया गया है जो एक ओटोनामस संस्था है, जो प्रत्येक जिले में कार्यक्रम की क्रियान्विति देखती है। इस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु जिले में एक समिति का गठन भी किया गया, जिसमें उस क्षेत्र के दो विधायक जन प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। योजना की समय समय पर क्रियान्विति हेतु जिला विकास अभिकरण समिति की समय समय पर बैठक होती हैं जिनमें वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विचार विमर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर कार्यक्रम

(कृषि मन्त्री)

के क्रियान्वयन हेतु मरु विकास आयुक्त जोधपुर से भी इन अभिकरणों को दिशा निर्देश दिये जाते हैं ।

इन योजनाओं का परिणाम प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगा है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित वेतन शृंखला के अध्यापक

1106. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य के प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित स्नातक वेतन शृंखला के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकार-क्षेत्र में कब रहे ?

(2) क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1950 से अक्टूबर, 55 तक प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित वेतन शृंखला में चयनित अध्यापकों के अतिरिक्त विभाग द्वारा 31-10-55 तक अन्य अध्यापकों को नियुक्ति दी ?

(3) क्या विभाग द्वारा नियुक्त अध्यापकों को भी वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अध्यापकों के साथ ही दी गई ? यदि हां, तो राज्य सरकार के आदेश तथा लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सहमति के आदेश सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या इस प्रकार से सम्मिलित बनी वरिष्ठता सूची में कोई अनियमितताएं हुई जिसके बारे में आपत्ति मांगी गई तथा इन अनियमितताओं को दूर किया, तथा छूटे हुए नामों को जोड़ा गया ?

(5) क्या राज्य सरकार शीघ्र उचित आदेश प्रदान कर इस प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने के आदेश प्रदान करेगी ताकि छूटे हुए अध्यापकों को न्याय मिल सके ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य के प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित स्नातक शृंखला के पद राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-14 (8) नियुक्तियां (ए)/56 दि. 27-9-61 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिक्षेत्र से बाहर किये गये । इससे पूर्व यह पद आयोग के परिक्षेत्र में थे ।

(2) हां ।

(3) नहीं । राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ-10 (1) नियुक्तियां /(ए-4)/61 दि. 16-4-71 एवं एक संख्यक पद दि. 22-4-76 के आदेशानुशार राजस्थान तथा अजमेर राज्य के 31-10-56 तक के अध्यापकों को 31-10-56 पर निम्नलिखित चार ग्रुप में विभाजित कर वरिष्ठता दी गई :—

(शिक्षा मन्त्री)

1. ग्रुप ए : जो अध्यापक चयनित होकर नियमित रूप से नियुक्त थे।

2. ग्रुप बी : जो अध्यापक पद चयनित पर स्थाई किये जा चुके थे।

3. ग्रुप सी : जो अध्यापक 1-11-55 से पूर्व उपरोक्त वेतन शृंखला में अचयनित अस्थाई रूप से नियुक्त थे।

4. ग्रुप डी : जो अध्यापक 1-11-55 से 31-10-56 तक अचयनित एवं अस्थाई रूप से नियुक्त थे।

(4) वरिष्ठता सूची नियमानुसार निर्मित की गई थी। अतः उसे अनियमित नहीं कहा जा सकता।

(5) प्रश्न संख्या 4 के अनुसार प्रश्न नहीं उठता है।

(आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

ग्राम छोटी वीरोल में प्राथमिक पाठशाला

1107. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम छोटी वीरोल, आबादी में अभी तक प्राथमिक पाठशाला नहीं खोली गई है ? क्या ग्राम छोटी वीरोल की आबादी करीबन 500 से अधिक हैं एवं पाठशाला भवन एवं शिक्षक के रहने का मकान ग्रामवासियों ने जन सहयोग से बना दिया है ? अगर हां, तो पाठशाला भवन निर्माण में ग्रामवासियों ने कुल अब तक कितना खर्चा किया है ?

(2) ग्राम छोटी वीरोल में अब तक प्राथमिक पाठशाला नहीं खोलने का क्या कारण है ? अब उक्त स्थान पर प्राथमिक पाठशाला कब तक खोल दी जावेगी ?

(3) क्या ग्राम छोटी वीरोल में पिछले साल उच्च प्राथमिक पाठशाला राज्य सरकार द्वारा खोली गई थी ? जो पार्टीबाजी के आधार पर बड़ी वीरोल में पाठशाला भवन नहीं होते हुए भी भेज दी गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अब क्या छोटी वीरोल में कम से कम राज्य सरकार प्राथमिक पाठशाला तो खोलना उचित समझेगी ?

उत्तर

(1) सांचौर तहसील में रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार छोटी वीरोल नाम का कोई गांव नहीं है। केवल वीरोल गांव है। वहां पर उच्च प्राथमिक शाला चल रही है। ग्राम वीरोल की 1971 की जिला–जालौर जनगणना पुस्तक के अनुसार आबादी 1543 है। तथा कथित छोटी वीरोल ग्राम वीरोल का ही एक मोहल्ला है। यह सही है कि इस मोहल्ले में जनता के सहयोग से शाला हेतु भवन बना हुआ है। जिस पर ग्राम-

(शिक्षा मन्त्री)

वासियों ने करीब करीब 1500 रुपये खर्च किये हैं।

(2) खण्ड (1) में उत्तर दे दिया गया है।

(3) उच्च प्राथमिक शाला खोली गई थी, यह विदित होने पर कि यहां कोई प्राथमिक शाला नहीं है जिसे उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किया जाये। पूर्व में किये गये राज्यादेशों में नियमानुसार संशोधन किया गया।

कनिष्ठ लिपिक की वेतन वृद्धि के लिए टंकण परीक्षा

1108. **श्री गंगा सहाय (कठूमर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिक्षा विभाग (अनुभाग iv) द्वारा इस प्रकार का आदेश या पत्र जारी किया गया है कि नवीन वेतनमान, 1969 के अन्तर्गत टंकण परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में वेतन वृद्धियाँ जो दी जा चुकी हैं उन्हें निरस्त किया जावे तथा ऐसे कर्मचारियों को अधिक दी गयी राशि की वसूली की जावे ? यदि हाँ, तो ऐसे कितने कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ा है ?

(2) क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वास वृपाल नगर (अलवर) में नियुक्त अनुसूचित जाति के कनिष्ठ लिपिक श्री किशनलाल की नियुक्ति 1973 में हुई थी और उसे वेतन वृद्धियां दी गयी हैं और अब उनकी उनसे वसूली की जा रही है ?

(3) क्या उक्त कनिष्ठ लिपिक की सेवा पुस्तिका में यह इन्द्राज है कि उसने टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है ? यदि हां, तो इसके बावजूद भी नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी द्वारा टंकण परीक्षा ली है उसमें निर्धारित टंकण गति नहीं पाई गई ? यदि हाँ, तो नियुक्ति से पूर्व यह जाँच क्यों नहीं की गयी और कर्मचारी की टंकण की जांच करने के लिए पूर्व में सूचना क्यों नहीं दी गयी ?

(4) क्या टंकण गति के अलावा विभाग द्वारा किसी प्रकार प्रोफिसीयेन्सी टैस्ट भी लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनुसूचित जाति के कर्मचारी को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए ही ऐसा किया है ?

(5) क्या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पूर्व में इस प्रकार नियुक्ति कर्मचारियों के हित में किसी प्रकार का निर्णय लेने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से ऐसे कोई नियम नहीं बनाये गये हैं किन्तु वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–9 (57) एफ डी (एल) 69 दि. 19-11-69 एवम् मन्त्री मण्डल सचिवालय व्यवस्था एवं पद्धति विभाग के परिपत्र संख्या एफ 11(2) एण्ड। 65 दि. 12-5-69 के अनुसार

(शिक्षा मन्त्री)
नियुक्ति अधिकारी द्वारा लिये गये टंकरण टैस्ट के बिना वेतन वृद्धि स्वीकार नहीं की जा सकेगी।

(2) जी हां। टाईप टैस्ट पास न करने के कारण महालेखाकार राजस्थान, जयपुर की आडिट पार्टी द्वारा लगाये गये आक्षेपी के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जानी है।

(3) जी हां। किन्तु यह नियमानुसार नहीं है और न मान्यता प्राप्त है। हडताल अवधि में नियुक्ति होने के कारण टंकण की जांच नहीं हो सकी।

(4) जी नहीं। प्रोफिसीसैंसी टेस्ट के नियम 1978 में बने हैं अतः कर्मचारी को आर्थिक हानि पहुंचाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(5) राज्य सरकार के आदेश एफ-9 (5) एफ-डी/जी आर-2/76 दि. 27-9-77 से ऐसे कर्मचारियों को अब टाईप टैस्ट अथवा प्रोफिसीयेन्सी पास करने पर नोशनल वेतन 1-4-77 से प्राप्त करने के आदेश है।

बीकानेर-हनुमानगढ़ रोड में आई भूमि का स्थानान्तरण

1109. **श्री गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में बीकानेर-हनुमानगढ़ रोड में आई भूमि का स्थानान्तरण डा. महावीर सिंह केसवा को दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था और यह रोड (जिसमें भूमि सड़क में आई है) बीकानेर-हनुमानगढ़ रोड का यह भाग (लिंकरोड) है जो नगर के अन्दर से गुजरता है?

(3) नगरपालिका सीमा में इस सड़क में कितने लोगों की भूमि आई और अब तक किस किस व्यक्ति को मुआवजा या ट्रांसफर किया गया?

(4) क्या पी. डब्ल्यू. डी. रोड़ में आई भूमि का स्थानान्तरण या मुआवजा दिया जाना नगरपालिका द्वारा उचित है? यदि हां, तो कैसे?

(5) डा. महावीर सिंह केसवा को जिस प्लाट के बदले ट्रांसफर दिया गया है क्या यह प्लाट पालिका द्वारा डा. केसवा को बेचा गया था? यदि हां, तो कब और किन किन शर्तों पर? यदि नहीं, तो किसे बेचा गया और कब? तथा इस प्लाट का कुछ भाग सड़क में कब आया, और डा. केसवा ने इस प्लाट की रजिस्ट्री कब करवाई और क्या सड़क में आई भूमि का रजिस्ट्री में कहीं उल्लेख किया है या नहीं?

(6) डा. केसवा ने कुल कितनी भूमि की रजिस्ट्री करवाई और इसमें सड़क में

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

कितनी आई थी और ट्रांसफर में कितनी भूमि दी गई ?

(7) क्या यह सही है कि जिस प्लाट को डा. केसवा ने खरीदा था और जिसकी कुछ भूमि सड़क में आई हुई थी वह आवासीय था और जिस स्थान पर स्थानान्तरण दिया गया है वह जगह अस्पताल के पास है और वहां नक्शे में दुकानें कटी हुई हैं और वहां व्यापारी उद्देश्य से बहुत ही कीमती भूमि है ? यदि हां, तो फिर भी इस स्थान पर यह स्थानान्तरण क्यों दिया गया ?

(8) क्या यह सही है कि इस स्थानान्तरण में स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डाल कर यह कार्यवाही करवाई गई ? यदि हां, तो किस किस ने दबाव डाला और क्या यह उचित था ?

(9) क्या सरकार को विदित है कि यह ट्रांसफर गलत हुआ है ? यदि हां तो क्या इसे रद्द कर रजिस्ट्रेशन रद्द करवाने की कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । राज्य सरकार के आदेश दुबारा परीक्षण के पश्चात रद्द कर दिया है ।

(2) जी हां ।

(3) पालिका में इसकी पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है इसलिये अब इसका सर्वे करवाया जा रहा है । केवल एक व्यक्ति ने भूमि स्थानान्तरण करने का निवेदन किया था ।

(4) जिस विभाग या संस्था द्वारा रोड बनाई जावे उसी के द्वारा मुआवजा भी दिया जाना ।

(5) जी नहीं । उक्त प्लाट 1917 में भूतपूर्व बीकानेर राज्य द्वारा श्री कालूराम को आवंटित किया गया था । सड़क 1965-66 में बनी है । डा. केसवा ने यह 28-11-75 को खरीदा था रजिस्ट्री में सड़क की भूमि का कहीं उल्लेख या विवरण नहीं है ।

(6) कुल 825 वर्ग गज (2—2) की रजिस्ट्री कराई । सड़क में 315 वर्ग गज (2—2) भूमि आई एवं मुआवजे में 315 वर्ग गज (2—2) भूमि पूर्व में दी गई थी ।

(7) जिस प्लाट को डा० केसवा ने खरीदा था, वह आवासीय था तथा जो भूखण्ड बदले में दिया, यह भी आवासीय था । शिकायत के कारण मामले में परीक्षण किया गया एवं ट्रांसफर रद्द कर दिया गया ।

(8) दबाव के सम्बन्ध में कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है ।

(9) रद्द कर दिया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को आवासीय सुविधा

1110. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत वर्ष सर्वाधिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खोले गये ?

(2) क्या यह सही है कि अध्यापकों को रहने के लिये मकान उपलब्ध नहीं होने से वे गांवों में नहीं रहते हैं जिसके फलस्वरूप बहुत से गांवों में अक्टूबर-नवम्बर तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है और अध्यापक 50-60 किलोमीटर तक की बस यात्रा कर के आते हैं और दोपहर 12 या 1 बजे तक विद्यालय पहुंचते हैं ?

(3) शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या राज्य सरकार अध्यापकों के लिये गांवों में विद्यालय के पास, उपयुक्त स्थान पर, राजकीय क्वार्टर बनाना चाहेगी ? यदि हां, तो क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कई दूरस्थ गांवों में अध्यापकों को मकान मिलने में कठिनाई अवश्य होती है। विद्यालय में समय पर आने का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(3) वर्तमान वित्तीय साधनों को देखते हुए ऐसा सम्भव प्रतीत नहीं होता।

मन्डोर और पूंजला (जोधपुर) पचायत क्षेत्र में नालियों व सड़कों का निर्माण

1111. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में मन्डोर और पूंजला पंचायतों के क्षेत्र, नगर पालिका सीमा में 1961-62 या इससे पूर्व सम्मिलित, राज्य आदेश द्वारा किये गये थे ? अगर हां, तो ऐसे क्षेत्रों (गांवों) में सड़कों, नालियों आदि की क्या निर्माण योजना राज्य सरकार के पास है ?

(2) जोधपुर नगरपालिका सीमा में इस प्रकार सम्मिलित किये गये गांवों एवं बस्तियों में सड़कों के अतिशीघ्र निर्माण हेतु राज्य सरकार कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकृत करना चाहेगी ?

(3) क्या यह सही है कि कथित पूंजला और मण्डोर क्षेत्र के गांवों में सड़कों के विकास के लिये 25 लाख रुपयों की आवश्यकता है तथा नगर पालिका के पास सीमित वित्तीय साधन हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि आवश्यक धनराशि जल्द से जल्द प्रदान करे ?

(4) क्या राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 1979-80 में 15 लाख रु. और 1980-

(श्री माधोसिंह कछवाह)
81 में 10 लाख की स्वीकृति प्रदान करेगी? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस क्षेत्र में चालू वर्ष के लिए सड़कें व नालियों के लिए कुल 1,12,000/-रु० खर्च किये गये हैं। राज्य सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) प्राथमिकता एवं वित्तीय स्थिति के अनुसार कार्यवाही नगर परिषद द्वारा की जा सकेगी।

(3) अभी विस्तृत योजना नहीं बनाई गई है। राज्य सरकार के द्वारा धन की उपलब्धि, उसके वित्तीय साधनों पर निर्भर करती है।

(4) इसका उत्तर प्रश्न के खण्ड (2) व (3) में आ गया है।

जयपुर में छात्रों के लिए खेल के मैदान

1112. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में किन किन विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था है ?

(2) कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनमें विद्यार्थियों के लिए खेल के मैदान की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(3) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कब तक समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में जिन विद्यालयों में खेल के मैदान की व्यवस्था है उसकी सूची संलग्न है।

[परिशिष्ट—क]

(2) सूची संलग्न है।

[परिशिष्ट—ख]

(3) सीमित वित्तीय साधनों के अनुसार राज्य सरकार खेलों के मैदान के विकास के लिये प्रयत्नशील है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

नगरपालिका कर्मचारियों को राज्यवत वेतन शृंखला

1113. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितनी नगरपालिकायें किस किस श्रेणी की हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उन नगरपालिकाओं में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान न तो

(श्री मूलचन्द डागा)
वेतन श्रृंखला ही है और न महंगाई भत्ता ही है और न अन्य प्रकार की सभी सुविधायें हैं ? यदि हैं, तो क्या ?

(3) क्या नगरपालिका कर्मचारियों ने कोई राज्य सरकार के समक्ष अपना मांग-पत्र सन् 78 में पेश किया ? यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं और उनके निराकरण के लिये राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ? माँग-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि सन् 1976 में राणावत वेतन श्रृंखला राज्य की सभी नगरपालिकाओं में लागू कर दी गई थी ? यदि हां, तो उसकी अनुपालना किन किन नगरपालिकाओं ने कर ली है और किन किन ने नहीं की और उनको लागू करवाने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्य की कुल नगरपालिकायें 189 हैं

1. प्रथम श्रेणी की	15
2. द्वितीय श्रेणी की	31
3. तृतीय श्रेणी की	60
4. चतुर्थ श्रेणी की	75
5. अवर्गीकृत	8
	189

(2) जी नहीं । नगर पालिका के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन श्रृंखला, महंगाई भत्ता, मकान किराया, सवारी भत्ता आदि की सभी सुविधायें दी जा रही हैं ।

(3) जी हां । मांग पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । उसकी कुछ मांगों को राज्य सरकार ने मान लिया है और कुछ विचाराधीन हैं ।

(4) जी हां । समस्त नगर पालिका के कर्मचारियों को संशोधित नवीन वेतन मान 1976 से दिये गये है ।

(मांग पत्र के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राज्य में चुंगी से मुक्त किये गये उद्योग

1114 श्री **मूल चन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किन उद्योगों को किस किस आधार पर उद्योग विभाग ने चुंगी देने से मुक्त कर दिया है ? इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग द्वारा जारी की गई आज्ञा की प्रति, जो स्वायत्त शासन विभाग ने नगरपालिकाओं व नगर परिषदों को चुंगी वसूल नहीं करने के लिये दी, की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार की आज्ञा के कारण बड़े बड़े उद्योग, जो लाखों

(श्री मूल चन्द डागा)

का लाभ कमाते हैं व नगरपालिकाओं व नगर परिषदों को चुंगी नहीं देने के कारण बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस पर नये सिरे से विचार करेगी और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की औद्योगिक विकास से संबंधित नीति के अनुसरण में चुंगी मुक्ति उद्योग विभाग की सिफारिश पर की जाती है। चुंगी मुक्ति संबंधी आदेश राजकीय नीति अनुसार स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी किया गया है जिसकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) यह सही है कि चुंगी मुक्ति संबंधी इन आदेशों से नगरपालिकाओं व नगर परिषदों को चुंगी राशि की हानि होती है। परन्तु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की मंशा से किया गया है।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

ग्राम छारसा के सहायक अध्यापक के विरुद्ध शिकायतें

1115. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा-राम गढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम छारसा की उच्च प्राथमिक शाला के सहायक अध्यापक श्री बाबूलाल का कितनी बार स्थानान्तरण आदेश हुआ और कितनी बार यह आदेश निरस्त किया गया है ? कृपया प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अध्यापक के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच हुई है ? यदि हां, तो कब कब व जांच का क्या परिणाम रहा और क्या जांच सही पाये जाने पर स्थानान्तरण ही किया जाता है ?

उत्तर

(1) सत्र 78–79 में इनका स्थानान्तरण दो बार किया गया है जिनमें से एक बार इनकी प्रार्थना पर किया गया है।

(2) जी हां। जांच दो बार क्रमशः दि० 18–12–78 तथा 3–2–79 को की गई। केवल प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण कर दिया गया। आरोप सिद्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जयपुर की गृह निर्माण समितियां

1116. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या नगर नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में कितनी गृह निर्माण समितियां कार्यरत हैं ? इसमें कितनी समितियां पंजीकृत एवं अधिकृत हैं तथा कितनी समितियां अनाधिकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री ईश्वर चन्द्र)

(2) क्या मास्टर प्लान बनने के कारण इन समितियों में से कई समितियां निरर्थक हो गई हैं ? यदि हां, तो विवरण दें ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसी कई समितियों में जनता के मध्यम वर्ग व अल्प आय वर्ग के लोगों की गाढ़ी कमाई का धन फंसा हुआ हैं व ये समितियां रुपया वापस नहीं लौटा रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में इन लोगों की क्या सहायता करेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में कुल मिलाकर 205 गृह निर्माण सहकारी समितियां रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 87 समितियां कच्ची बस्ती में हैं। सूची संलग्न है। अनधिकृत समितियों की कोई सूचना नहीं है।

(2) जी हां। मास्टर प्लान बनाने से 24 समितियां गैर आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ती है। इसलिए इन समितियों की भूमियों को अवाप्ति की कार्यवाही से मुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी समितियों की सूची "अ" सलग्न है।

(3) समिति और भूखण्ड क्रेता का आपस का मामला है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य के विश्वविद्यालय

1117. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी-बाजार) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में तीन विश्वविद्यालय हैं ? यदि हां तो तीनों विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के एक वर्ष में कितने दिन निश्चित हैं ?

(2) पिछड़े वर्ष तीनों विश्वविद्यालयों में कितने दिवस पाठ्यक्रम पढ़ाया गया ? व कितने दिवस विश्वविद्यालय बन्द रहे ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ उपद्रवी छात्रों की वजह से विश्वविद्यालयों का वातावरण दूषित रहता है ? व उनकी वजह से बाकी विद्यार्थियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है तथा पढ़ने वाले छात्र भी इस वातावरण की वजह से नहीं पढ़ पाते ?

(4) क्या राज्य सरकार दूषित वातावरण पैदा करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कोई प्रभावी कदम उठायेगी व उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के निश्चित दिन करीब 224 हैं।

(2) विश्वद्यालय के विभिन्न कालेजों के विभिन्न विषयों में आमतौर पर हड़तालों के कारण कभी किसी विषय की किसी कक्षा में तथा कभी किसी कक्षा में किसी विषय में

(शिक्षा मन्त्री)

पढ़ाई में व्यवधान होता रहता है अतः तीनों विश्वविद्यालयों के सभी कालेजों के विभिन्न विषयों में किये गये अध्ययन की एक निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

(3) जी हां।

(4) समय समय पर दूषित वातावरण पैदा करने वाले छात्रों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाये जाते रहे हैं।

जयपुर में नया सार्वजनिक पुस्तकालय

1118. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार जयपुर में नया सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह योजना कितनी लागत की है?

(2) राज्य सरकार यह सार्वजनिक पुस्तकालय किस स्थान पर व कब तक स्थापित कर देगी?

उत्तर

(1) जी नहीं, केवल वर्तमान राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के लिए नये भवन का निर्माण संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये नये भवन का निर्माण कौन से स्थान पर होगा, यह प्रश्न भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जयपुर शहर के परकोटे के अन्दर की कच्ची बस्तियां

1119. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर शहर के परकोटे में कौन कौन सी कच्ची बस्तियां कब कब से हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कई कच्ची बस्तियों में मकान निर्माण हेतु पैसे व नक्शे नगर परिषद में जमा पड़े हैं? यदि हां, तो किन किन बस्तियों के कब कब से पड़े हैं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कब तक निर्णय लेकर निर्माण की अनुमति प्रदान कर देगी?

(3) क्या राज्य सरकार ने इन कच्ची बस्तियों के निवासियों को पट्टे वितरित कर दिये हैं? यदि हां, तो किन किन को? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार इन कच्ची बस्तियों के निवासियों को पट्टे वितरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सन् 1971 के सर्वे के अनुसार

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

जयपुर नगर परकोटे में 36 कच्ची बस्तियां हैं। सूची संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है। किसी भी बस्ती के निवासियों ने मकान निर्माण करवाने हेतु पैसे नगर परिषद में जमा नहीं कराए हैं। मकान निर्माण की स्वीकृति चाहने हेतु जो नक्शे पेश किये जाते हैं उनकी स्वीकृति विधिवत् भूखण्ड आवंटन होने के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा होने पर यथा शीघ्र दे दी जाती है। विभिन्न कच्ची बस्तियों में संलग्न सूची के अनुसार 57 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्शे पेश कर दिये हैं परन्तु निर्धारित शुल्क छावण फीस आदि अभी तक जमा नहीं कराई है जिसे उन्हें जमा कराने के लिए सूचित कर दिया गया है। शुल्क जमा होते ही उन्हें स्वीकृत पत्र दे दिया जावेगा

(3) नगरपरिषद जयपुर द्वारा इन कच्ची बस्तियों के उन सभी निवासियों को जिन्होंने रकम जमा करा दी है भूखण्ड आवंटन पत्र वितरित कर दिये हैं।

(4) परकोटे में बसी हुई कच्ची वस्तियों के उन सभी निवासियों को जो 1971 के सर्वे के अनुसार काबिज हैं, भूखण्ड आवंटन पत्र देने हेतु परिषद सतत् प्रयत्न शील है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

नगरपालिका भीनमाल में अतिक्रमण के विचाराधीन मामले

1120. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि नगर-पालिका भीनमाल में अतिक्रमण के मामलों की हजारों फाइलें लम्बे समय से विचाराधीन चल रही हैं किन्तु उन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) अतिक्रमण की विचाराधीन फाइलों की सूची वार्ड वाइज कृपया सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल 148 मामलों की पत्रावलियां नियमितिकरण हेतु विचाराधीन है। जिनको निपटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) उक्त मामलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

जयपुर नगर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित मकान

1121. श्री गुलमोहम्मद (जौहरी

(श्री गुलमोहम्मद)

बाजार) : क्या नगर नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर नगर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा कुल कितने मकान बनाये गये तथा कितने मकान सरप्लस हैं ? उनकी सूची निर्माण वर्ष मकान संख्या एवं साइज दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) आज तक हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय पर कुल खर्चा कितना आता है ?

(3) गत वर्ष हाउसिंग बोर्ड द्वारा कुल कितने मकान बनाये गये तथा गत वर्ष हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय का कुल खर्चा कितना आया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) दिसम्बर 78 तक बोर्ड द्वारा जयपुर नगर में कुल 4044 मकानों का निर्माण किया गया, इनमें से दिसम्बर 78 तक 137 मकान सरप्लस थे जिनका आवंटन आगामी चौथी लाटरी में किया जा रहा है। सूची संलग्न हैं।

(2) जून 1978 तक कार्यालय पर कुल 192.58 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

(3) 1977–78 में कुल 3261 मकानों का निर्माण किया गया तथा कार्यालय व्यय 41.37 लाख हुआ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

ग्राम ढाणी सुवाणा (सरदार शहर) की चोरी का मामला

1122. **श्री हजारी मल सारण** (सरदार शहर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि श्री शेराराम पुत्र श्री रामू राम गांव ढाणी सुवाणा, तहसील सरदार शहर जिला चूरू ने पन्द्रह हजार रुपये के मूल्य के गहने व नकद चोरी होने का एक मुकदमा सन् 1978 में पुलिस थाना सरदार शहर में दर्ज कराया था ? यदि हां, तो किस माह व तारीख में तथा उसके एफ. आई. आर. नम्बर क्या हैं ? एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त मामला श्री शेराराम की शिकायत पर सी. आई. डी. को स्थानांतरित कर दिया गया ? यदि हां, तो कब और सी. आई. डी. के किस अधिकारी के सुपुर्द किया गया ?

(3) उक्त मामले में अब तक सी. आई. डी. द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 31-9-78 को अभियोग नं. 23/78 दर्ज हुआ है। एफ. आई. आर. की प्रति संलग्न है।

(गृह मन्त्री)

(2) जी हां। श्री रतन सिंह निरीक्षक सी. आई. डी. (सीबी) रेन्ज बीकानेर को दिनांक 7-7-78 को सुपुर्द किया गया है।

(3) अनुसंधान जारी है।

(एफ. आई. आर. के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

झालावाड़ जिले के राष्ट्रीयकृत मार्ग

1123.**श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहर थाना) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) झालावाड़ जिले में किस 2 मार्ग पर राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने राष्ट्रीयकरण किया हुआ है और क्या उन मार्गों पर सभी बसेज नियमित चल रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिले में जितनी बसेज की आवश्यकता है उतनी उतनी बसेज लाइन पर नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि 73 बसेज के स्थान पर केवल 49 बसें ही चल रही है ?

(4) क्या यह सही है कि लाइने बंद पड़ी हैं और लोग ट्रकों, ट्रेक्टरों आदि से सफर करते रहते हैं ?

(5) क्या यह सही है कि जिले में चैकिंग की व्यवस्था ठीक नहीं है और कन्डेक्टर निगम की धनराशि को हड़प रहे हैं ?

(2) किस 2 मार्ग पर पिछले 1 साल में कितनी बार चैकिंग किया गया, कितनी अनियमिता पाई और कितनों को दोषी पाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची वाहन संचालन के आंकड़े सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। 73 में से 65 बसें मार्ग पर चल रही हैं।

(4) जी नहीं। ट्रकों ट्रेक्टरों में मामूली पैसे देकर लोग सफर कर लेते हैं। ऐसे लोग बसें होते हुए भी ट्रकों में चलना पसन्द करते हैं।

(5) जी नहीं। निगम द्वारा इस जिले में चैकिंग व्यवस्था और सुदृढ़ की जा रही है।

(6) वर्ष 1978–79 में झालावाड़ आगार के मार्गों पर विना टिकट यात्रियों के पकड़े गये मामलों व उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन को पटल पर रख दिया गया है।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के

कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य पथ परिवहन निगम की बसें और उनसे होने वाली आय

1124. **श्री राम सिंह विश्नोई** (लूनी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें चालू हैं और उनसे प्रतिदिन कितनी आमदनी होती है व प्रतिदिन का कितना खर्चा होता है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबलें निगम की बसों को ज्यादा किराया देना पड़ता है व गाडियों की हालत व अन्य उपलब्ध सुविधाऐं दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है ? अगर हां, तो सुविधाऐं बढ़ाने हेतु निगम क्या योजना बना रहा है ?

(3) निगम की सुपर डीलक्स व डीलक्स एक्सप्रेस बसों में तथा आर्डनरी बसों में क्या-क्या भिन्नता है, व क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनके किराये में कितना–कितना अन्तर हैं ?

(4) क्या यह सही है कि सुपर डीलक्स बसों में जो निगम से अनुबंधित हैं उनमें जो सुविधाए उपलब्ध हैं वो अप टू दी मार्क (जैसे सिटिंग केपेसिटी वगैरह) नहीं है यानि सुपर डीलक्स व डीलक्स बसों में जो आवश्यक सुविधाए होनी चाहिए वो नहीं हैं और किराया सुपर डीलक्स व डीलक्स का लिया जाता है ? यदि यह सही हैं, तो राज्य सरकार इनमें सुविधाए बढ़ाने के लिये क्या व्यय करने जा रही है ?

(5) निगम की बसें जो राज्य व राष्ट्रीय मार्गों तथा मुख्य मार्गों के अलावा जो बसें चलती हैं उनमें सवारियां कैपेसिटी से ज्यादा भरने के बावजूद निगम को आमदनी आधी ही होती है ? इस हानि व चोरी से निगम को बचाने के लिये, राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) दिनांक 26-3-79 को निगम की 1806 बसें मार्गो पर चालू थी । वर्ष 77-78 में निगम की दैनिक संचालन आय 7.34 लाख रुपये तथा औसत दैनिक व्यय 7.93 लाख रुपया रहा ।

(2) जी नहीं ।

(3) निगम की साधारण, डीलक्स व सुपर डीलक्स बसों में सुविधाओं में अन्तर सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । निगम की विभिन्न श्रेणी की बसों की किराये की दरें निम्न प्रकार है:–

1. सुपर डीलक्स/डीलक्स 9.3 पैसा प्रति कि. मी. (मय यात्रीकर)

2. सेमी डीलक्स 8.00 पैसा प्रति कि.मी. (मय यात्रीकर)

3. एक्सप्रेस वाहन सेवा 6.6 पैसा प्रति कि. मी. (मय यात्रीकर)

(यातायात मन्त्री)

4. साधारण वाहन सेवा 5.94 पैसा प्रति कि. मी. (मय यात्रीकर)

(4) जी नहीं। निगम से अनुबन्धित सुपर डीलक्स/डीलक्स वाहनों में भी नियमानुसार सुविधायें उपलब्ध हैं।

(5) निगम की वाहनों में बिना टिकट यात्रा को रोकने हेतु बिना टिकट यात्रा निवारण अधिनियम बनाया हुआ है। वाहनों की निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

चौमूं में निगम का डिपो

1125. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमूं) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से डिपो, सब डिपो चालू वर्ष में कितने खोले गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या चौमूं यातायात प्रमुख केन्द्र है ? वहां सब डिपो खोलने की योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या चौमूं से चन्दवाजी, रेनवा खेजरोली, अजीतगढ़ आदि मार्गों पर राज्य सरकार के पास निगम की यात्री बेसें चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त मार्गों पर यात्री बसें चलायी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) जयपुर से चौमूं तक सी. टी. एस. की कितनी बसें चलाई जाती है ? क्या सवारियों की संख्या को देखते हुए और अधिक बसें बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा वर्ष 1978 में निम्न आगार खोले गये :-

1. द्रुतगामी आगार, जयपुर।
2. धौलपुर आगार
3. नागौर आगार

(2) जी नहीं। जयपुर से चौमूं 32 कि० मी० दूर है, इतनी छोटी सी दूरी पर सब डिपो खोलने का औचित्य नहीं है। इसके अलावा चौमूं से नियन्त्रित किये जाने वाले अन्य राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है।

(3) चौमूं से चन्दवाजी मार्ग की राष्ट्रीयकरण योजना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68 (सी) के अन्तर्गत राजपत्र में दिनांक 31-12-76 को प्रकाशित की जा चुकी है संयुक्त विधि परामर्शी (द्वितीय) के पास विचाराधीन है। चौमूं से रेनवाल मार्ग की राष्ट्रीयकरण योजना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68 (सी) के अन्तगंत प्रकाशित की जा रही है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68 (ग) के अन्तर्गत इन योजनाओं के राजपत्र में प्रकाशन होने के पश्चात् ही उक्त मार्गों पर निगम द्वारा वाहन संचालन किया जाना सम्भव होगा।

(यातायात मन्त्री)

चौमूं से खेजरोली, अजीतगढ़ मार्गों की राष्ट्रीयकरण योजना वर्तमान में निगम के विचाराधीन नहीं है।

(4) जयपुर चौमूं मार्ग पर 60 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। इस मार्ग पर सी. टी. एस. की कोई वाहन संचालित नहीं होती है। ग्रीष्मकालीन समय सारिणी में जो दिनांक 15-4-79 से लागू की जानी प्रस्तावित है, जयपुर चौमूं मार्ग पर 70 परिचक्र संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त चौमूं होकर अन्य मार्गों पर संचालित परिचक्रों की संख्या 40 अप 40 डाउन है।

चूरू जिले के आयुर्वेदिक औषधालय

1126. श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चूरू जिले में कुल कितने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? इनमें जून, 77 से दिसम्बर, 78 तक कितने औषधालय खुले ? तहसील व गांववार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गांवों व शहरों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का आधार क्या है ?

(3) क्या सन् 78-79 में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार राज्य सरकार रखती है ? यदि हां, तो चूरू जिले में कितने खोले जायेंगे ?

(4) क्या जिले में सभी औषधालय के भवन बने हुए हैं ? यदि नहीं, तो कहां कहां नहीं तथा कब तक बना दिये जावेंगे ?

(5) काम के बदले अनाज योजना में जिले में कितने और कहां कहां औषधालय भवन बनाने का कार्य हाथ में लिया गया है। कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में कुल 84 आयुर्वेदिक एवं 1 यूनानी औषधालय है। जून, 1977 से दिसम्बर, 1978 के मध्य 18 नवीन औषधालय खोले गये हैं। तहसीलवार औषधालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र

1. छठी पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम दस औषधालय करना।

2. ग्राम में निःशुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध होना।

3. अन्य चिकित्सा सुविधा 8 कि. मी. की दूरी तक अनुपलब्धता व प्रभावी जनसंख्या कम से कम 2000 होना।

शहरी क्षेत्र

प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में कम से कम एक औषधालय करना।

(3) जी नहीं। वर्ष 1978-79 में जन-

आयुर्वेद मन्त्री)

जाति क्षेत्र में 6 नवीन औषधालय खोलने का प्रावधान था तथा औषधालय खोले जा चुके हैं।

(4) जी नहीं। औषधालय भवनों का निर्माण जन सहयोग से ही कराया जाता है। निम्नांकित स्थानों पर भवन बने हुए नहीं है :–

1. पहाड़सर 2. बडिला 3. लाखाऊ 4. ठिकरियासर 5. मेहरी 6. बकनसरबड़ा 7. लसेड़ी 8. विग्गावासरमिसरा 9. लिखमादेसर।

(5) जिले में इस योजना के अधीन औषधालय भवन बनाने का कार्य हाथ में नहीं लिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

जोधपुर मेडिकल कालेज में असन्तोषप्रद शिक्षा कार्य

1127. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मेडिकल कालेज, जोधपुर में शिक्षा कार्य संतोषप्रद नहीं है और चिकित्सा सेवाओं में लगातार कमी होती जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालेज के प्रिन्सिपल प्राय: जोधपुर के बाहर रहते है ? जनवरी, 1978 से दिसम्बर, 1978 तक प्रिन्सिपल बाहर रहने की (जोधपुर बाहर) माहवार अवधि विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि प्रिंसिपल जोधपुर के बाहर होते हैं तो चार्ज जूनियर डाक्टर को देकर जाते हैं ? चार्ज किस डाक्टर को देना चाहिये और किन किन डाक्टरों को वर्ष 1978–79 में (फरवरी, 1979 तक) दिया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि प्रिंसिपल ने कोई भी क्लास नहीं पढ़ाई ? यदि नहीं, तो कब और कितनी ?

(5) क्या यह सही है कि मेडिकल कौंसिल आफ इन्डिया की स्वीकृति के बाद भी उक्त कालेज में पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षाएं शुरू नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मेडिकल कालेज जोधपुर में शिक्षा कार्य सन्तोषप्रद है तथा चिकित्सा शिक्षा सेवाओं का निरन्तर विकास हो रहा है।

(2) जनवरी, 1978 से दिसम्बर, 1978 तक प्रिंसिपल के बाहर रहने का विवरण संलग्न हैं।

(3) विवरण संलग्न हैं। तथा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक का चार्ज प्रसर को दिया जाता है क्योंकि वे ही सीनियर होते हैं।

(4) अध्यापन कार्यक्रम स्नातकोत्तर शिक्षा एवं विभागीय शिक्षकों के पथ प्रदर्शन हेतु प्रिंसिपल का निम्न अनुदान रहा :–

(चिकित्सा मन्त्री)

1. स्नातक छात्र शिक्षा :– सप्तम से नवम सेमेस्टर के छात्रों की प्रातःकालीन क्लिनीकल कक्षाओं में प्रति माह :

क–क्लिनीकोसियल केस स्टेडीज की अध्यक्षता एवं अध्यापन ।

ख–होस्पीटल सेनिट्रेशन का अध्यापन ।

ग–प्रायोगिक शिक्षा का एसेसमेंट ।

घ–स्नातकोय छात्रों द्वारा फैमिली केयर एवं प्रोजेक्ट वर्क के अमेंडेशन में अध्यक्षता एवं अध्यापन ।

सारक्षित रुप से प्रधानाचार्य ने प्रायोगिक शिक्षा पर अधिक बल दिया एवं छात्रों की प्रायोगिक कलाओं की रूपरेखा और अध्यापन में पूर्ण समय समग्र सहयोग दिया ।

2. इस्टर्न शिप ट्रेनिंग :– स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, मन्डोर पर इस्टर्न की समय समय पर कक्षाऐं एवं उनके द्वारा किये गये गन्वेषण एवं कार्य का मूल्यांकन ।

3. स्नातकोत्तर शिक्षा :– विभाग के अन्य शिक्षकों एवं स्नातकोत्तर छात्रों की शिक्षा के लिए नियमित रुप से जनरल क्लब में सक्रिय सहयोग एवं अध्यापन ।

(5) चूंकि राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 3-3-79 से शैक्षणिक वर्ष 79-80 से प्रारम्भ करने की इजाजत दी हैं अतः इस समय कक्षाएं प्रारम्भ नहीं की जा सकी है तथा विषय पर अग्रिम कार्यवाही जारी है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

जोधपुर की चिकित्सा सेवा में आवश्यक सुधार

1128. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर नगर में चिकित्सा सेवा में आवश्यक सुधार के लिये बिलकुल नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में फ्लश शौचालय 32, स्नान गृह 55, पेशाब घर 28, वाशबेसिन 13, क्लीनर सिंक 6 और कीचन सिंक 4, आदि की आवश्यकता है जिसका अनुमानित व्यय 4 लाख होगा ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति गत वर्ष क्यों नहीं प्रदान की ?

(3) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में पीने के लिये स्वच्छ पानी नहीं दिया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिकतम होती है ? यदि हां, तो जल व्यवस्था के सुधार की आवश्यकता सरकार की जानकारी में होते हुवे भी गत वर्ष क्यों नहीं सुधार किया गया ? इसके लिये कितने धन को आवश्यकता होगी और

(श्री माधोसिह कछवाह)

वर्ष 1979 में कब जल की व्यवस्था का कार्य होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। सम्पूर्णानन्द मेडीकल कालेज जोधपुर के प्राचार्य ने इन सब कार्यों के लिये चार लाख रुपये की मांग वर्ष 78-79 में की थी लेकिन वित्तीय संकोच के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी है, तथा जो द्रव्य दिया गया है वह प्राचार्य, मेडीकल कालेज, जोधपुर के निर्णय के अनुसार ही प्राथमिकता के तौर पर अब खर्च किया जावेगा।

(3) महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में जल प्रदाय विभाग का स्वच्छ जल ही रोगियों को उपलब्ध कराया जाता है। जल प्रदाय विभाग के स्वच्छ पानी में अधिक नाइट्रेट रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस अस्पताल को अब ब्रस-बाग कुएं से पानी नहीं दिया जाता है जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक बतलाई जाती है। इस कुएं का पानी अस्पताल के केवल धोबी घाट के लिये दिया जाता है।

(4) अस्पताल की सम्पूर्ण जल व्यवस्था को बदलने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने 11,1100 रुपये का अनुमान बताया है जिस पर सरकार वित्तीय उपलब्धी के सन्दर्भ में विचार करेगी।

राज्य में कार्यरत सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता

1129. श्रीमदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक का मानना है कि ए. एच. डब्ल्यू. द्वितीय श्रेणी कम्पाउन्डर से बेहतर काम करते हैं और उन्हें बेहतर वेतन दिया जावे किन्तु निदेशक की इस सिफारिश को राज्य सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अमल में लाना तो दूर रहा उन्हें क्लर्क के समान वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या 1958 में इस योजना की शुरूआत ही पद का नाम मेडिकल एण्ड हैल्थ एसिस्टेन्ट रखने की बात राज्य सरकार ने अपने आदेशों में कही थी लेकिन आज तक यह किया जाना बाकी है? वैसे भी ए. एच. डब्ल्यू. डाक्टर और कम्पाउन्डर के बीच की कड़ी हैं और उप केन्द्रों, एड पोस्टों पर प्रभारी का काम 20 वर्ष से कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों नहीं उन्हें उनका पद मेडिकल एण्ड हैल्थ एसिस्टेंट किया गया? क्या राज्य सरकार शीघ्र ही इसके आदेश देगी ?

(3) क्या राणावत वेतन आयोग तक इन ए. एच. डब्ल्यू. की वेतन श्रृंखला प्रथम श्रेणी के कम्पाउन्डर के समक्ष थी पर बाद में इसे घटाकर द्वितीय श्रेणी के कम्पाउन्डर से भी कम कर दी गयी तथा इसके उलझे

(श्री मदनसिंह दांता)

हुए मामलों पर भटनागर समिति बैठाई गई पर हुआ कुछ नहीं, यदि हां तो इनकी वेतन शृंखला राणावत वेतन आयोग के अनुसार किस आधार पर नहीं की गई ? क्या राज्य सरकार इनकी वेतन शृंखला डाक्टर और कम्पाउन्डर के मध्य कर देने के तुरन्त आदेश देगी ?

(4) क्या इन ए. एन. डब्ल्यू. की पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? क्या राज्य सरकार इनकी पदोन्नति का प्रावधान रखे जाने के आदेश देगी ?

(5) क्या ए. एच. डब्ल्यू. को दो वर्ष में एम. बी. बी. एस. का लघु पाठ्यक्रम पढ़वाया जाता है किन्तु गत बीस वर्ष से वह ए. एच. डब्ल्यू. ही रह सके हैं ? क्या राज्य सरकार इनके लिए एम. बी बी एस. अंशकालीन पाठ्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता समझते हुए आदेश देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्लर्क, ए. एच. डब्ल्यू. व कम्पाउन्डर ग्रेड–2 की योग्यता, प्रशिक्षण काल व कार्य में अन्तर है उसके अनुसार उनके वेतनमानों में भी अन्तर है :—

क्लर्क, मैट्रिक पास व टंकण जानने वाला

वेतन 355–570

ए. एच. डब्ल्यू., मैट्रिक, दो वर्ष का प्रशिक्षण वेतन–370–590

कम्पाउन्डर श्रेणी–ii मैट्रिक, तीन वर्ष का प्रशिक्षण, वेतन–440–770

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

(4) राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) जी नहीं।

पी. एच. सी. कादेड़ा की ए. एन. एम. का बकाया वेतन

1130. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अजमेर पी. एच. सी. कादेड़ा, उप केन्द्र तसवारिया में सेवारत श्रीमती शारदा देवी ए. एन. एम. का जून 1976 का वेतन बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या श्रीमती शारदा देवी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र बार बार देने के उपरान्त भी अभी तक वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) जिस चिकित्सा अधिकारी द्वारा वेतन हरण किया गया है, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या श्रीमती शारदा देवी द्वारा कोई

(श्री कुंजीलाल)

कानूनी नोटिस दिया है ? अगर हां, तो उसके उपरान्त भी विभाग द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई जबकि कानूनी नोटिस को एक वर्ष बीत गया है ? अगर श्रीमती शारदा देवी अदालती कार्यवाही करे, तो विभाग को कितनी हानि उठानी पड़ेगी और उस हानि का जिम्मेवार कौन होगा ? मय ब्याज के अब श्रीमती शारदा देवी को वेतन कब दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह पैसा बैंक से ड्रा करने के बाद डाक्टर और कनिष्ठ लिपिक के दरमियान गबन होना लगता है जिसकी जांच करवाई जा रही है।

(2) जी हां, वेतन भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) चिकित्सा अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध विभागीय जांच करवाई जा रही है।

(4) जी हां। विभाग द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी के अदालती कार्यवाही से, विभाग को कितनी हानि होगी, का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

मेल नर्स प्रशिक्षणार्थियों का बकाया वेतन

1131. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जो कर्मचारी स्थाई तौर पर राज्य सेवा में थे उनमें से कुछ कर्मचारियों का चयन, चयन समिति द्वारा मेल नर्स प्रशिक्षण के लिये किया गया था ?

(2) क्या वह सब कोटा, उदयपुर, अलवर, जोधपुर, सीकर आदि केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

(3) क्या इन प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एक वर्ष से नहीं दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार के आदेश से सितम्बर, 1977 से प्रशिक्षणार्थियों को पूर्ण वेतन दिये जाने के आदेश हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। सितम्बर, 1977 से प्रशिक्षणार्थियों को पूर्ण वेतन दिये जाने का अभी तक राज्य सरकार का कोई आदेश नहीं है।

तहसील लालसोट के ग्रामों में शुद्ध जल की व्यवस्था

1132. श्री हरसहाय मीणा (लालसोट) :

श्री रामकिशोर मीणा : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार कितने ग्रामों में शुद्ध जल उपलब्ध कराने की योजना रखती है ?

(श्री हरकिशोर मीणा)

(2) लालसोट तहसील, जिला जयपुर में स्थित ग्राम रामगढ़ पचवारा द्वारा जन सहयोग के रूप में क्या कोई राशि जमा कराई गई है ? यदि हां, तो कितनी व कब ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त ग्राम को शुद्ध पेय जल सुलभ करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979–80 में 600 गांवों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) जी हां, रु० 2500·00 की धन राशि वर्ष 1973 में जमा कराई गई थी।

(3) योजना का चयन, जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों में प्राथमिकता, धन की उपलब्धी एवं तकनीकी उपयुक्ता के आधार पर किया जा सकेगा।

खातौली, केथोंदा सड़क निर्माण में अवाप्त भूमि के मुआवजे की बकाया

1133. **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खातौली केथोंदा सड़क में किसानों की कृषि योग्य भूमि ली गई है ? यदि हां, तो किसकी कितनी ? प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, निवासी, जाति, खसरा नं. तथा कुल ली गई भूमि सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त सड़क में ली गई भूमि का मुआवजा वितरित कर दिया गया ? प्रत्येक किसान को कितना मुआवजा, भूमि का कितना, फसल का कितना तथा कुल कितनी राशि दी गई ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या कुछ किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या इस मुआवजे के बारे में किसानों में असन्तोष है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण सूची में अंकित है।

(3) 14 व्यक्तियों को मुआवजा भुगतान दिया जाना शेष है।

(4) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उद्योगों को कच्चे माल का वितरण

1135. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदार पुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कच्चे माल का वितरण भेदभाव या क्षेत्रीय पक्षपात की नीति के आधार पर किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कच्चे माल के वितरण के लिये क्या आधार और न्याय पूर्ण प्रणाली है? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर में स्टॉक नहीं होने से कच्चे माल की समय पर प्राप्ति में कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं और छीजत/दोहरी ढुलाई आदि के कारण कच्चा माल मंहगा पड़ता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार जोधपुर में कब स्टाक खोलना चाहेगी ? यदि इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी हो, तो क्या और कब की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कच्चे माल का वितरण भेदभाव या पक्षपात की नीति पर नहीं किया जाता है। वितरण कच्चे माल की उपलब्धि, क्षमता, व इकाईयों की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। आवंटन का आधार व प्रणाली का विवरण संलग्न है।

(2) जोधपुर में राजस्थान लघु उद्योग निगम का आगार है, जहां पर अन्य आगारों के अनुपात में ही माल उपलब्ध कराया जाता है। अतः दोहरी ढुलाई एवं छीजत का प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य के अन्य प्रमुख नगरों अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, व उदयपुर में स्टाक यार्ड की स्थापना हेतु केन्द्रीय खाद्य एवं इस्पात मंत्री महोदय को 17 फरवरी, 1979 को निवेदन किया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

ग्राम कागदीवाड़ा से बजाजों की बावड़ी क्षेत्र में भूमि पर किये गये अनधिकृत कब्जे

1136. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्राचीन समय से राजस्व नक्शे में तथा वर्तमान में कुछ चालू हालत में ग्राम कागदीवाड़ा से बजाजों की बावड़ी (आमेर रोड) तक खसरा नं. 257 में एक आम रास्ता है ?

(2) इस आम रास्ते के नक्शे में खसरा न. 257 के अनुसार कितनी चौड़ाई है तथा वर्तमान में यह कितना चौड़ा रह गया है ?

(3) क्या इस रास्ते में कई व्यक्तियों ने अपने खेत बढ़ा कर बाड़े इत्यादि बनाकर अनधिकृत कब्जे कर लिए हैं? क्या राज्य सरकार इस रास्ते को चालू रखवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक

(श्री रामकरण सिंह)

तहसील द्वारा पैमाइश करा कर रास्ते में से अनधिकृत कब्जे हटा दिये जायेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नक्शों बंदोकत सं० 2025,34 में खसरा नं. 257 रकबा 219 पै. मु० रास्ता है।

(2) यह ग्राम रास्ता नक्शों में खसरा नं० 257 के अनुसार 50 फुट की चौड़ाई है व वर्तमान में इतना ही चौडा है। परन्तु एक जगह अतिक्रमण है।

(3) सिर्फ एक व्यक्ति श्री गोपालसिंह पुत्र चौथू सिंह ने 50 इन्टू 50 बराबर 2500 वर्गफुट पर सन 1978 से अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। इनके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय दिनांक 6–3–79 को निर्णय हुआ है। कब्जा खाली करने हेतु नोटिस दिया गया है।

मौजे माम्मेलाइ में जुर्माने की वसूली रोकना

1137. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पाली तहसील मौजे माम्मेलाइ के निवासी भीमा व प्रेमा पुत्र विशना राइ-कान पर मुकदमा नं. 582175 में 2425) रु. का दिनांक 10 दिसम्बर, 1975 को जुर्माना किया गया ?

(2) क्या उक्त व्यक्तियों के लिए जो जुर्माना लगाया गया था वह दिनांक 19 जनवरी, 1976 को पुन: उसी पत्रावली पर निरस्त कर दिया गया ?

(3) क्या जुर्माना निरस्त करने के पश्चात् भी गत 3 वर्ष से अब तक जुर्माना वसूल करने की पृथक से कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार वसूली को रोकने का आदेश देकर गुमराह करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) आरोपित जुर्माने को निरस्त करने के आदेश उसी पत्रावली में दिनांक 19-1-76 को दे दिये गये थे किन्तु इस मांग को निरस्त किये जाने बाबत सूचना तहसील राजस्व लेखाकार को नहीं दी जाने के कारण इस राशि की मांग को निरस्त नहीं किया जा सका। और इस राशि को जमा करवाने हेतु तहसील से नोटिस दिनांक 12–12–78 को जारी किया गया तो सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति दिनांक 2-3-79 को प्रस्तुत की, जिस पर आवश्यक जांच कर दिनांक 26–3–79 को आदेश

(राजस्व मंत्री)

नायब तहसीलदार पाली दिनांक 19–1–76 के अनुसरण में मांग बिल पर दी गई, अब वसूली का प्रश्न नहीं।

(4) चूंकि उक्त राशि की मांग निरस्त कर दी गई है, अतः वसूली का प्रश्न नहीं उठता अब तक उक्त आदेश की पालन में मांग निरस्त नहीं की जाकर वसूली की जो कार्यवाही चलती रही उस बारे में जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

गोगुन्दा क्षेत्र में खजूरों के पत्तों की नीलामी

1138. **श्री भूरालाल** (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कोटड़ा तहसील के अन्तर्गत विभाग द्वारा खजूरों के पत्तों की नीलामी होती है ? इससे प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ?

(2) क्या यह सही है कि इन पत्तों के कट जाने से खजूरों पर आने वाले फल नष्ट हो जाते हैं, तथा आदिवासी व्यक्ति जो एक लम्बे समय तक इनसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा अकाल के समय पशुओं को इनसे आहार मिलता है ? क्या सरकार इनकी नीलामी रोक कर आदिवासियों और पशुओं के जीवन निर्वाह में योग-दान देगी ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र, गोगुन्दा में तहसील कोटड़ा में प्रति वर्ष खजूर पत्तों की नीलामी होती है। तथा यह ठेका 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक की अवधि के लिये दिया जाता है। सन् 75–76 से 78–79 तक आय निम्न प्रकार हुई :—

वर्ष	आय
1975–76	रु. 12105–00
1976–77	रु. 12905–00
1977–78	रु. 12954–00
1978–79	रु. 14104–00

(2) जब खजूर के पत्तों की नीलामी होती है तो उसमें यह शर्त भी होती है कि पेड़ों के नीचे की ओर एक तिहाई पत्तियां ही काटी जावें, व ऊपर की दो तिहाई पत्तियां यथावत् रहने दी जावें। इस प्रकार पेड़ों के ऊपर की दो तिहाई पत्तियां नहीं कटने से खजूर के फल नष्ट नहीं होते हैं। फलों की नीलामी नहीं होती है अतएवं फल आदिवासी व्यक्तियों के खाने के काम ही आते हैं। अकाल के समय जब चारे की कमी होती है, उस वर्ष खजूर पत्तों की नीलामी नहीं की जाती है तथा ये पत्तियां मवेशियों के आहार के लिये रहने दी जाती हैं। वर्ष 1972–73 व 74–75 में खजूर के पत्तों की नीलामी अकाल होने से नहीं की गई थी।

ऊपर के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

टोंक जिले में राजस्व अभियानों के तहत निपटाये गये मामले

1139. **श्री जयनारायण सालोदिया**

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले में राजस्व अभियानों के तहत किन किन तहसीलों में किस किस प्रकार के कितने मामले निपटाये गये ? तहसीलवार भिन्न भिन्न प्रकार के केसों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) टोंक जिले की तहसीलों में कितने मामले राजस्व सम्बन्धी पेन्डिग चल रहे हैं और कब तक के। उनको निपटाने के लिये क्या योजना है ? पेन्डिग केसों के मद वार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) लैन्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत हर तहसील में कितने केस कब से विचाराधीन हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्व अभियानों में निपटाये गये मामलों का तहसीलवार विवरण सूची 'क' में संलग्न है।

(2) तहसीलवार विचाराधीन मामलों की स्थिति सूची 'ख' संलग्न है। इनको निपटाने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 के अधीन विचाराधीन मामलों की स्थिति सूची 'ग' संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

अजमेर जिले में भू-बन्दोबस्त का कार्य

1141 श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में सन् 1970–71 के दौरान भू-संशोधन (Record Operation) का कार्य हुआ था ? यदि हां, तो इस कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ ? क्या राज्य सरकार ने इस भू-संशोधन को मान्यता दे दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि अजमेर जिले के किसानों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने गत वर्ष राजस्व मत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था जिसे भू-संशोधन को मान्यता दिये जाने या न दिये जाने बावत राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी थी ? यदि हां, तो क्या उस कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार अजमेर जिले में पुन: भू-बन्दोबस्त करने जा रही है, जिससे किसानों पर भार पड़ेगा तथा राजस्व सम्बन्धी विवाद भी बढ़ेगा, जिससे किसानों को परेशानी होगी ? जब गत दो वर्षों के दौरान मनाये गये राजस्व अभियानों का इन्द्राज इसी रेकार्ड में हुआ है तथा सन् 1970–71 से ही इसी

(श्री करतार सिंह)

रिकार्ड में इन्द्राजात हो रहे हैं तो क्योंकर राज्य सरकार इस भू-संशोधन रिकार्ड को मान्यता नहीं दे रही है ? कृपया मान्यता नहीं दिये जाने के विस्तृत कारण बतावें।

(4) क्या राज्य सरकार अजमेर जिले के किसानों को निकट भविष्य में होने वाली परेशानी को देखते हुए भू-बन्दोबस्त पुनः करवाये जाने के अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस जिले में पुनर्ग्रहण जागीर वर्ष की बीगोडी की राशि निम्नांकित ग्रामों में तहसील रेकार्ड के आधार पर बकाया है।

इसाली	4006–85
जागूदा (त० खारची)	2410–36
	6417–21

(2) अन्य जागीर ग्रामों में पुनर्ग्रहण के वर्ष की बीगोडी बकाया नहीं है।

(2) जी हां। उपरोक्त रकम भूतपूर्व जागीरदार श्री अमर सिंह जागून्दा (ईसाली) द्वारा काश्त कारान से वसूल की गई थी। जागीर जागून्दा (ईसाली) की पुनर्ग्रहण तिथी 24–11–1955 थी। जागीरदार ने पुनर्ग्रहण वर्ष में अपने 146 दिन की राशि जो उसके हिस्से में रुपये 6773·70 आती थी, उसके पेटे रुपये 6417.21 ही वसूल किये। जिसके खारिज करने की कार्यवाही तहसील स्तर पर चल रही है। उक्त राशि मुआवजे में से नहीं काटी गई क्योंकि जागीरदार द्वारा अपने हिस्से से अधिक राशि सरकारी मतालबे के पेटे वसूल नहीं की गई। चूंकि मुआवजे में से कोई कटौती नहीं की गई, अतः तहसील को सूचना देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खारची मतालबा तैयार कर वास्ते स्वीकृति जिला कार्यालय में प्राप्त हुआ था। लेकिन 22 (1) (घ) के लेखे की प्रति प्राप्त नहीं होने से तहसील में पुनः लौटाया गया, और तहसीलदार को वांछित सूचना भेजने हेतु निर्देशित किया गया। खारची मतालबा पुनः प्राप्त होने पर रकम खारिज करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।

(3) राज्य सरकार के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1971 के बाद यह प्रश्न विधान सभा में उठाया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः उत्तर देने तथा उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी अगर राज्य सरकार के ध्यान में ऐसा प्रश्न लाया जाता है तो तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) प्रश्न संख्या 1 में दर्शाई गई राशि बकाया थी। उपरोक्त ग्रामों में जिन काश्तकारों से उक्त राशि भूतपूर्व जागीरदार जागूदा द्वारा वसूली करली गई थी उनसे तहसील द्वारा पुनः वसूली नहीं की गई। अतः रिफण्ड करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम सिवाली की भूमि के नियमन का मामला

1143. **श्री कुंजीलाल** (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री कमरुद्दीन पुत्र श्री मिसरी खाँ मुसलमान सा. सिवाली तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर को खसरा नम्बर 41 का रकबा 1–112 बीघा तहसील बामनवास द्वारा दि. 18–12–72 में रेगुलराइज एडवाइजरी कमेटी द्वारा कर दिया गया था जिसकी मिसल नम्बर 84 तहसील बामनवास में अंकित है, परन्तु उक्त फाइल की कार्यान्विति अब तक नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों नहीं एवं अब कब तक कार्यान्वित हो जावेगी ?

(2) क्या तहसील बामनवास की मिसल नम्बर 84 के द्वारा एडवाइजरी कमेटी से खसरा नम्बर 41 ग्राम सिवाली का रकबा 1–112 बीघा श्री कमरुद्दीन पुत्र श्री मिसरी खां को एलाट किया गया था ? यदि हां, तो क्या अलाटी उक्त जमीन पर काबिज है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं एवं राज्य सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसीलदार बामनवास ने दिनांक 18–12–71 को पत्रावली सं० 84 पर आराजी खसरा नं. 41 रकबा 2)3 बीघा में से 9111) बीघा को श्री कमरुद्दीन पुत्र मिसरी खां मुसलमान नि० लिवाली को रेगुलराइज करने की राय के साथ पत्रावली एडवाइजरी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का फैसला किया था, किन्तु पुनः तहसीलदार बामनवास द्वारा पत्रावली सं० 9 ता० फैसला 19–9–72 के द्वारा मौके पर जाकर पूर्वादेश को परिवर्तित कर दिया। चूंकि रेगुलराइजेशन हुआ ही नहीं। अतः क्रियान्विति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) मिसल नं. 84 तहसील बामनवास के द्वारा आराजी खसरा नं० 41 ग्राम लिवाली का रकबा डेढ़ बीघा श्री कमरुद्दीन पुत्र मिसरी खां को अलाट नहीं हुआ। अतः कब्जे का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अलाटमेंट नहीं होने के कारण आगे कार्यवाही होने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती।

शाहबाद, एवं किशनगंज तहसील में ओलावृष्टि से क्षति

1144. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शाहबाद व किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में कितने गांवों में इस साल ओलावृष्टि हुई है ?

(2) क्षेत्र को ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ है ?

(3) ओलावृष्टि से काश्तकारों का जो नुकसान हुआ उन काश्तकारों को अब तक राज्य सरकार ने क्या मदद दी ?

(श्रीमती नारंगी देवी)

(4) भविष्य में ओलावृष्टि क्षेत्र में विशेष राहत के कार्य शुरू करवाने की क्या कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(5) जिन जिन काश्तकारों की फसलों को ओलावृष्टि से हानि हुई है, क्या राज्य सरकार उन्हें सहायता देने का विचार रखती है ?

(6) क्या ओलावृष्टि को भी अकाल राहत में गिना जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? जब कि यह कार्य भी नेचुरल क्लेमिटी का है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की तहसील शाहबाद के 35 ग्रामों में व तहसील किशनगंज के 20 ग्रामों में इस साल ओलावृष्टि हुई है।

(2) ओलावृष्टि से तहसील शाहबाद के 35 ग्रामों में व तहसील किशनगंज के 20 ग्रामों में फसल को 50% या उससे अधिक नुकसान हुआ है।

(3) जिन काश्तकारों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उन्हें राज्य-सरकार ने जो मदद दी है, वह निम्न प्रकार है।

1. जिन काश्तकारों को रबी की फसल में 50% या इससे अधिक नुकसान हुआ है उनकी जोतों का भू-राजस्व 30 9·79 तक स्थगित किया गया है।

2. जिन काश्तकारों को रबी की फसल में 75% एवं इससे अधिक नुकसान हुआ है उन्हें एक क्विन्टल गेहूं निःशुल्क सहायता के रूप में दिया जावेगा।

3. ओलावृष्टि से प्रभावित जिन क्षेत्रों में सहकारिता विभाग के अल्पकालीन ऋण देय हो गये हैं उनको मध्यकालीन ऋणों में बदलने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(4) ओलावृष्टि क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर राहत कार्य खोलने पर विचार किया जा सकता है।

(5) राज्य सरकार द्वारा जो मदद दी जा रही है उसका उल्लेख खंड–3 में कर दिया गया है।

(6) ओलावृष्टि क्षेत्र को भी अभाव ग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

तहसील आमेर में रीडर का पद

1147. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील आमेर, जिला जयपुर में रीडर का पद कब से रिक्त है, तथा इस पर अब नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(श्री रामकरण सिंह)

(2) क्या काफी समय से इस पद पर श्री गिरवरसिंह को लगा रखा है, तथा वे रजिस्ट्री बाबू व रीडर दोनों का कार्य काफी समय से सम्भाले हुये हैं ?

(3) क्या श्री गिरवरसिंह उक्त पद की योग्यता पूर्ण करते हैं तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग से परीक्षा उत्तीर्ण हैं ? अगर नहीं, तो उक्त पद की पूर्ण योग्यता रखने वाले तहसील आमेर में कितने व्यक्ति हैं तथा उनमें से किसी की भी नियुक्ति उक्त पद पर क्यों नहीं की गई ? अब कब तक श्री गिरवरसिंह को रीडर के उक्त पद से हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) तहसील आमेर में रीडर का पद दि. 1–2–79 से रिक्त है। उपरोक्त रिक्त पद की पूर्ति अब तक नहीं करने का कारण यह है कि पेंशन पेमेन्ट का नया कार्यालय स्थापित होने के फलस्वरूप कुछ वरिष्ठ लिपिकों को पेंशन पेमेन्ट कार्यालय में कनिष्ठ लेखकारों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध लगाया हुआ है । मुख्य लेखाधिकारी द्वारा इन कनिष्ठ लेखाकारों की नियुक्ति करने पर वहां से हटाये हुये वरिष्ठ लिपिकों में से उक्त पद की पूर्ति कर दी जायेगी।

(2) श्री गिरवर सिंह रीडर के पद का कार्य दिनांक 1–2–79 से कर रहे हैं तथा रजिस्ट्री बाबू के पद कार्य दिनांक 1-11-75 से संभाले हुए हैं।

(3) रीडर का पद वरिष्ठ लिपिक का पद है। श्री गिरवर सिंह व. लि. की पूर्ण योग्यता रखते हैं। कर्मचारी की नियुक्ति चूंकि दि. 2–1–63 की है, अतः राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। श्री गिरवर सिंह चूंकि तहसील आमेर में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों में से वरिष्ठतम् हैं अतः उन्हें ही रीडर के पद का चार्ज संभलाया गया है। चूंकि मुख्य लेखाधिकारी द्वारा शीघ्र ही कनिष्ठ लेखाकार उपलब्ध कराये जा रहे हैं अतः कनिष्ठ लेखाकारों के पदों के विरुद्ध कार्यरत वरिष्ठ लिपिक उपलब्ध होते ही रीडर के रिक्त पद की पूर्ति कर दी जायेगी।

राज्य में पशुधन एवं पशु चिकित्सालय

1149. श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पशुधन, जिसमें गाय, भैंस, ऊंट व भेड़, बकरी शामिल हैं, की कुल संख्या कितनी है ? अलग अलग जानवरों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रदेश में पशु चिकित्सालय, डिस्पेंसरी व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कहां कहां हैं और कुल कितने हैं ? स्थानों के नाम दर्शाते हुए जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जून, 77 से दिसम्बर, 78 तक प्रदेश में कुल कितने पशु चिकित्सालय,

(श्री हजारीमल सारण)
डिस्पेंसरी व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना की गई और कहां कहां ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) पशु चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने का आधार क्या है, तथा आगामी वर्ष में प्रदेश में कितने चिकित्सालय खोलने की योजना है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) पशु चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भाधान खोलने के निम्न आधार गत वर्ष बनाये गये हैं वे निम्न हैं :—

1. जिले एवं तहसीलों में उपलब्ध पशु संख्या (गौ वंश इकाइयां)।

2. पूर्व से कार्यरत एवं भविष्य में संभावित स्थापित किये जाने वाले पशु चिकित्सालय, औषधालयों में आपस में कम से कम 10 से 16 किलोमीटर का अन्तर।

3. छठी योजना काल में सभी तहसील पंचायत समिति एवं नगर परिषद् मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा संस्था कायम करना।

4. मरु क्षेत्र में गांवों की दूरी एवं आबादी वाले क्षेत्रों को भी ध्यान में रख कर स्थान निर्धारित करना।

5. ग्रामीण क्षेत्र में स्थान चयन हेतु भवन, डाक, आवागमन के साधन आदि न्यूनतम सुविधाओं एवं जनसंख्या को भी ध्यान में रखा गया है। बड़े शहरों में प्रत्येक 80 हजार आबादी पर एक पशु चिकित्सालय संस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य ध्यान में रखा गया है। जिले की पशु संख्या मुख्य आधार है।

आगामी वर्ष में कुल 93 पशु चिकित्सालय/औषधालय खोले जाने का प्रावधान है जिसमें से 10 पशु चिकित्सालय, 30 पशु स्वास्थ्य केन्द्र (मरु क्षेत्र में) 53 औषधालय हैं।

एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भेड़ व ऊन विभाग द्वारा डूंगरपुर में वर्ष 1979-80 में खोलने का प्रावधान है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषकों को उपज का उचित मूल्य

1150. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सन् 75-76, 76-77, 77-78 तथा 78-79 में अनाज, दलहन, धनिया, अजवाइन, कपास के क्या भाव रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री ईश्वर चन्द्र)

(2) क्या यह सही है कि किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कृषकों के हित में क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) भावों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए जा रहे हैं :—

1. भारत सरकार गेहूं, चना, सरसों, धान, ज्वार, बाजरा तथा मक्का की सपोर्ट प्राइज निश्चित करती है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार भारत सरकार से उचित सपोर्ट प्राइज निर्धारित कराने का प्रयास करती है।

2. उचित भावों पर किसानों को खाद, बीज व कीट नाशक औषधियां व अन्य इनपुट्स उपलब्ध कराये जाते हैं।

3. कृषि उपज की मण्डी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर विक्रय कराया जाने का प्रयास किया जाता है।

4. विक्रय मूल्यों को स्थिर रखने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

भीलवाड़ा डेयरी

1151. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा डेयरी स्थापना से लेकर आज तक कितना घाटा उठा चुकी है ?

(2) भीलवाड़ा डेयरी के कर्मचारियों के अनुचित पदोन्नति के मामले को लेकर क्या न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है ?

(3) क्या उस निर्णय के बाद डेयरी कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बुलाई गई ?

(4) पदोन्नत कर्मचारियों को एरियर के भुगतान के विषय में डेयरी ने क्या निर्णय लिया ?

(5) क्या राज्य सरकार पदोन्नति रद्द करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा डेयरी की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 78 तक रु. 4,61,990-11 की हानि उठा चुकी है। जिसका वार्षिक विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष 1975-75 – (+) रु. 67981 = 02 पैसे आंकेक्षित

वर्ष 1975-76 – (+) रु. 91397 = 49 पैसे आंकेक्षित

(पशुपालन मन्त्री)

वर्ष 1976-77 – (–) रु. 201358 = 62 पैसे आंकेक्षित

वर्ष 1977-78 – (–) रु. 4·10 लाख – दिसम्बर, 78 तक।

(2) जी नहीं। केवल स्टे आर्डर सत्र न्यायालय ने दिया है।

(3) मामला विचाराधीन है।

(4) पदोन्नति का आदेश निरस्त किया जा चुका है। मामला सत्र न्यायालय के विचाराधीन है। अतः भुगतान का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

सांचौर पशु मेले का विकास

1152. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर में पंचायत समिति द्वारा एक पशु मेला सालाना चैत महीने में भराया जाता है? अगर हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि पहले वह पशु मेला राज्य सरकार द्वारा भराया जाता था? अगर हां, तो कब एवं पंचायत समिति को पशु मेला किस कारण दिया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पशु मेले में अभी तक मेला ग्राउन्ड का विकास नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों? अब उक्त मेला ग्राउन्ड का विकास पंचायत समिति द्वारा हरे दरख्त वगैरह लगवा कर कब तक करवा दिया जावेगा? पशु मेला ग्राउन्ड विकास में कुल कितना खर्चा आवेगा?

(4) क्या राज्य सरकार पशु मेला विकास हेतु कुछ सरकारी सहायता देना उचित समझेगी? अगर हां, तो क्या एवं कब तक सहायता प्रदान कर दी जावेगी? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1958 से।

(2) जी हां। मन्त्री मण्डल के निर्णय के अनुसार यह मेला 1958 में पंचायत समिति को दिया गया था?

(3) इस क्रम में निर्णय पंचायत समिति द्वारा ही लिया जाना है।

(4) जी नहीं। मेले की आय से ही मेला ग्राउन्ड का विकास किया जाना चाहिए।

राज्य में फसल बीमा योजना

1153. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या कृषि विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(58)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अभी तक फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार कुछ फसलों के बीमे के बारे में काफी समय से सोच रही है ? अगर हां, तो कब से एवं कौन कौन सी फसलों के बारे में मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(3) उक्त योजना राज्य सरकार कब तक मंजूर कर लागू कर सकेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि कई अन्य राज्यों में भी फसल बीमा लागू कर दिया गया है ? अगर हां, तो किस किस राज्य में कौन कौन सी फसलों का बीमा, कब कब लागू किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। फसल बीमा योजना जनरल इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन के माध्यम से चलाये जाने का प्रस्ताव है। एवं यह मामला भारत सरकार एवं जनरल इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन के विचाराधीन है।

(2) जी हां। फसल बीमा के बारे में राज्य सरकार वर्ष 1973 से विचार कर रही है। प्रारम्भ में कपास की फसल पर बीमा योजना चालू करने के प्रस्ताव थे, अब जनरल इन्श्योरेन्स की योजना के अनुसार फसल एवं क्षेत्रों का चुनाव किया जाना प्रस्तावित है।

(3) योजना को लागू करने का निर्णय भारत सरकार व जनरल इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन के द्वारा योजना को अन्तिम रूप देने पर निर्भर करता है।

(4) जी नहीं। अब तक किसी राज्य में फसल बीमा योजना चालू नहीं की गई है।

पाली जिले में जागीरों पर बीघोड़ी को बकाया

74. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में जागीर पुनर्ग्रहण के वर्ष की किन जागीर गांवों की कितनी कितनी बीघोड़ी बकाया है ?

(2) क्या उक्त बीघोड़ी भूतपूर्व जागीरदार ने वसूल कर ली है ? यदि हां, तो क्या जागीर पुनर्ग्रहण के दौरान उक्त रकम उनके मुआवजे में से काटी गई व उनकी सूचना तहसील में भेजी गई ? यदि हां, तो उक्त मांग आज तक खारिज न की जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या उक्त वसूली का प्रश्न विधान सभा में पहले भी उठा ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार ने क्या उत्तर दिया व उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

(4) उक्त गांवों की कुल कितनी कितनी बीघोड़ी बकाया थी ? व जागीरदारों द्वारा वसूल करली जाने के बावजूद भी पुनः कृषकों से वसूल की गई ? यदि हां, तो उसकी सूची दें व उक्त बीघोड़ी उनको कब तक रिफण्ड कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर जिले में सन् 1970-71 से भू संशोधन का कार्य प्रारम्भ हुआ था। इस कार्य में जुलाई, 1970 से मार्च, 78 तक कुल 17,10,708-00 रुपया व्यय हुआ। क्योंकि कार्य की पूर्ण समाप्ति नहीं हुई है इसलिए मान्यता दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(2) जी हां। समिति की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। सन् 1970-71 के भू-प्रबन्ध के कार्य के दरमयान यह भी दिक्कतें सामने आईं कि जिले में कई तरह का लगान कृषकों से वसूल हो रहा था। अजमेर जिले की भू-प्रबन्ध स्थिति को देखते हुए एवं लगान में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब पुनः नये सिरे से भू-प्रबन्ध कार्य कराया जाना चाहिए ताकि समस्त कठिनाइयां जो उत्पन्न हो गई हैं, उनका निराकरण हो सके। इससे कृषकों की समस्याओं का समाधान होगा। परेशानियां उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सन् 70-71 के भू-संशोधन को मान्यता नहीं दिये जाने के कारण ऊपर बतलाये गये हैं।

(4) जी नहीं। पुनः बन्दोबस्त से किसानों की समस्याओं का निराकरण होगा। परेशानी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता इसलिए पुनर्विचार का भी प्रश्न नहीं उठता।

(रिपोर्ट के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

सरकार की कोक वितरण व्यवस्था

122. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार सोफ्ट कोक व दूसरे प्रकार का कोयला किस प्रकार व किस आधार पर मंगवाती है तथा इसका वितरण किस आधार पर होता है ?

(2) वर्ष 1977-78 व 1978-79 में किन-किन उद्योगों को कितना-कितना कोयला किस-किस आधार पर वितरित किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सोफ्ट कोक या अन्य प्रकार का जो कोयला मंगवाया जाता है, उसकी मांग राजस्थान में अधिक है परन्तु उसकी तुलना में यह बहुत कम आता है, इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) सोफ्ट कोक, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा नागरिक उपभोग के लिए मंगाया जाता है। अन्य प्रकार के कोल जैसे स्टीम कोल, बी०पी० हार्ड कोक, बी० एच० हार्ड कोक, स्लेक कोल, ब्रिज

(उद्योग मंत्री)

कोक, मिक्सड कोक, मिडलिंग कोक आदि जो उद्योगों में काम आते हैं, की मांग उद्योग विभाग द्वारा आंकी जाती है, तथा कोयले का उपार्जन, प्रान्त में राजस्थान लघु उद्योग निगम के मार्फत किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों की कोयले की मांग के आंकने के लिए गत वर्ष कोयले की खपत, उत्पादन तथा गत वर्ष की परफोरमेन्स आदि को ध्यान में रखा जाता है, तथा रेल्वे बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रान्त के लिए वैगन सीमा में स्पोन्सर किया जाता है, तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा समय समय पर लघु उद्योग इकाइयों को कोयले का आवंटन किया जाता है, जो इकाईयां, जिस प्रकार का कोयला काम में लेती हैं। वर्तमान में रेल्वे ने राज्य के लिए निम्न वैगन सीमा निर्धारित प्रतिमाह कर रखी है।

स्टीम कोल	1200 वैगन प्रतिमाह		
स्लेक कोल	1320 वैगन प्रतिमाह		
बी. एच. हार्ड कोक	200	,,	,,
बी. पी. हार्ड कोक	30	,,	,,
ब्रिज कोक	100	,,	,,

(2) वर्ष 1977–78 व 1978–79 (फरवरी माह तक) निम्न कोयला राजस्थान लघु उद्योग निगम ने लघु उद्योग इकाइयों को उपलब्ध कराया :—

	1977–78		1978–79	
	स्पोन्सर्ड	प्राप्त	स्पोन्सर्ड	(फरवरी माह तक) प्राप्त हुआ
1–स्टीम कोल	15529	$7790\frac{1}{2}$	11748	5502
2–स्लेक कोल	5912	3607	15890	$911\frac{1}{2}$
3–बी०एच० हार्ड कोक	1958	522	1956	$176\frac{1}{2}$
4–बी०पी० हार्ड कोक	250	85	250	104
5–ब्रिज कोक	—	—	4200	$257\frac{1}{2}$
6–मिक्सड कोक	—	—	—	73

निगम द्वारा राज्य में 26 आगारों द्वारा विभिन्न इकाइयों को कोयला वितरित किया जाता है। 14 आगारों द्वारा आगारवार कोयला जिन इकाइयों को वितरित किया गया, उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। 12 आगारों की सूचना संलग्न नहीं हो पाई है। संलग्न हो जाने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(3) औद्योगिक इकाइयां बढ़ जाने के कारण कोयले की मांग बहुत बढ़ गई है। कोयले के अभाव में इकाइयों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। कोयला

(उद्योग मंत्री)

कम प्राप्त होने के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(1) वर्ष 1978–79 में बाढ़ के कारण देश व्यापी कमी उत्पन्न हो गई, क्योंकि कोयले की खानों में पानी भर गया एवं कोयले के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। बाढ़ के कारण रेल व सड़क यातायात दोनो अवरुद्ध हो गये, फलस्वरूप रेल्वे द्वारा समुचित मात्रा में रेल्वे वैगन उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

(2) देश व्यापी कोयले की कमी को दृष्टिगत रखते हुये रेल्वे द्वारा स्टीम कोल के स्वीकृति के विरुद्ध केवल 50 प्रतिशत ही प्रोग्राम निदेशक, रेल परिवहन द्वारा स्वीकृत किया गया। यहां तक कि स्वीकृत प्रोग्राम में से भी पूरे रेक्स आवंटित नहीं किये गये, क्योंकि स्टीम कोल के आवंटन में प्राथमिकता स्टील प्लान्ट्स को दी जाती है।

(3) राजस्थान में कोल उपभोग की इकाइयां अधिकतर छोटी लाइन पर स्थित होने के कारण बड़ी लाइन से कोयला हस्तान्तरण किया जाता है, यह कार्य कुल ट्रांसिपमेन्ट पाइन्ट्स पर किया जाता है। जब कभी इन स्थानों पर कार्यभार अधिक हो जाता है, तो रेल विभाग द्वारा इन स्थानों के लदान पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है।

(4) बी०सी०सी०एल० व सी०सी० एल द्वारा बहुत कम मात्रा में स्टीम कोल व हार्ड कोक की आफर दी जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उम्मेद हास्पिटल तथा महात्मा गांधी हास्पिटल, जोधपुर में लिफ्ट की व्यवस्था

493. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उम्मेद हास्पिटल, जोधपुर में नई लिफ्ट की व्यवस्था के लिये 2.02 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? क्या इसका उपयोग कर लिया गया ? यदि हां, तो किस मद में ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों के कारण ?

(2) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी हास्पिटल में लिफ्ट को बदलने के लिये 1.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया गया ? यदि धनराशि अन्य काम में ले ली गई, तो ऐसा क्यों ? भविष्य में लिफ्ट की आवश्यकता पूर्ति किस प्रकार की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। नई लिफ्ट लगाने हेतु 2.02 लाख की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन इस धनराशि को रिएप्रोप्रियेट (Reappropriate) कर एवज में पुरानी लिफ्ट को 25000/–रुपये में ठीक करायी जा रही है तथा बाकी रकम से उम्मेद हास्पिटल में अन्य कार्य कराया जा रहा है। जिसकी तालिका संलग्न है।

(62)

(चिकित्सा मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि महात्मागांधी अस्पताल में लिफ्ट के बदलने के लिये 1-50 लाख की स्वीकृति दी गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1.50 लाख की नई लिफ्ट के क्रय के आदेश दिये जा चुके हैं जो कि 25-3-79 तक फर्म द्वारा सप्लाई कर दी जायेगी। ऐसा निर्माण विभाग द्वारा बतलाया गया है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

कुशलगढ़ की लघु उद्योग सहकारी समिति

678. **श्री जिथिंग भाई** (कुशलगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कुशलगढ़ में लघु उद्योग सहकारी समिति के नाम से कोई सहकारी संस्था कायम हुई थी? क्या इस संस्था के सदस्य बनाने हेतु श्री धरनीधर पंड्या ने धनराशि एकत्रित की, तथा क्या वह उस राशि का गबन कर गये?

(2) क्या इस प्रकरण की शिकायत ग्रामीणों ने पुलिस कुशलगढ़ को लिखित में की? क्या इस पर पुलिस के उप अधीक्षक, श्री मालूमसिंह ने जांच का आदेश देकर एस. एच. ओ. श्री निसार अहमद से जांच करवाई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जांच में श्री निसार अहमद ने धारा 420 आई. पी. सी. का आरोप बनना पाया व केस दर्ज कर चालान करने की स्वीकृति चाही? लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी श्री धरनीधर पंड्या से मिले होने के कारण क्या आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की?

(4) क्या वर्तमान पुलिस अधिकारियों को भी उक्त प्रकरण की कार्यवाही करने का प्रार्थना-पत्र दिया गया लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई?

(5) क्या राज्य सरकार श्री धरनीधर पंड्या व ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) श्री धरनीधर पंड्या द्वारा स्वयं को करवा ग्राम सेवा सहकारी समिति कुशलगढ़ का मंत्री होने का विश्वास दिलाकर कुछ व्यक्तियों से उन्हें ऋण दिलाने का लालच देकर धनराशि एकत्रित की, जिसका उनके द्वारा दुरुपयोग करने के आरोप एक परिवाद द्वारा लगाये गये थे।

(2) जी हां।

(3) अपनी जांच रिपोर्ट में एस०एच० ओ० ने आरोप सही मानते हुए जुर्म दस्तन्दाजी पुलिस बनना लिखा था। जिस पर तत्कालीन उप अधीक्षक कुशलगढ़ ने उस समय कोई आदेश नहीं दिए। अब मुकदमा पंजीकरण किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया गया है।

(गृह मन्त्री)

(4) जी हां । अभियोग पंजीकरण कर लिया गया है, अनुसंधान जारी है ।

(5) धरनीधर पंड्या के विरुद्ध अभियोग में अनुसंधान जारी है । पुलिस अधिकारियों के दोष के बारे में उप महानिरीक्षक, उदयपुर द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

राज्य में सड़कों का निर्माण

831. श्री शिवकरण बुंहाड़िया (फागी)– क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सन् 1970 से 1979 तक कुल कितनी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई ? सूची सदन की मेज पर क्षेत्रवार रखने की कृपा करें ।

(2) क्या फागी विधान सभा क्षेत्र में सन् 1970 से 78 व 78–79 में सड़कों के निर्माण की मन्जूरी दी गई थी ? यदि हां तो दी गई मन्जूरी की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) सन् 70 से 78 तक व 78-79 में उक्त सड़कें पूर्ण हुईं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अपूर्ण सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान में 1970 से 1979 तक कुल 1327 सड़कों की स्वीकृति हुई ।

जिलेवार व वर्षवार सूची 'अ' संलग्न है ।

(2) जी हां ।

सूची 'ब' संलग्न है ।

(3) फागी क्षेत्र की सड़कें जो पूर्ण हुई । वह सूची में दर्शाई गई हैं ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री बालकृष्ण थानवी का आमरण अनशन

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री बालकृष्ण जी थानवी आज 9 दिन से आमरण अनशन पर हैं·······

श्री अध्यक्ष : मुझे स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे देने दीजिए ।

श्री भंवर लाल ऐरन : जैसा आप चाहें·······

श्री मूलचन्द सामरिया : इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था उसे टाल दिया व्यवस्था का प्रश्न उठाकर·······

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ले लीजियेगा ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बालकृष्ण जी थानवी की फोर्स फीडिंग की गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है । इस सदन के माननीय सदस्य आमरण अनशन पर बैठे हैं·······

श्री भंवरलाल ऐरन : मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : श्री मोरार जी भाई ने भी फोर्स फीडिंग को नापसंद किया है ·· ····

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे अनुमति दीजिए। मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं····

श्री मूलचन्द डागा : मैंने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। उस पर आपकी व्यवस्था आने के बाद आपको बोलने का अधिकार दिया जाये।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बालकृष्ण जी थानवी····

श्री मूलचन्द डागा : मेरा स्थगन प्रस्ताव है। उसके आने के बाद ही आप की इजाजत दी जाये बोलने की।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अतिरिक्त जिलाधीश महोदय मय कुछ फोर्स के उनके आमरण अनशन करने के स्थान पर आये। उन्होंने प्रयास किया कि उनको फोर्स फीडिंग किया जाये उन्होंने इसका प्रयास किया। श्री थानवी द्वारा इसका प्रतिकार किया गया। एक घंटे तक लगातार प्रयास किया गया कि उनको फोर्स फीडिंग किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा···

श्री रामनारायण चौधरी : यह प्रयास नहीं है कुप्रयास है। इसकी भर्त्सना की जाये। देश के प्रधान मन्त्री ने भी इसको नापसन्द किया है।

श्री भंवर लाल ऐरन : यह इस सदन के लिए अपमानजनक बात है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे ध्यान है इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। जब प्रतिकार किया गया उसके बाद ए० डी० एम० साहब अपनी फोर्स के साथ वापस चले गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गहरी चिन्ता है और हमारा मंत्रि-मण्डल बिलकुल मौन बैठा है। कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी बात करके चले गये। हालांकि आपके ध्यान में होगा कि 4 तारीख को मैंने व्यवस्था के प्रश्न पर इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन किया था कि वह स्वयं वहां पर जायें और उनसे इस बारे में बात चीत करें। तीन–चार दिन तक लगातार उन्होंने इसको टाला। वह दिल्ली से वापस आये और दो दिन लगातार जयपुर में रहे लेकिन फिर भी वह उनके पास नहीं पहुंचे और लगभग रात को 11 बजे···

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सरकार हत्यारी है।

श्री मूलचन्द डागा : आपके मुख्य-मन्त्री, जब नहीं सुनते हैं तो मुख्य मन्त्री

(श्री मूलचन्द डागा)
का आपको बहिष्कार कराना चाहिए ।

श्री भंवरलाल ऐरन : कल रात को 11 बजे पश्चात् बात करके वे वहां से चले गए । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि उन्होंने थानवी से अपना अनशन त्यागने या मन्त्रिमण्डल की क्या राय है यह बताने का उन्होंने प्रयास नहीं किया । इसलिए मैं इस सदन की चिन्ता आप तक व्यक्त करना चाहता हूं और मन्त्रिमण्डल से निवेदन करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र अविलम्ब इसको प्राथमिकता दी जाए और हमारे माननीय सदस्य को मरने से बचाया जाये । उनका शहीद होना सदन के लिए नहीं, बल्कि जनता पार्टी के लिए काला दिन होगा । इसलिए मैं सदन का ध्यान इस ओर आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का अवसर दिया जाये····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसी को बोलने की अनुमति देने में उदार हूं उसके उपरांत स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देने के लिए आप कोई सहयोग देने का विचार नहीं करते । फिर फ्री फार आल, आपकी मर्जी हो सो बोलो ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री रामरघुनाथ चौधरी, वृद्धिचन्द जैन, श्रीमती मदन कौर, सुमित्रा सिंह, व श्री रामकृष्ण दास, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर, जोधपुर व अजमेर में आटो रिक्शा व थ्री व्हीलर टेम्पो वालों द्वारा मनमाने ढंग से किराया वसूल करने के विषय में ।

(2) सर्व श्री मथुरादास माथुर व गंगाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम रोल जिला नागौर में पिछले कुछ दिनों से व्याप्त गम्भीर साम्प्रदायिक तनाव के विषय में ।

(3) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से ट्रक आपरेटर्स द्वारा आज से राजस्थान बन्द करने के आह्वान व हड़ताल के विषय में ।

(4) श्री नूरा, सदस्य विधानसभा की ओर से रायसिंह नगर जिला गंगानगर में सफाई कर्मचारियों की गत 5 अप्रैल से हो रही हड़ताल के विषय में ।

(5) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से शराबबंदी की मांग को लेकर विधायक श्री बालकृष्ण थानवी का आमरण अनशन व उनके समर्थन में तीन विधायक सर्व श्री भंवरलाल ऐरन, लालचन्द व गोपाल सिंह खण्डेला की भूख हड़ताल के विषय में ।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार को

(श्री अध्यक्ष)

सूचनार्थ भेजा जा रहा है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मथुरा दास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण घटना जो घट रही है, उसके बारे में पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने गम्भीर चिन्ता प्रकट की है। थानवी जी 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उनका वजन 5।। किलो घट चुका है....

श्री भंवरलाल ऐरन : आज 7 किलो घट गया।

श्री मथुरादास माथुर : जो अखबारों में आया है उसकी बात कर रहा हूं।

उनके पेशाब में ऐसीटोन बढ़ रहा है, मुंह में खुश्की है। डीहाइड्रेशन हो रहा है। मुझे खेद इस बात का है कि ऐसी महत्व पूर्ण घटना इस सदन के बाहर हो, रूलिंग पार्टी का सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे, यहां रूलिंग पार्टी और अपोजीशन पार्टी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, इस सदन का एक माननीय सदस्य 8 दिन से भूख हड़ताल पर जमा रहे फिर भी राज्य सरकार की तरफ से कोई आफिशियल बुलेटिन नहीं। अखबारों में आ जाता है, वही पढ़ कर हम अपने आप को सन्तुष्ट कर लेते हैं। आखिर कार यह घटना ऐसी है कि राज्य सरकार, सब कामों को छोड़ कर, इस पर चिन्तन करके फैसला करे। अगर आप उनकी मांगों को मन्जूर करने को तैयार हैं, तो कहिये 'हां'। अगर नहीं हैं तो ना करें। सदन के माननीय सदस्य जाते हैं, मिनिस्टर जाते हैं, और जाकर जैसे बीमार की तबीयत पूछते हैं, वैसे पूछ कर चले आते हैं। इस तरह की गैर जिम्मेदारी बरत रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में ऐसी घटना नहीं देखी। सरकार अपनी नीति का स्टेटमेन्ट दे। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान खुद वहां पर जाते हैं। सदन के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं तो आप की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, जितनी सदन के नेता की है। यही नहीं, कुछ और माननीय सदस्य समर्थन के रूप में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आखिर मसला काफी गम्भीर है। गोकुल भाई भट्ट ने भूख हड़ताल की घोषणा की। समझौता करके वे घर बैठ गये। मास्टर आदित्येन्द्र ने इस्तीफा देने की धमकी दी, वह चुपचाप बैठे रहे। माननीय सदस्यों ने भूख हड़ताल की बात की, उन्होंने भी नहीं की। मेरा नम्र निवेदन है कि इस एडजोर्नमेन्ट मोशन को एडमिट करें। माननीय सदस्य की जिन्दगी और मौत का सवाल है। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। उनकी हालत के बारे में सरकार स्टेटमेन्ट दें। सारे मिनिस्टर बैठे हैं, आग जल रही है और ये बांसुरी बजा रहे हैं। जरूरत हो तो सदन प्रस्ताव पास करे, राज्य सरकार ऐक्शन ले और थानवी जी जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी जिन्दगी बचाई जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : श्रीमती उजला अरोड़ा भूख हड़ताल पर बैठने की बात कह कर पीछे हट गईं । माननीय सदस्य को एक्साइट करके ········

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उनका अधिकार छीन लिया जाय ········

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने हाथ जोड़े हैं तो माननीय सदस्या ने बात मानी है । वे लेडी माननीय सदस्या हैं, उनको बोलने की अनुमति देता हूं ।

मेजर श्री फतहसिंह : मैं भी बोलना चाहूंगा ········

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकार तो इन्दिरा गांधी के समय छीने गये थे········

श्रीमती सुमित्रासिंह : इन्होंने माननीय सदस्य के साथ विश्वासघात किया है, इनको बोलने के लिये इजाजत नहीं दी जानी चाहिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप झूंठ बोल रही हैं । मैंने प्रतिज्ञा नहीं की । थानवी साहब से मिल कर मैंने कोई बातचीत नहीं की । माननीय अध्यक्ष ने मुझे बैठाया है । हम को किसी ने आदेश नहीं दिया हम लोगों के स्वतंत्र विचार हैं । नशाबंदी समिति के सम्मेलन में बाबा साहब ने घोषणा की थी कि अगर 1 अप्रेल से राजस्थान में शराबबन्दी नहीं की गई तो मैं आमरण अनशन करूंगा ।

इस बात की घोषणा की थी । यह कोई दलबन्दी की बात नहीं है हमारा लक्ष्य एक था और उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय गट्टानी जी और बाबा साहब को वह प्रतिज्ञा वापस लेनी पड़ी । इस आधार पर लेनी पड़ी कि सत्ता पक्ष के अधिकृत लोगों ने कहा बाबा साहब खुद अनशन पर न बैठ कर और कोई रास्ता निकालें । अब वे खुद अनशन पर नहीं बैठे और थानवी साहब बैठ गये, यह गलत बात है·······

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : जो जिन्दगी और मौत के कगार पर बैठा है, उसके लिये क्या करना चाहते हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्या ने उनको फंसाया है । उसका नतीजा यह हुआ कि उजला जी तो अपने वायदे से मुकर गईं और वे फंस गये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय वित्त मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी और माननीय त्रिलोक चन्द जी दिल्ली गये हैं । वहां से आश्वासन मिला है कि सारी क्षति पूर्ति कर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

देंगे। इस सारे अनशन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। मैं कहती हूं सरकार को सारी परिस्थितियों को देखते हुए सम्माननीय ढंग से जो घोषणा की थी यहां सदन में उसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिये। इसके अलावा मुझे कोई आल्टरनेटिव दिखाई नहीं देता है। मैं पुनः सरकार से प्रार्थना करती हूं कि दुबारा निश्चय करें कि फर्स्ट अप्रेल से नहीं, तो जो अभी अखिल भारतीय नशाबन्दी सप्ताह चल रहा है, इसमें इस प्रकार की घोषणा की जा सकती है। राजस्थान की परिस्थितियां इसके काबिल हैं कि शराबबन्दी की जा सकती है। जन जागरण के लिये हमें इस प्रकार का कदम उठाना होगा····

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह भाषण बन्द करावें, साहब। गरीब को मार दिया।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा निश्चय जो है वह यह है कि शराबबन्दी की जानी चाहिये। मैं सरकार को हर तरह प्रेरित करूंगी कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई कदम उठाये।

(व्यवधान)

निश्चित रूप से सरकार को बाध्य करें कि वे अपनी घोषणा का पालन करें।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष जी, इसे एडमिट किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने एडमिट नहीं किया, व्यवस्था दे दी है।

(व्यवधान)

मैंने कोई माइन्ड मेक-अप नहीं किया है, मैं चर्चा सुनना चाहता हूं·······

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : यह सदन में निश्चित करना चाहिये, आखिर मंत्रिमण्डल क्या करना चाहता है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ····सदन की राय·······

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, आज राजस्थान की सारी जनता का ध्यान विधान सभा पर इसलिये लगा हुआ है कि थानवी के लिये सरकार क्या करना चाहती है·······

(व्यवधान)

मोरार जी देसाई ने जब गुजरात के चुनावों को लेकर भूख हड़ताल की थी, तब प्रधान मन्त्री इन्दिरा गान्धी ने मोरार जी को बचाने के लिये गुजरात में चुनाव कराने की बात मानी थी। जब प्रधान मन्त्री ने मोरारजी की 9 दिन की भूख हड़ताल को मान कर, अपने उदार दिल का परिचय दे सकती हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारी सरकार माननीय थानवी साहब की 9 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी क्यों मौन बनी हुई है? मामला बड़ा गम्भीर है, मैं उन 109

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

माननीय विधायकों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने ज्ञापन पर दस्तखत किये हैं। उस ज्ञापन की एक कापी सदन के पटल पर रखी है। उसमें मांग की गई थी कि शराबबन्दी की जाय। आज उन सब माननीय विधायकों को इस स्थगन प्रस्ताव को लेने के लिये जोर डालना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जनता की जो इच्छा और आकांक्षा है थानवी साहब की भूख हड़ताल के साथ वह धूमिल हो जाय। आज सारे राजस्थान, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर की सारी जनता उनके अनशन से दुखी हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री को भी चिन्ता हुई है। उन्होंने भी सांसद के जरिये से माननीय सदस्य को अपील करवाई है कि भूख हड़ताल तोड़ दें। किन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक भी अपील जारी नहीं की है कि भूख हड़ताल तोड़ दें। यह इसका परिचायक है कि जनतन्त्र में तानाशाही पनप रही है। 09 विधायकों ने साइन किये हैं, मैं जनता पार्टी की सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जिन 109 विधायकों ने अपील पर दस्तखत किये हैं कि राजस्थान सरकार शराबबन्दी करे किन्तु उसकी पालना नहीं हुई है। इसलिये वे अपनी आत्मा की आवाज को सुनें और थानवी साहब के कदम से कदम मिलायें तभी हम सच्चे होंगे, वरना यह हिपोक्रेसी है। यह 109 विधायकों के बहुमत की बात है। इसी कारण थानवी साहब को भूख हड़ताल का मार्ग चुनना पड़ा। यह हमारा दायित्व है कि जिन–जिन विधायकों ने दस्तखत किये हैं वे भी थानवी साहब के साथ मिल कर इस सरकार का डट कर विरोध करें। यह सरकार तानाशाही है, यह सरकार अत्यन्त कठोर है। हमारे देश के प्रधान मंत्री ने कहा है कि शराबबन्दी के लिये मैं जयपुर आकर बात करने को तैयार हूं फिर क्या दो अक्टूबर और एक अक्टूबर करेगा। तानाशाही प्रवृत्ति के कारण श्रीमती इन्दिरागांधी गई, तानाशाही प्रवृत्ति के कारण भुट्टो का मटिया मेट हो गया। अगर भैरोंसिंह जी ने भी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाई तो यही हाल होगा। अगर थानवी साहब को कुछ हो गया तो मैं कह सकता हूं कि बीकानेर की जनता, जोधपुर की जनता, जैसलमेर की जनता इनको किसी प्रकार भी नहीं छोड़ेगी।

श्री डूंगरराम पंवार : मन्त्रिमण्डल को सोच लेना चाहिये, यदि थानवी साहब को कुछ हो गया तो जनता आपको किसी प्रकार नहीं बख्शेगी। मैं कहता हूं मंत्रिमण्डल को अपना जोम निकाल देना चाहिये। जनता जनार्दन ने सब कुछ किया है इसलिये वे किसी प्रकार अपने जोम में न रहें। यदि इस बारे में उपेक्षा की गई और थानवी साहब को कुछ हो गया तो हमारे लोगों की बात खाली नहीं जायगी। यह हम नहीं बोल रहे हैं हम एक-एक लाख के प्रतिनिधि हैं, हम में वह ताकत है कि कुछ करके दिखा देंगे।

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्, मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : या तो शराबबन्दी करें, या त्याग पत्र दें.........

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : गंभीरता से सरकार को सोचकर निर्णय लेना चाहिये····

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें निर्णय लेना हमारे लिए आवश्यक है, अन्यथा मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार के लिए बहुत भारी समस्या हो जायेगी यदि ऐसा कुछ हो गया तो, यह समझ लीजिए।

श्री मदन सिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि श्री थानवी जी का अनशन बहुत अहम प्रश्न है····

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ गुप्त : माननीय थानवी का जो आमरण अनशन चल रहा है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर सदन को बताना चाहता हूं जिस समय अंग्रेजों का राज था और मैं 22 वर्ष का था उस समय हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सत्याग्रह में मैं भरतपुर जेल में था। हमने अपनी मांगों पर वहां आमरण अनशन किया। 11 दिन की भूख हड़ताल के बाद सरकारी डाक्टर ने कैदियों की मदद लेकर फोर्स फीडिंग किया। उसमें मेरा दांत टूट गया था, गले में नली उलझने से मेरे खून निकल आया था। उस समय भी अंग्रेजों की सरकार कांप उठी थी और हमारी मांगें मंजूर की थी। आज थानवी जी की उम्र 60 साल की है। जिस समय मेरी 22 वर्ष की उम्र में अनशन करने पर यह हालत बनी, तो साथियों ने डाक्टर को ललकारा और कह दिया था कि इस तरह से हत्या नहीं होने देंगे। उस समय डाक्टर की आंखों में आंसू आ गये। वह 15 दिन के अवकाश पर चला गया था। यह मेरे 22 वर्ष की उम्र के समय की बात है। आज थानवी साहब की उम्र 60 साल की है। साठ साल की उम्र में अगर उनको कुछ हो गया तो इसके घातक परिणाम निकलेंगे और वे परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। अतः मेरा निवेदन है, श्रीमान्, आपकी अध्यक्षता में वित्त मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया, बजट भाषण के अवसर पर कि राजस्थान में शराबबन्दी लागू होगी और 1 अप्रेल से ही लागू होगी। मंत्रिमण्डल भी चाहता है परन्तु विचार कर रहे हैं। आप हमारे विचार सुन लीजिये और बजट पास कर दीजिये शराबबन्दी, एक अप्रेल से लागू हो जायेगी। यह वित्त मंत्री जी ने स्वयं घोषणा की थी। उस समय हमारे मुख्य मंत्री मौजूद थे, राज्य मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य मौजूद थे। किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया था। इस तरह की बात आपकी सदारत में की गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1938 में राजकोट स्टेट में प्रजा मण्डल ने आन्दोलन चलाया था और वल्लभ भाई पटेल ने वहां के दीवान मि० गिब्सन से समझौता किया। जब वह समझौता पूरा नहीं हुआ तो उसका विरोध किया गया, सरकार के आश्वासन पूरे नहीं करने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया और गांधी जी बीच में कूदे। सरकार ने वचन भंग किया तो गांधी जी ने खुद ने वचन भंग के मामले को लेकर आमरण अनशन किया था। देश में और लोगों ने भी किया था। कुम्हेर में मैंने भी किया था। दूसरे दिन ही अंग्रेज सरकार कांप गई थी। उसने कहा कि जो वचन दिया है वह पूरा किया जायेगा। इसी प्रकार थानवी जी को राज-

(श्री काशीनाथ गुप्त)

स्थान सरकार के वचन भंग के कारण गांधीवादी तरीके से अनशन करने का पूर्ण अधिकार है। अत: मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपकी सदारत में इस सदन में दिये गये वचन को इस सरकार ने भंग किया है। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि वचन की पूर्ति की जानी चाहिये। अगर थानवी जी की हत्या हो गई, उनका बलिदान हो गया तो थानवी जी का बलिदान खाली नहीं जायेगा, इसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज थानवी जी के अनशन को लेकर सारे राजस्थान में जगह जगह पर उत्तेजना फैली हुई है। इस तरह की हठधर्मी के परिणाम, वचन भंग के परिणाम पिछली सरकार को भुगतने पड़े हैं। मैं सरकार को फिर से चेतावनी देना चाहता हूं कि आप सोच समझ कर और विवेक से काम लें। जब केन्द्रीय सरकार कहती है कि आपका फार्मूला मानने को तैयार हैं, राजस्थान सरकार की मांग के अनुसार मुआवजा मिलने का वायदा हो गया है तो फिर वचन भंग क्यों किया जा रहा है ? आज थानवी जी का आमरण अनशन हो रहा है और राजस्थान का पूरा मंत्रिमण्डल यहां पर मौजूद है। श्रीमान् जी, आपके समक्ष जो आश्वासन दिया था वह आपके सामने पूरा होना चाहिये....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली गलती तो वित्त मंत्री जी ने की, कि उन्होंने आश्वासन दिया था, यहां पर अनाउंसमेंट किया था कि यदि शराबबन्दी नहीं हुई तो मैं मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दूंगा। आज वे विराजमान हैं और हमारे थानवी साहब ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यहां पर कहां विराजमान हैं ?

श्री मदन सिंह दांता : यहां पर नहीं तो क्या हुआ, मन्त्रिमण्डल में विराजमान हैं।

मैं वहां पर गया था, अध्यक्ष महोदय, और मैंने जो सुझाव दिया था वह आप लोगों को भी निवेदन करता हूं कि पहले तो आपके मन्त्रिमण्डल को मजबूर करेंगे और इस्तीफा दिलायेंगे। मैं भी वचन देता हूं कि मैं अपनी सीट छोड़ कर शराबबन्दी के प्रश्न पर फिर से इलेक्शन लड़ूंगा। यह भी प्रजातान्त्रिक तरीका है। आज किसी भी प्रकार से हो, अध्यक्ष महोदय, वे अनशन पर बैठ गये हैं। आज हमें गली में जाते हुए शर्म आती है। एक विधायक अनशन पर बैठे हुए हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप भी अगर उनको कह सकें, अपनी तरफ से उनको समझा सकें तो समझायें। न समझें तो खुद सरकार को मजबूर करें। अध्यक्ष महोदय, अगर लड़के सड़कों पर खड़े होकर तोड़ फोड़ कर सकते हैं तो मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो दारु के ठेके चल रहे हैं वह ठेके फोड़ूंगा, दुकानें तोड़ूंगा उनको फोर्स करूंगा तथा ठेके खतम कराऊंगा। ये ठेके नहीं चल सकेंगे। आखिरी उपाय यही होगा।

72

मेजर श्री फतहसिंह : मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : आप मुझे अनुमति देंगे तो बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में इस बजट अधिवेशन से पहले ऐसा वातावरण बनाया गया था अथवा बना था कि पहली अप्रेल, 1979 से राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी होगी। उस वक्त अखबारों में यह भी पढ़ा था कि गोकुल भाई 13 अप्रेल, 1979 से नशाबन्दी नहीं होने की सूरत में आमरण अनशन करेंगे। यह भी पढ़ा था कि अगर गोकुल भाई आमरण अनशन पर बैठ जायेंगे तो, मुख्य मंत्री जी अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। गोकुल भाई अनशन पर नहीं बैठे। उसके लिए पूर्ण प्रयत्न किया गया, उनकी जान बचाई गई और बचानी भी चाहिए थी। उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक प्रश्न यह उठता है कि सदन से बाहर के आदमी, जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनकी जान बचाई जानी चाहिए थी और बचाई गई लेकिन सदन के बाहर के व्यक्ति के लिए तो मुख्य मंत्री जी दिल्ली गए, बम्बई गए, त्याग पत्र देने की बात की लेकिन मुझे ......

श्री मूलचन्द डागा : यहां मिलने तक नहीं गए।

मेजर श्री फतहसिंह : बीच में हस्तक्षेप न करें।

लेकिन इस विधान सभा सदस्य ने इस विधान सभा में घोषणा की कि मैं पहली अप्रेल से आमरण अनशन करूंगा, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कल रात्रि को साढ़े दस बजे से पहले मुख्य मंत्री मिलने तक नहीं गए। बाद में मिलने के लिए भी इस परिस्थिति में गए जब उनके साथ श्री गट्टानी जी और भट्ट साहब भी थे, मिजाज पुर्सी के लिए चले गए। लेकिन समस्या का समाधान क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। तो माननीय सदस्य, चाहे उधर बैठते हों, चाहे इधर बैठते हों या चाहे जनता पार्टी के पुराने विभिन्न घटकों से भी हमारा सम्बन्ध हो, हम उनसे ऊपर उठ कर सारी समस्या पर विचार करें। इसी में इस सदन का कल्याण है, हमारा कल्याण है और राजस्थान का गौरव इसमें छुपा हुआ है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, थानवी जी को पिछले एक साल से जानता हूं, वे अपनी बात के पक्के हैं। यह बात निश्चित है, दृढ़ सत्य है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वह अनशन नहीं तोड़ेंगे। क्या यह सदन चाहता है कि वे इस बड़ी समस्या के ऊपर बलि-वेदी पर चढ़ जायं, अपना जीवन न्यौछावर कर दें? आज यह समस्या ऐसी है, ठाकुर साहब, मदनसिंह जी ने एक बात कही कि चार महीने के बाद, छः महीने के बाद तो कुछ जिलों में 2 अक्टूबर से नशाबन्दी होने वाली है, दो तीन जिले हैं उनमें 1 अप्रेल, 1980 को होने वाली है। तो सरकार को इसमें क्या कठिनाई है? यह सरकार जाने, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि क्या यह डेमोक्रेसी है, क्या राजस्थान में प्रजातन्त्र है? अध्यक्ष महोदय, 200

(मेजर श्री फतहसिंह)
सदस्यों में से करीब 109 सदस्यों ने शराब-बंदी करने के लिए हस्ताक्षर किये हैं, उन 109 में मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। अब 110 हो गये हैं....

श्री मथुरादास माथुर : मेरे भी हस्ताक्षर नहीं हैं।

मेजर श्री फतहसिंह : तो 111 मान लीजिए। इतने सदस्य यह कहते हैं कि राजस्थान में नशाबंदी हो-तो फिर यह डेमोक्रेसी है तो नशाबंदी होनी चाहिए। इसलिए मैं अधिक बात न कह कर मेरी सरकार से निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वे इस समस्या को छोटी मोटी समस्या न समझें। कहीं हमारे ऊपर कलंक न लग जाए। इससे सारे राजस्थान में आग लग जाएगी। आपका जो मंत्री परिषद है उसने और, मुख्य मंत्री जी, आपने बहुत देरी की है अब तक, यह देरी शोभनीय नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कोई रास्ता निकालिये और इनके प्राण बचाइये नहीं तो यह ज्वाला राजस्थान के दूसरे इलाकों में फैलेगी। यह भी हो सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे माननीय सदस्य उनका अनुकरण करें।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि यह कोई साधारण एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं है। जिन माननीय सदस्यों ने यह एडजोर्नमेन्ट मोशन इस सदन के सामने रखा है, इस सदन के सामने लाये हैं, मैं उनका बड़ा आभारी हूं और उन्होंने इस सदन का बड़ा उपकार किया है। इसलिए सदन की समस्त कार्यवाही को रोक कर इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिए। इस राजस्थान की विधान सभा के पिछले 25–27 वर्षों के इतिहास में ऐसी समस्या कभी उत्पन्न नहीं हुई है। माननीय माथुर साहब शुरू से इसके सदस्य रहे हैं, मुझे भी यहां पर रहने का अवसर मिला है। ऐसी समस्या इस सदन के सामने कभी नहीं आई है। इसलिये सभी माननीय सदस्य इस बात पर गंभीरता से चिन्तन करें। मुख्य मन्त्री जी को भी यह कहना है कि यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। प्रतिष्ठा तो इसी में है कि उनके प्राणों को बचाया जाए। अगर उनकी बात को नहीं स्वीकार करते हुए भी मुख्य मंत्री उनको मना सकते हैं तो उनको मनाइये। मेरा यही निवेदन करना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार को इस बारे में कुछ कहना चाहिए। हम सरकार का वक्तव्य सुनना चाहते हैं। सरकार क्या कहना चाहती है ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस मोशन के ऊपर मेरा यह निवेदन करना है कि आप इसको एडमिड करें। हम सदन में प्रस्ताव रख दें उस पर वोट हो जाए....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसका हल आज का आज करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : एक आदमी की दहशत है। यह मंत्रिमण्डल कुछ नहीं कह सकता है। एक व्यक्ति के प्राण जा रहे हैं....

(७४)

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, इसका हल आज का आज ही निकाला जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समस्या पर मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है इसलिए इस समस्या पर बोलने का अवसर दिया जाए। यह बहुत ही अहंम ममला है। यह सिद्धान्तों का मामला है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन को एडमिट किया जाए।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : आप कृपा कर के इस स्थगन प्रस्ताव को····

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाए····

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : यह सदन की मांग है, यह सदन चाहता है····

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह सरकार बहरी है, गूंगी है····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आप इसको मन्जूर कर लीजिए और हाउस में इस पर चर्चा होने दीजिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : वित्त मंत्री महोदय सदन में बैठ जाएं। उन से कहा जाए कि वे वक्तव्य दें····

(व्यवधान)

इन से स्टेटमेन्ट दिलाया जाए। यह सरकार हत्यारी है, यह सरकार बहरी है, यह सरकार गूंगी है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है, इसको मन्जूर कर लिया जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०पू० 12·48 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 904 की सूची

मंदिरों की राजस्व भूमि का विवरण

क. सं,	नाम मंदिर	ग्राम जहां भूमि स्थित है	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5
अ	श्री सारणेश्वरजी सिरोही तह० सिरोही	सिरोही तह० सिरोही	1	43.6
			4	312.16
			8	6.16
			10	479.17
			12	1.6
			14	38.13
			27	119.5
			29	0.10
			31	0.12
			33	94.13
			155	3.18
			155	0.7
			157	9.14
			कुल 13	1107.13 बीघा
		ग्राम जोयला तह० शिवगंज में	खाता नं. 154	26
		ग्राम दांतराई तह० रेवदर में	1704	306.7
			1706	254.4
			1708	12.10
			1710	30.14
			1712	264.12
			1705	7.8
			1707	1.16
			1709	9.17
			1711	0.7
			9	887.15 बीघा

1	2	3	4	5
			699	0.2
			700	0.5
			701	16.13
			702	0.10
			703	0·5
			704	3.3
			705	1.16
			706	3.13
			707	0.5
			708	8.14
		योग	10	35.5 का 1/2 हिस्सा याने सारणेश्वर जी के खाते में 17.12 बीघा है।
	कुल भूमि सारणेश्वर जी के खाते में 2039 बीघा है।			
ब	श्री मार्कण्डेश्वर जी ग्राम हजारी तह० पिण्डवाड़ा	ग्राम हजारी तहसील पिण्डवाड़ा	2108	1.19
			1754	5.5
			1755	2.2
			2106	6.5
			2107	5.5
		योग	5	20.16 बीघा

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न सं० 578 की सूची

सूची

1,	श्री अब्दुल रहमान कैटल गार्ड	कोटा
2.	,, अब्दुल मजीद पुत्र अहमद खां	,,
3.	,, पांतू लाल पुत्र भंवर लाल	,,
4.	,, नन्द राम पुत्र गणपत लाल पम्प ड्राईवर	रावतभाटा
5.	,, माहू सिंह पुत्र गज सिंह चौकीदार	,,
6.	,, मांगीलाल पुत्र नजीर खां	,,
7.	,, प्रभूलाल पुत्र भंवरलाल	,,
8.	,, राधेश्याम पुत्र लालनाथ	,,
9.	, जगन्नाथ पुत्र रामचन्द्र	,,
10.	,, नानूराम पुत्र घासी	
11.	,, राधेश्याम पुत्र नानूराम	,,
12.	,, देव लाल पुत्र नारायण	,,
13.	,, शम्भूसिंह पुत्र गोपाल सिंह	,,
14.	,, केशरा वाटरमैन	टौंक

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न सं० 620 की सूची

जिलाधीश कार्यालयों के भण्डारों के भौतिक सत्यापन सम्बन्धी सूचना।

	नाम जिला	भण्डार का भौतिक सत्यापन निर्धारित समय से हो रहा है अथवा नहीं	पूर्व में किये गये भौतिक सत्यापन की तिथी
1.	अजमेर	नहीं	1978–79 का शुरू कर दिया गया है।
2.	अलवर	हां	31–1–77
3.	बांसवाड़ा	हां	30–12–78
4.	बाड़मेर	नहीं	अगस्त, 75
5.	भरतपुर	नहीं	1976–77
6.	बीकानेर	नहीं	जून, 1974
7.	भीलवाड़ा	हां	17–8–78
8.	बून्दी	हां	मई–जून, 78
9.	चित्तौड़गढ़	नहीं	21–7–77
10.	चूरू	हां	अक्टूबर, 78
11.	डूंगरपुर	हां	11–4–78
12.	गंगानगर	नहीं	26–3–77
13.	जयपुर	नहीं	जून, 78
14.	जैसलमेर	हां	28–2–79
15.	जालौर	नहीं	1978
16.	झालावाड़ :—		
	(1) सामान्य प्रशासन शाखा	हां	1978
	(11) भू-अभिलेख शाखा	नही	1978
17.	जोधपुर	नहीं	23–24 मार्च, 73
18.	झूंझुनूं	हां	16–3–79
19.	कोटा	नहीं	24–4–78
20.	नागौर	नहीं	26–11–75
21.	पाली	नहीं	22–9–76
22.	स० माधोपुर	नहीं	75–76
23.	सिरोही	हां	1–4–77
24.	सीकर	हां	1978
25.	टौंक	हां	26–8–78
26.	उदयपुर	नहीं	25–7–77

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न सं० 661 की सूची

पिछले तीन वर्षों में अनु० जाति एवं जन जाति को सरकारी सेवा में दी गई नियुक्तियां :–

समस्त जिलाधीश कार्यालयों में प्राप्त सूचना :—

पद का नाम	नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या	
	अनु० जाति (क)	अनु० जन जाति (ख)
कनिष्ठ लिपिक	137	96
पटवारी	227	147
ड्राइवर	3	1
चतुर्थ श्रेणी	175	100

भू प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर :—

कनिष्ठ लिपिक	12	7
भू-मापक	40	18
ड्राइवर	2	1
चतुर्थ श्रेणी	3	2

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 176 रा० म० द्वारा
श्री सुभाष चन्द सदस्य विधान सभा

पिछले तीन वर्षों में अनु. जाति एवं जन जाति को सरकारी सेवा में दी गई नियुक्तियां:–

राजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त सूचना के अनुसार :–

पद का नाम	नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या	
	अनु० जाति (क)	अनु० जन जाति (ख)
तहसीलदार	5	4
नायब तहसीलदार	16	13
तहसील रा० लेखाकार	17	6
जिला रा० लेखाकार	–	–
निरी० भू अभिलेख	–	–
कार्यालय सहायक	2	–
कनिष्ठ लिपिक	4	1
सदर कानूगो	4	–
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	1

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतों की जांच

905. **श्री रणजीत सिंह राठौड़** (ओसियां) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य विभाग के चीफ इन्जीनियर के विरुद्ध 37 मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा आयुक्त को नियुक्त किया था ? यदि हां, तो उसने जांच कर राज्य सरकार को क्या रिपोर्ट दी ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच के बाद किन्हीं अन्य मामलों के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य विभाग की यूनियन ने भी कोई ज्ञापन राज्य सरकार को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिये गये 13 आरोप के ज्ञापन पर छानबीन करने हेतु आयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को ज्ञापन भेजा गया था । इसी प्रकार के आरोपों पर पूर्व में तत्कालीन सचिव, स्वास्थ्य द्वारा छानबीन की जा चुकी थी । आयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा की गई छानबीन का ब्यौरा संलग्न तालिका 'अ' में है ।

(2) किन्हीं अन्य मामलों में जन स्वास्थ्य विभान की यूनियन द्वारा दिये गये ज्ञापन की जानकारी नहीं है ।

तालिका 'अ'

भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में अंकित आरोपों में की गई छानबीन का विवरण

क्रम संख्या 1	आरोप 2	विवरण 3
1.	6 करोड़ रुपये की स्टील की खरीद में घोटाला	1. तत्कालीन चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सचिव द्वारा मामले में जांच की गई तथा कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
2.	तारा नगर जल योजना में घोटाला	2. तत्कालीन सचिव द्वारा जांच की गई तथा कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
3.	ग्रोवज काटन कम्पनी से पम्पों की खरीद में अनियमितताएें।	3. मामला आयुक्त द्वारा देखा गया, कोई घोटाला प्रकट में नहीं आया। अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ की इस विनय पर सुनने तथा प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु बुलाया गया परन्तु वे नहीं आये।
4.	जल शोधन संयत्र जयपुर 1-50 लाख रुपये का अप-व्यय।	4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है।
5.	मै० हैदराबाद एसबस्टोस से ए. सी. कप लिंक की खरीद में अनियमितताएें।	5. इसी प्रकार के आरोप पर छानबीन की जा चुकी है तथा। कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई।
6.	चित्तौड़गढ़ जल योजना के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट की खरीद में अनियमितताएें।	6. तत्कालीन सचिव द्वारा मामले में जांच की गई तथा इस आरोप को गलत पाया।
7.	मै. हुन्ट्रल सेवा कारपोरेशन से स्वीच-बोर्ड पेनल की खरीद में अनियमितताएें	7. मामले में आयुक्त द्वारा छानबीन की गई, तथा कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आये। अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ को सुनने तथा प्रमाण प्रस्तुत करने का मौका दिया गया, परन्तु वे नहीं आये।

(82)

1	2	3
8.	मैकाली एण्ड कम्पनी कलकत्ता से फ्लेन्जड पाइप की खरीद में अनियमितताएं।	8. इस विषय पर पी. एच. डी. का सम्बन्धित रेकार्ड उपलब्ध किया जा रहा है।
9.	सोहराब कन्सट्रक्शन कम्पनी इन्दौर से सीमेन्ट पाइप की खरीद में अनियमितताऐं।	9. मामले में तत्कालीन सचिव द्वारा छानबीन की गई। कोई अनियमितताऐं नहीं पाई गई।
10.	ब्लीचिंग पाउडर डीजिंग प्लांट की खरीद में घोटाला।	10. मामले में सुनने तथा प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ को लिखा लेकिन वे नहीं आये।
11.	आर. सी. सी. टैन्क का निर्माण कार्य में अनियमिततायें।	11. सम्बन्धित रेकार्ड उपलब्ध किया जा रहा है।
12.	20 खाता कर्मचारियों को सेवा मुक्त करना।	12. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है।
13.	कच्चा शीशा की खरीद में घोटाला।	13. इस विषय में सम्बन्धित रेकार्ड उपलब्ध किया जाकर छानबीन की गई तथा कोई अनियमितता नहीं पाई (आई)।

नगरपालिका बालोतरा द्वारा कृषि भूमि को आबादी में लेने का प्रस्ताव

907. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगरपालिका बालोतरा के तत्कालीन वार्ड मेम्बर श्री नारायण द्वारा दिनांक 29-1-1977 की बोर्ड की बैठक में श्री बीजाराम पुत्र श्री मूलाराम जाति, मेघवाल की कृषि भूमि को आबादी में लेने का प्रस्ताव किया था ?

(2) क्या श्री बीजाराम की यह कृषि भूमि जिसका खसरा नंबर पूर्व में 105 था और बाद में भू–बन्दोवस्त ख. नं. 298, 299,300 और 305 है बालोतरा की मौजूदा आबादी से लगा हुआ है ?

(3) क्या इस कृषि भूमि पर कई लोगों ने कब्जा करके, अब इस भूमि को आवासीय उपयोग में ले रहे हैं ? क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि श्री बीजाराम इस कृषि भूमि को आबादी में देने को सहमत हैं और इनकी सहमति के बाद ही नगरपालिका के तत्कालीन सदस्य श्री नारायण ने नगरपालिका बोर्ड के समक्ष 29–1–77 को प्रस्ताव रखा था ?

(4) क्या यह सही नहीं है कि बालोतरा में आवास की भयंकर समस्या को नजर अन्दाज करके नगरपालिका प्रशासन निष्क्रिय होकर बोर्ड के दिनांक 29–1–77 के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं कर रहा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । इस भूमि को आबादी में लेने के लिए बोर्ड ने दिनांक 29–1–77 को प्रस्ताव किया था पर श्री बीजाराम ने अत्याधिक कीमत मांगी ।

(4) जी नहीं ।

जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा पारितोषिक प्राप्त व्यक्तियों की सूची

908. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल बाजार) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कुछ वर्ष पूर्व जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर ने राज्य के गत 25 वर्षों में पारितोषिक, अवार्ड एवं अलंकरण प्राप्त व्यक्तियों की सूची तैयार की थी और इस हेतु समस्त विभागों से सूचना भी माँगी गई थी ? यदि हां, तो अब तक सूची शीघ्र तैयार कर सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य सरकार ऐसे सम्मानित व्यक्तियों को जिनका कार्य आने वाली पीढ़ियों को उत्साह-वृद्धक होगा इन्हें सम्मानित करने के रूप में 26 जनवरी या 15 अगस्त को याद करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) साधारणतया ऐसी सूची संकलित

(जन सम्पर्क मन्त्री)

करना जन सम्पर्क विभाग का कार्य नहीं है और इस संबंध की विभाग के पास फिल–हाल कोई पत्रावली भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी, उप निदेशक (साहित्य) ने इस प्रकार का एक प्रयास अवश्य किया था लेकिन उनका अचानक देहान्त हो जाने के कारण इस कार्य में प्रगति नहीं हो सकी।

(2) यह प्रश्न सामान्य प्रशासन विभाग से संबन्धित है जिसने सूचित किया है कि फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

पंचायत समिति मुख्यालयों तक बस सेवा

909. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य की हर पंचायत को बस सर्विस द्वारा पंचायत समिति हैडक्वार्टर तक कब तक जोड़ दिये जाने की राज्य सरकार की योजना है ?

उत्तर

राज्य सरकार यथासम्भव हर पंचायत समिति मुख्यालय से बस सेवायें जोड़ने के सम्बन्ध में प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में जिले वार परिवहन योजना भी तैयार करवाई जा रही है।

झालरापाटन क्षेत्र की जल प्रदाय योजनायें

910. **श्री निर्मल कुमार सकलेचा** (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जूनाखेड़ा एवं रटलाई की जल प्रदाय योजनाएं विचाराधीन हैं ?

(2) इन जल प्रदाय योजनाओं का काम कब तक चालू करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) इन ग्रामों को जिला आयोजना समिति ने प्रस्तावित्त किया है।

(2) नई योजनाओं का चयन, जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों में प्राथमिकता, धन की उपलब्धी एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर की जा सकेगी।

उम्दतुल हुक्मा डिग्री को मान्यता

911. **श्री अयूब खां** (तिजारा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज की उम्दतुल हुक्मा डिग्री की मान्यता सन् 1968 से समाप्ति के आदेश सन् 1976 में व डिप्लोमा की मान्यता सन् 1970 तक के बाद की समाप्ति के आदेश सन् 1977 में निकाले गये हैं तथा जब कि आयुर्वेद विभाग ने सन् 1972 में उत्तीर्ण डिग्री वालों को व 1976 में डिप्लोमा वालों को नियुक्तियां दी

(श्री अयूब खां)

हैं, ऐसा पक्षपात क्यों किया गया जब कि यनानी की अन्य कोई शिक्षण संस्था इसके अलावा नहीं है ?

(2) क्या राजपूताना यूनानी कालेज जयपुर को प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली अनुदान राशि में चलाया जाना सम्भव है ? अगर हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की ?

(3) क्या राजपूताना यूनानी कालेज को सन् 1976 तक अनुदान राशि दी गई ? अगर दी गई है तो कितनी, और उस साल में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए क्या मान्यता प्रदान की जा चुकी है ? अगर नहीं, तो उनके भविष्य के बारे में क्या विचार किया ?

(4) क्या इस विभाग में 25 हकीमों की जगह खाली है जब कि 20 बेरोजगार डिग्री वाले राजपूताना यूनानी कालेज के स्नातक बैठे हैं ? यदि हां, तो उन्हें नियुक्ति, क्यों नहीं दी जाती ?

(5) आयुर्वेद विभाग का सालाना बजट कितना है और आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक पर अलग अलग कितनी राशि खर्च की जाती है, तथा यूनानी पर सब से कम क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1972 में उत्तीर्ण डिग्रीधारियों को वर्ष 1972 व 1973 में तथा उत्तीर्ण डिप्लोमाधारियों को वर्ष 1976 में नियुक्ति दी गई थी। चूंकि मान्यता का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था और मान्यता के मामले पर निर्णय 1976 में हुआ और नियुक्तियां पूर्व में ही हो गई थी। अतः नियुक्तियों में कोई पक्षपात नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। कालेज केवल अनुदान राशि से ही नहीं चलाया जा सकता। उचित राशि का प्रबन्ध संस्था को अपने स्तर पर करना पड़ता है।

(3) वर्ष 1976–77 में रुपये छः हजार का अनुदान दिया गया था।

वर्ष 1976 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को मान्यता देने का अभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। हकीमों के 23 पद रिक्त हैं। विभाग द्वारा पदों को भरने के लिये विज्ञापन जारी किया था, जिसके संदर्भ में 20 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जिन पर चयन समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

(5) वर्ष 1978–79 में विभाग का संशोधित बजट 618.99 लाख रुपये का था। इसमें से 607.45 लाख रुपये आयुर्वेद पर, 7.28 लाख रुपये यूनानी पर, 2.51 लाख रुपये होम्योपैथिक पर तथा 1–25 लाख रु० प्राकृतिक चिकित्सा के लिये थे। इसके अतिरिक्त यूनानी औषधालयों व चिकित्सालयों को रोगी संख्या के आधार पर आयुर्वेद के बजट से 3.90 लाख

(86)

(आयुर्वेद मंत्री)

रुपये औषधियों के लिये अलग से दिये गये है। इस प्रकार यूनानी पर व्यय सबसे कम नहीं हुआ है।

वन विभाग में वनपालों की नियुक्ति

912 **श्री सूरज पाल सिंह** (भीनमाल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या हाल ही में वन विभाग में वन पालों की नियुक्ति हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था, और जोधपुर में लिखित परीक्षा द्वारा चयन किया गया जब कि बीकानेर में इन्हीं पदों के लिए बिना लिखित परीक्षा लिये चयन किया गया है ? अगर हां, तो ऐसा किये जाने के क्या कारण थे ? एक ही विभाग एवं एक ही पद के लिए यह भेदभाव पूर्ण नीति अपनाये जाने के क्या कारण थे ?

उत्तर

जी हां। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 22 के अन्तर्गत नियुक्ति अधिकारी को योग्य प्रत्याशियों के चयन हेतु निर्णय लेने की छूट है। जोधपुर बीकानेर में पृथक पृथक नियुक्ति अधिकारी पदस्थापित होने से उन द्वारा विभिन्न प्रक्रिया अपनायी गयी।

यू० जी० सी० वेतनमानों से उत्पन्न असंगतियां

913. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मेडिकल कालेजों के अध्यापकों द्वारा चिकित्सा आयुक्त को लगभग एक वर्ष पूर्व दिये गये "स्मरण-पत्र" (मैमोरेन्डम) पर जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा राजकीय एवं अराजकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यापकों को स्वीकृत यू. जी. सी. वेतनमानों से उत्पन्न वैतनिक असंगतियों एवं असमानताओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

जी हां। उसका विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर द्वारा जले हुये कोल एश का बेचान

914. **श्री सैय्यद मंजूर अली** (सवाई-माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आज कल कोल एश कारखानों में काम आने वाले जले हुए कोयले की राख का बाजार भाव 80–85) रु. फी टन है ?

(2) क्या जयपुर उद्योग लिमिटेड (सीमेन्ट फैक्ट्री) सवाई माधोपुर की कोल एश श्री नारायणलाल ठेकेदार को केवल 20) रु. फी टन में बेच दी गई है ? अगर हां, तो कितने टन ? अगर नहीं, तो किस कीमत पर किस ठेकेदार को किस तारीख को फरोख्त की है और कितने टन ?

(श्री सैय्यद मंजूर अली)

(3) क्या इस बेचान के वास्ते कोई एग्रीमेन्ट किया गया है ?

(4) क्या कोई टेण्डर्स मांगे गये थे ? अगर हां, तो किस किस ठेकेदार ने कितने कितने रुपये की टन का टेण्डर दिया था ?

उत्तर

(1, कोल एश के बाजार भाव की निश्चित जानकारी नहीं है, परन्तु जयपुर उद्योग द्वारा 5-1-1979 को आमंत्रित निविदा के उत्तर में लोकोज/वर्कशाप से निकली कोल एश की उच्चत्तम आफर 83·51 रुपये प्रति टन की प्राप्त हुई है। रेल्वे द्वारा सवाई माधोपुर में कोल एश करीब 30 प्रति टन की दर से बेचा जाता है। मैसर्स नाथूलाल एण्ड कम्पनी को दिनांक 13-10-1977 को जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर के वर्कशाप/लोकोज से निकली कोल एश को उठाने का ठेका 20) रु. प्रति टन की दर से किया गया था। उक्त ठेकेदार कम्पनी ने नवम्बर, 1977 से दिसम्बर, 1978 की अवधि में 1733·950 टन कोल एश उठाई। विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इसके पश्चात् कोन्ट्रैक्ट निरस्त कर दिया गया व जनवरी, 1979 के बाद कोई बेचान नहीं किया गया। यह व्यवस्था डायरेक्टर इंचार्ज को जनवरी, 1979 में पता चली तभी तत्काल माल देना बन्द कर दिया। यह ठेका जयपुर उद्योग के चीफ एक्जीक्यूजटिव श्री के. एल. जैन ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया था।

(2) जी हां। मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा मैसर्स नाथूलाल एण्ड कम्पनी को प्रसंविदा-पत्र दिनांक 13-10-1977 को जारी किया गया।

1976 व 1977 में कोल एश उठाने हेतु अलग से कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई, परन्तु फैक्ट्री व बांईलर से निकले कोल एश को उठाने के लिये 1976 में मैसर्स गिरधारीलाल एण्ड कम्पनी को रुपये 18·25 प्रति टन की दर से ठेका दिया गया तथा वर्ष 1977 में, दूसरा ठेका मैसर्स स्वामी जीवानन्द दादु बन्धी, जयपुर को बोईलर्स से निकली ताजा कोल एश को रु. 11.51 रु. की दर से उठाने व रु. 6.51 पै. प्रति टन की दर से पुरानी कोल एश का ठेका दिया गया।

सूची

मैसर्स नाथूलाल एण्ड कम्पनी द्वारा उठाई गई लोको कोल एश का विवरण

नवम्बर, 1977	—	121.350	टन्स
दिसम्बर, 1977	—	51.930	,,
जनवरी, 1978	—	42.000	,,
फरवरी, 1978	—	108.100	,,
मार्च, 1978	—	251.400	,,
अप्रेल, 1978	—	316.750	,,
मई, 1978	—	213.300	,,
जून, 1978	—	168.800	,,
जुलाई, 1978	—	81.450	,,
अगस्त, 1978	—	75.350	,,
सितम्बर, 1978	—	47.650	,,
अक्टूबर, 1978	—	88.850	,,
नवम्बर, 1978	—	92.950	,,
दिसम्बर, 1978	—	74.050	,,
		योग = 1733.950	टन्स

अर्थात् 1734 टन्स

———

गोमती नदी पर पुल का निर्माण

915. श्री मावजी भाई (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गोमती नदी पर खरका के पास कोई रपट या पुल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना कब तक है ?

(2) क्या झामरी नदी पर गीगला के पास कोई रपट या पुल बनाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होने व पूर्ण होने की सम्भावना है ? सम्बन्धित योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

छठी योजना में प्रस्तावित है ।

(2) जी नहीं ।

अभी प्रस्तावित नहीं है ।

खेतड़ी कॉपर काम्प्लेक्स के मजदूर नेताओं के विरुद्ध मुकदमें

916. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खेतड़ी के कापर काम्प्लेक्स के मजदूर नेताओं के खिलाफ मई, 1975 में प्रदर्शन के खिलाफ कोई झूंठे केस राज्य सरकार द्वारा बनाये गये ? यदि हां, तो उस क्षेत्र में कितने मजदूरों के केस बनाये गये ? अब उन केसों की क्या स्थिति है ? उपरोक्त केस की सूची मय नामों सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या जनता सरकार के गठन के बाद इन मामलों को वापस लेने हेतु तत्कालीन गृह मंत्री प्रो. केदार नाथ ने टिप्पणी लिखी थी और टिप्पणी में क्या मंत्री महोदय ने यह भी माना था कि उक्त मामले मजदूरों को केवल मात्र परेशान करने के लिए बनाये गये थे ? यदि हां, तो अब तक उक्त मामलों को राज्य सरकार द्वारा वापस क्यों नहीं लिया गया ? अब तक उक्त केसों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ? अब कब तक राज्य सरकार इन मामलों को वापस लेने का विचार रखती है ? राज्य सरकार द्वारा इन मामलों में अब तक की गयी कार्यवाही की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । कोई झूंठा केस नहीं बनाया गया है । इस सम्बन्ध में दर्ज हुए अभियोगों की वर्तमान स्थिति तथा नाम अभियुक्तान संलग्न सूची में अंकित है ।

(2) मामला राज्य सरकार के अंतिम निर्णय के लिए विचाराधीन है ।

(90)

तारांकित प्रश्न 916

सूची मुकदमात दौराने हड़ताल खेतड़ी कापर काम्पलेक्स पर वर्ष मई, 1975 में दर्ज हुए मुकदमात

क्र० सं०	मुक० नं०	तारीख	धारा	नाम मुस्तगीस	नाम मुलजिमान	नतीजा पुलिस	मामले की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	77	1–5–75	147/353/447 ता : हि : थाना सिथाना	श्री केहरसिंह, निरी० सी. आई. एस. एफ. (केसीपी)	1–श्री एन. के. सक्सेना ज. सेक्रेट्री 2– „ हरीसिंह राठौड़, सेफे : यूनि : 3– „ हरीराम शर्मा, जाप्रलि 4– „ जी. सी. आर्य सेक्रेट्री 5– „ के सी मोची	एफ.आर.नं. 48 दिनांक 27–5–75 अदम वकू ही गई	17–12–76 को अदालत एम. जे. एम. खेतड़ी से स्वीकार हुई ।

1	2	3	4	5	6	7	8
2–	75	29–5–75	147/148/353 332/395/ता : हि :	श्री केहरसिंह, निरी० इन्चार्ज कोलियान माईन्स खेतड़ी	1–श्री रामनरेश यादव पुत्र श्री सूरजवली श्रीवास्तव नि. मठिया महाराजगंज । 2–रामस्वरूप पुत्र श्री प्रहलाद राम इंदौरियां, नि. वृन्दावन, चिढावा । 3–बनवारी लाल पुत्र मदनलाल भट्ट नि. झुंझुनूं । 4–करणीराम पुत्र मालीराम जाट नि: मियासर थाना झुंझुनूं । 5–मूलचन्द पुत्र सूंडाराम गूजर नि. वाकोटी एण्ड के सो पो ।	चार्जशीट नं. 23 दिनांक 14–7–75 बखिलाफ मुलजिमान दिनांक 17–7–75 को चालान पेश किया गया ।	अदालत एम. जे. एम. खेतड़ी में पेश किया जो अब कमिट होकर सेशन जज, गैर तजवीज है तथा दिनांक 6–4–79 को मुलजिमान पर चार्ज लगाया गया । तथावास्ते सहादत दिनांक 14–5–79 से 18–5–79 तक नियुक्त की गई है ।

(91)

1	2	3	4	5	6	7	8
					6–जगवीरसिंह पुत्र कन्है-यालाल लोढा नि. खेतड़ी।		
					7–प्रियतम सिंह पुत्र बसंत सिंह परमार निवासी पंचोल थाना फगवाड़ा जलंधर।		
					8–नरेन्द्र कुमार पुत्र हरि-हर सहाय सक्सेना नि. मालाखेड़ा गेट, अलवर		
					9–ओम प्रकाश पुत्र लाल-चन्द जाट थेशीपुरा।		
					10–सत्यनारायण पुत्र गण-पतराम, निवासी खेतड़ी।		

1	2	3	4	5	6	7	8
					11–रामचन्द्र पुत्र गोरया सुथार नि. बलाना थाना देशलोक बीकानेर ।		
					12–रामचन्द्र पुत्र किशनाराम गूजर नि. जैरपुरा थाना जिला महेन्द्रगढ़ ।		
3–	76	29–5–75	147, 148, 149, 332, 353, 440, 395, 452, 307, ता : हि :	श्री आर. एन. यादव] माइनिंग इन्जि० कोलिहान माइन्स खेतड़ी	1–श्री रामनरेश पुत्र सूरजबली श्रीवास्तव नि. मिठिया थाना महाराजगंज यू पी.	चार्जसीट एम. जे. एम. खेतड़ी में 14–7–75 को बर खिलाफ 12 केस मुलजिमान पेश की गई ।	अदालत एम जे. एम. खेतड़ी से कमिट होकर गैर तजबीज सैशन जज झूंझनूं में है तथा आज, दिनांक 6–4–79 को मुलजिमान की चार्ज लगाया गया वास्ते शहादत दिनांक 14–5–79
					2–रामस्वरूप पुत्र प्रहलाद राम इन्दौरिया नि. वृदावन थाना चिड़ावा ।		

1	2	3	4	5	6	7	8
					3–बनवारी पुत्र मदनलाल भट्ट नि. झूंझनूं ।		79 से 18–5–79 तक नियुक्त की गई ।
					4–फूलचन्द पुत्र सूडाराम गूजर नि. वांकेरी		
					5–गजवीरसिंह पुत्र कन्हैयालाल सोडा नि. खेतड़ी ।		
					6–प्रियतमसिंह पुत्र बनतासिंह परमार नि. पंचोल थाना फगवाडा, जलंधर ।		
					7–नरेन्द्र कुमार पुत्र हरिहर सहाय सक्सेना मालाखेड़ा गेट अलवर ।		

95

1	2	3	4	5	6	7	8
					8-ओम प्रकाश पुत्र लालचंद जाट निवासी देवीपुरा।		
					9-रामचन्द पुत्र गोप्याराम सुनार नि. पलाना पी. एल. देशनोक बीकानेर।		
					10-रामचन्द पुत्र किशनाराम गूजर निवासी जैरपुर जि. मेहन्दगढ़।		
					11-श्यामलाल पुत्र नारायणलाल सैनी नि. चिढावा।		
					12-महादाराम अहीर नि. बहेसवाली ढाणी खेतड़ी।		

1	2	3	4	5	6	7	8
4–	88	31–5–75	147, 148, 149, 353, 332, 342, 430 ता : हि : पी एस सिंघाना	श्री जितेन्द्रनाथ मिश्रा, डी. वाई. एस. पी. यू. अ. खेतड़ी।	1–श्री वच नसिंह पुत्र सुआराम यादव नि. मलया, जि. बाजीपुर हाल मुलाजिमान के सी पी। 2–बनवारी लाल जाट पुत्र तेजाराम साकिन पालसरी, थाना झूंझुनूं हाल मुला. के सी पी। 3–एन. ए. खान पुत्र ए. ए. खान मुसलमान सा. पुजपुर थाना महरोली। हाल फिटर के. सी. पी.।	चार्जसीट नं. 29 दिनांक 19–7–75 पर खिलाफ मुलजियाम दी गई।	मामला गैर तजवीज अदालत है।

सूरतगढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का निराकरण

917. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरत गढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सूतरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 249 ग्रामों में से अधिकांश ग्राम पानी की समस्या से ग्रस्त हैं ? यदि हां, तो इस वर्ष राज्य सरकार इस क्षेत्र के किन किन गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश ग्राम समस्याग्रस्त हैं। वर्ष 78-79 के अन्तर्गत सूरतगढ़ तहसील के ग्राम गोलूवाला की पेयजल योजना स्वीकृत की गई है ।

शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति

918. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्यालयों में सरप्लस अध्यापक होने पर नीति के अनुसार ज्यादा ठहराव वाला अध्यापक ही स्थानान्तरित किया जाता है ?

(2) क्या राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आसपुरा जिला सीकर से स्थानान्तरित अध्यापकों में उपरोक्त नीति का पालन किया गया है ? यदि हां, तो स्थानान्तरित अध्यापकों की सूची उनकी ठहराव की तिथि से बताने की कृपा करें ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया एवं अब उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । सूची संलग्न है ।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आसपुरा से स्थानान्तरित अध्यापकों की सूची मय ठहराव के

क्र०सं०	नाम अध्यापक	शाला के ठहराव की तिथि
1.	श्री मुरारीलाल स०अ०	24-8-64
2.	श्री बद्री सिंह स०अ०	27-6-64
3.	श्री भैरवा नन्द स०अ०	7-10-66

जयपुर जिले में अपराधों की संख्या में वृद्धि

919. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में पिछले पांच वर्षों में अपराधों की संख्या कितनी रही ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण रहा है और इसके समाधान हेतु राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार बढ़ती हुई आबादी और अपराधों को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस अनुपात में ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में पांच वर्षों के अपराधों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	1974	6377
,,	1975	6356
,,	1976	6300
,,	1977	8515
,,	1978	8916

(2) जी हां। बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगीकरण तथा अपराधों का सुगमता से पंजीकरण तथा आपातकाल में बंदी बनाए असामाजिक तत्वों को बाहर आना, अपराधों की वृद्धि का मुख्य कारण रहे हैं।

(3) जी हां। अपराधों की संख्या के आधार पर थानों में स्टाफ देने के बारे में प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

लालसोट क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

920. **श्री हरसहाय मीणा** (लालसोट)
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में स्टेट हाईवे नम्बर 2 कहां से कहां तक है ?

(2) लालसोट से काथून (जिला जयपुर) तक मुख्य मार्ग पर डामर कार्य कितने वर्षों पूर्व हुआ था ?

(3) क्या राज्य सरकार इस मार्ग पर डामर बिछाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में कोई राशि खर्च करना चाहती है ? यदि हां, तो कितनी तथा कब तक ?

(4) लालसोट-दौसा मुख्य मार्ग से 14 मील स्थान से राहूवास मार्ग तक लिंक रोड के लिए इस बजट वर्ष में कितना रुपया स्वीकृत हुआ तथा उसमें से कितना रुपया खर्च हुआ ?

(श्री रामकिशोर मीणा)

(5) क्या इस लिंक रोड पर डामर के कार्य के लिए भी कोई राशि स्वीकृत की ? यदि हां, तो उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) स्टेट हाईवे नं० 2 राजस्थान में राजाखेड़ा से शुरू होकर सर-मथुरा, करौली, गंगापुर, लालसोट, चाक्सू, फागी, दूदू, खाटू, नागौर, फलौदी तक जाती है।

(3) लालसोट से कोथून तक डामर का कार्य 1965–67 के दौरान हुआ था।

(3) वित्तीय वर्ष 1978–79 में इस मार्ग पर डामर बिछाने हेतु 74,000 रुपये खर्चा हुआ और 3 कि०मी० कार्य करवाया गया।

(4) राहूवास लिंक रोड की लम्बाई 1·5 कि०मी० है जो डामर की बनी हुई है बाढ़ग्रस्त कार्यों के अन्तर्गत इस सड़क पर 40,000 रु. की स्वीकृति (कलवर्ट पुलिया) डामर के कार्य हेतु सन् 77–78 में उपलब्ध थी। पुलिया का कार्य पूरा हो चुका है। और अभी तक 17,500 रु. खर्चा हुआ है।

(5) जी हां। डामर का कार्य केवल नई पलिया के अप्रोच जो 100 मीटर लम्बी है, को बनाने हेतु स्वीकृत है। यह कार्य भी पूरा कराया जा रहा है।

मकराना के खनन-क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

922. **श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मकराना में मार्बल खानों के आस पास दस वर्ष पूर्व डामर की सड़कें बनाई गई थीं ? यदि हां, तो इन सड़कों की आज तक मरम्मत नहीं होने से सड़कों पर खड्डे पड़ गये हैं जिससे खानों में जाने वाले वाहनों की बड़ी कठिनाई होती है ? अब सरकार इन सड़कों की मरम्मत कब तक करायेगी ?

उत्तर

जी हां। मकराना क्षेत्र में मार्बल खानों के आसपास कुछ सड़कें खनिज मद से समय समय पर 10 वर्ष पूर्व बनाई गई है। इन सड़कों में से धनराशी की उपलब्धी के अनुसार मकराना–विदियाद सड़क व मकराना-गुनावती सड़क पर मरम्मत का कार्य चालू है। बाकी माइन्स सड़कों की मरम्मत माइन्स विभाग के माध्यम से विचाराधीन है।

राज्य में परम्परागत कुटीर उद्योगों का विकास

923. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु तथा उनके

(श्री किशनसिंह भाटी)
प्रसार हेतु राज्य सरकार ने अब तक किन किन क्षेत्रों में क्या क्या योजनायें लागू की हैं ?

(2) जैसलमेर जिले के ऊंट, ऊंट की जट, बकरे की जट, चमड़ा, हड्डी आदि पर आधारित तथा बढ़ई, लुहार, जुलाहा, कमीन जातियों द्वारा अपनाये गये परम्परागत उद्योग के संरक्षण हेतु क्या योजना लागू की है ? इसका ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त उद्योगों में रत कितने कारीगरों को उक्त जिले में ऋण आदि की सुविधायें तथा तकनीकी सहायता दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य एवं केन्द्रीय सरकार का नीतिगत रूप से कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित करने का मंतव्य अनेकों बार प्रकट किया जा चुका है। इसमें परम्परागत कुटीर उद्योग भी शामिल हैं और नये कुटीर उद्योग भी। इनके संबंध में राज्य सरकार ने नीतिगत जो सहूलियत दी है, वह परिशिष्ट 'अ' में है।

राजस्थान में परम्परागत कुटीर उद्योग के संदर्भ में प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाया जा रहा है, जिसकी सूची परिशिष्ट 'ब' में प्रस्तुत की जा रही है।

परिशिष्ट अ और ब में जो सुविधायें दी गई हैं एवं केन्द्र चलाए जा रहे हैं, वह राजस्थान व्यापी स्तर पर है।

(2) जैसलमेर जिले में प्रश्न में पूछे गये कुटीर उद्योगों के संबंध में उद्योग विभाग ने नीतिगत उपायों के अलावा अलग से संरक्षण दिये जाने के संबंध में कोई योजना लागू नहीं की है। परिशिष्ट 'अ' में अंकित सुविधायें इन उद्योगों में लगे हुए उद्यमियों को उद्योग विभाग उपलब्ध कराने के लिये तैयार है। परन्तु अभी तक जैसलमेर में औद्योगिक केन्द्र की स्थापना नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच कर इन उद्यमियों की जरूरत का निराकरण नहीं किया जा सकता। वैसे जैसलमेर जिले में खादी की 3 संस्थायें व चर्म उद्योग के लिए पांच सहकारी समितियां हैं, जो राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करती हैं।

(3) जैसलमेर जिले में 4 प्र०श० का (डी०आर०आई०) योजना के अन्तर्गत 21 बुनकरों को 21 हजार रुपये तथा 9 दस्तकारों को 10 हजार रुपये इस वर्ष बैंकों से प्रदान कराये हैं। बैंकों से नामों की सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिये नहीं दी जा रही है।

परिशिष्ट "अ"

गावों में परम्परागत कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार ने निम्न योजनायें लागू की हैं :—

अ जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं, जिससे उद्योगों को प्रोत्साहन में अधिक ध्यान दिया जायेगा। 9 जिला उद्योग केन्द्र खोले जा चुके हैं और 7 केन्द्रों की और स्वीकृति भारत सरकार से आ गई है। शेष 10 जिलों में भी इसी वर्ष ऐसे केन्द्र स्थापित किये जाने के प्रयास हैं।

आ. ऋण सम्बन्धी सहायता :—

1. बैंकों से डी.आर.आई. योजना के अन्तर्गत 4% ब्याज की दर पर दस्तकारों को 1500 रु० तक के ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

2. राज. वित्त निगम द्वारा 2 हजार से 10 हजार तक के ऋण 6% की दर पर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

3. बैंकों व राज. वित्त निगम से 25 हजार रु. तक के ऋण बिना प्रतिभूति (Security) के उपलब्ध कराना।

इ. राज. खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल द्वारा बुनकरों को करघे व सुधरे औजार हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध कराना व सूत देकर माल की बिक्री का प्रबन्ध कराना।

ई. राज. खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल 26 चयनित उद्योगों के हेतु, ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

उ. बुनकर सहकारी समितियों को नये करघे, सुधरे, औजार रंगाई पर, आदि हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध कराना।

ऊ. राज. बुनकर संघ द्वारा सहकारी समितियों को सूत दिलाकर हाथ करघे, कपड़े की बिक्री का प्रबन्ध करना।

ए. राज. लघु उद्योग निगम द्वारा परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग के उत्पादन में सहायता प्रदान करना व अपने एम्पोरियम द्वारा बिक्री का प्रबन्ध करना। विशेष रूप से 35 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण देना व डिजाइन केन्द्र द्वारा नये डिजाइन उपलब्ध कराना।

ऐ. जन जाति सेवों में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा 5 प्रशिक्षण केन्द्र चलाना।

ओ. घरेलू उद्योग योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उपर्युक्त योजनाओं के स्थानों की सूची संलग्न है।

परिशिष्ट–"ब"

1. **जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत :—**

   1. जोधपुर 2. चूरू 3. नागौर 4. भीलवाड़ा 5. उदयपुर
   6. बांसवाड़ा 7. टोंक 8. अलवर 9. झालावाड़

2. **स्वीकृत जिला उद्योग केन्द्र :—**

   1. जयपुर 2. कोटा 3. अजमेर 4. भरतपुर 5. गंगानगर
   6. पाली 7. बीकानेर

3. **राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा आयोजित गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र :**

   1. बीकानेर 2. जयपुर प्रथम 3. नवलगढ़ 4. लाडनूं 5. भीलवाड़ा 6. चूरू 7. जोधपुर 8. सीकर 9. नापासर 10. केकड़ी 11. सांभर 12. ब्यावर 13. जैसलमेर 14. पुष्कर 15. नागौर 16. बालोतरा 17. हमीरपुर 18. जयपुर द्वितीय 19. शिवदासपुरा 20. चाकसू 21. बस्सी 22. आमेर 23. देवली 24. कानोता 25. मालपुरा 26. जहाजपुर 27. अजमेर 28. लालसोट 29. शाहपुरा 30. मनोहरपुरा 31. निवाई 32. रींगस 33. रतनगढ़ 34. रामगढ़ 35. कोलायत

4. **जनजाति परियोजना क्षेत्र में चल रहे प्रशिक्षण केन्द्र :**

1. प्रतापगढ़ (चितौड़गढ़)	सूती दरी बुनाई
2. बांसवाड़ा	बांस पर आधारित वस्तुएं
3. डूंगरपुर	लकड़ी का फर्नीचर
4. उदयपुर	कपड़े पर लकड़ी के ब्लाक
5. आबू रोड	रेग्जीन पर आधारित वस्तुएं

5. **घरेलू उद्योग योजना अंतर्गत चल रहे केन्द्र :**

   1. जोधपुर 2. बीकानेर 3. उदयपुर
   4. जयपुर 5. अजमेर 6. गंगानगर
   7. बाड़मेर ।

खेतड़ी में नियोजन कार्यालय

925. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या खेतड़ी नगर में ताम्बा परियोजना चल रही है ? उनमें नियोजन कार्यालय क्यों नहीं है जब कि वहां श्रमिकों की संख्या 15000 हजार के करीब हैं ? क्या राज्य सरकार वहां नियोजन कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में अभी तक जिला मुख्यालय पर ही नियोजन कार्यालय खोले जाने की नीति निर्धारित है। आर्थिक अभाव के कारण अभी खेतड़ी में नियोजन कार्यालय खोलना संभव नहीं है।

जयपुर दुग्ध वितरण योजना द्वारा आमंत्रित वाहनों के लिए टेन्डर

927. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या डेयरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना में दिनांक 15-1-79 को वर्ष 1978-79 के लिए अनुबंध पर वाहन लगाने के टेन्डर आमंत्रित किये गये थे, कृपया उन समस्त टेन्डर फार्मों की प्रतिलिपि मय अनुबंध शर्तों के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन टेन्डर फार्मों में अनुबंध की तीन, चार, पांच, नौ, दस व ग्यारह और तैंतीसवीं शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो यह टेन्डर फार्म रद्द क्यों नहीं किये ?

(3) क्या यह सही है कि (i) श्री जगदीश प्रसाद व (ii) श्री सिगराम सैनी की दरें बड़े वाहनों में सबसे निम्न थीं ? यदि हां, तो क्या इनके वाहन न लगाने से दुग्ध योजना को 6000) रुपये वार्षिक की हानि हुई है ?

(4) इस गैर कानूनी कार्यवाही के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही तजवीज की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, समस्त टेन्डर फार्मों की प्रतिलिपियां मय अनुबंध शर्तों के सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) प्रश्न में अंकित अनुबन्ध की सभी शर्तों का केवल, शर्त तीन को छोड़ कर कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। शर्त तीन के अनुसार नान जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत नहीं किये, जिसकी छूट कार्य की आवश्यकता को देखते हुए दी गई।

(3) जी हां, परन्तु डेयरी के नियमों में समझौते का प्रावधान होने के कारण दिनांक 24–1–79 को सभी निविदाताओं को समझौते के लिये बुलाया गया तथा समझौते में सबसे निम्न दरें मैसर्स क्वालिटी टेडर्स जिसे ठेका दिया गया अतः योजना को कोई हानि नहीं हुई।

(विकास मन्त्री)

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

(टेन्डर फार्म व अनुबन्ध शर्तें विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम रामपुरा रूपा के ठाकुरजी सीताराम जी की माफी की जमीन

928. **श्रीमती सुमित्रासिंह (भुंभुनू)**

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम रामपुरा रूपा तहसील जयपुर में ठाकुरजी सीताराजी की माफी की जमीन है ? यदि हां, तो उस जमीन के खसरे नं. क्या क्या हैं तथा कुल कितना रकबा है ?

(2) क्या इस जमीन में लोगों ने मकान बना लिये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने मकान बने हैं ? क्या यह सभी तामीरात वैध हैं ?

(3) क्या जिलाधीश जयपुर ने दिनांक 29–8–77 को अवैध रूप से खातेदारी प्राप्त एवं अनधिकृत निर्माण को निरस्त करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो जिलाधीश जयपुर के दि. 29–8–77 के आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(1) क्या इस आदेश के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम रामपुरा रूपा तहसील जयपुर में ठाकुर जी श्री सीताराम जी की माफी में वर्तमान में कोई भूमि नहीं है । किन्तु जागीर पुनर्ग्रहण के पूर्व मन्दिर की माफी में 27 बीघा 6 बिस्वा थी । जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जागी पुनर्ग्रहण होने से पूर्व जो भूमि मन्दिर की माफी में थी जिसमें से 22 बीघा भूमि को खातेदारी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा काश्तकारों के नाम कर दी गई थी । तथा शेष भूमि मन्दिर की खुद काश्त में थी जो जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात पुजारी श्री छोटे लाल के नाम हो गई उस भूमि पर अब तक 211 पुख्ता मकान व 6 मकान एवं 6 भूखण्डों पर चाहर दीवारी तामीर हो गई है । शेष भूमि खाली है, उक्त 27 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि का कृषि भिन्न प्रयोजनार्थ स्थान्तरण विशेषाधिकारी, कृषि भूमि रूपान्तरण द्वारा किया जा चुका है । जो अवैध तामीरात है उनका मामला 175-177 आर. डी. ए. के तहत विचाराधीन है ।

(3) जी नहीं, जिलाधीश जयपुर ने दिनांक 29–8–77 को अवैध रूप से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा दी गई खातेदारी, धारा

(राजस्व मन्त्री)

19 के तहत दी गई खातेदारी तथा पुजारी द्वारा भूमि का बेचान आदि की कार्यवाही को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था उक्त आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(4) जी नहीं। ख. नं. 184. रकवा 6 बीघा 3 विस्वा ख. नं. 364. 2 बीघा 18 बिस्वा, ख. नं 44,45,81,89, 90 रकवा 5 बीघा 15 बिस्वा, ख. नं. 35,42,80 में। बीघा 10 बिस्वा कुल 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि का रूपान्तरण हो चुका है। जिस पर कि मकानात बने हैं इसलिए अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कार्यालय जिलाधीश, जयपुर

क्रमांक :-राजस्व-18 सी (11) 74/4483 दिनांक :—29-8-77

तहसीलदार,
जयपुर।

विषय:-प्रार्थना पत्र श्री छोटेलाल शर्मा पुजारी, ठाकुर जी श्री सीताराम जी, ग्राम रामपुरा, रूपा, तहसील जयपुर।

प्रसंग :—आपका पत्र संख्या भू-अभिलेख 1202 दिनांक 12-7-77

सम्वत् 2015 भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा मन्दिर की माफी भूमि की काश्तकारों के नाम अंकित की गई खातेदारी की अनियमित कार्यवाही मन्दिर के माफी भूमि के काश्तकारों को धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार देने की अनियमित कार्यवाही, पुजारी द्वारा माफी भूमि को अनियमित रूप से बेचान एवं तत्सम्बन्धी नामान्तरकरण तस्दीक करने की अनियमित कार्यवाही तथा विशेषाधिकारी भूमि रूपान्तरण द्वारा माफी की कृषि भूमि का अकृषि कार्यों हेतु रूपान्तरण की गई अनियमित कार्यवाही के जरिये रेफ.रेन्स निरस्त कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः लेख है कि उपरोक्त अनियमित कार्यवाही से सम्बन्धित समूल रेकार्ड एवं तत्सम्बन्धी पत्रावलियों सम्बन्धित कार्यालयों से विशेष वाहक भेजकर तत्काल मंगाने की व्यवस्था करें और इस कर्यालय को भिजवावें।

(106)

आवश्यक समझा जावे ।

एस. डी.
जिलाधीश (राजस्व)

क्रमांक :–राजस्व–18 सी (11) 74/4484–85   दिनांक :–29–8–77
प्रतिलिपि :––

(1) उप जिलाधिकारी, जयपुर को इस कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक आर–18 सी ।

(11) 74/3637 दिनांक 26–7–77 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि मन्दिर की माफी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत की गई कार्यवाही के अन्तर्गत रिसीवर–नियुक्ति के आदेशों की कृपया पालना करावें तथा अतिक्रमियों को पुलिस फोर्स की सहायता से बेदखल करने की कार्यवाही करें ।

(2) विशेषाधिकारी, भूमि रूपान्तरण विभाग, जयपुर को इस कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक आर–18 सी (11) 74/3638 दिनांक 26–7–76 के क्रम में लेख है कि मन्दिर की माफी भूमि के कृषि से अकृषि कार्यों में रुपान्तरण सम्बन्धी की गई कार्यवाही की पत्रावलियां कृपया तहसीलदार, जयपुर के प्रतिनिधि को उपलब्ध करावें ।

एस. डी./–
जिलाधीश (राजस्व)

(सूची)

ग्राम रामपुरा रुपा तहसील जयपुर में ठाकुरजी श्री सीताराम जी की माफी में निम्न 27 बीघा 6 बिस्वा भूमि थी, जो राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत पुनर्ग्रहित हो चुकी है और वर्तमान में माफी में कोई भूमि नहीं हैं :

खसरा नम्बर	रकबा	
	बीघा —	बिस्वा
1	2	3
186	6	3
190	0	10
11	0	6
12	0	5
13	0	2
14	0	8
15	1	5
16		
21 मि.		
17	0	16
364	2	18
44		
45	5	7
81		
89		
90	0	8
35	1	10
42	2	2
18	2	15
19	0	8
20	0	6
21 मि.	0	4
36	0	1
37	0	6
80	0	7

1	2	3
84	0	7
85	0	12
	27	06

नोहर क्षेत्र में चिकित्सालय

929. श्री बहादुरसिंह (नोहर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने नोहर क्षेत्र में कितने अस्पताल खोले हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने गांवों में चिकित्सा सुविधा देने के क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार नोहर क्षेत्र में सन् 1979–80 में किन किन गांवों को चिकित्सा सुविधा देने का इरादा रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) कितनी जनसंख्या वाले गांवों को क्या क्या चिकित्सा सुविधा इस वर्ष राज्य सरकार देने की योजना बना रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नोहर पंचायत समिति क्षेत्र में स्वीकृत चिकित्सा संस्थाओं का विवरण (सूची क') सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विवरण :—

1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक ग्रामीण जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता व एक ट्रेण्ड दाई 5000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक उप केन्द्र जिस पर एक महिला व पुरुष बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता होगा।

25.000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक सबसीडियर हैल्थ सेन्टर (डिस्पेन्सरी) या एडपोस्ट। एक ब्लाक पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व एक ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र। 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से किसी एक को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करना।

(3) वर्ष 1979-80 में पंचायत समिति नोहर में एक डिस्पेन्सरी (सहायक स्वास्थ्य केन्द्र) स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके ग्राम का चयन जिला आयोजना समिति द्वारा होता है।

(4) वर्ष 1979–80 में सामान्यतः जिन पंचायत समिति क्षेत्रों में 2 ग्रामीण डिस्पेन्सरी नहीं हैं इस लक्षांश की पूर्ति के लियेप्रयत्नकिया जावेगा।

5 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा। छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में 5000 जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र ही, प्रथम चरण में वर्ष 79–80 में 20 नए उपकेन्द्र खोले जायेंगे।

सूची'क'

(1) नोहर चिकित्सालय 25 रोगी शैय्याओं (एस. डी. एम. मुख्यालय) का है।
(2) पल्लू डिस्पेंसरी।
(3) ब्रह्मसर एडपोस्ट।
(4) रावतसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र।

भरतपुर जिले की अध्यापिकाओं का बकाया वेतन एवं यात्रा भत्ता

931. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपजिला बालिका शिक्षा अधिकारी, भरतपुर के अधीनस्थ कार्यरत तृतीय श्रेणी वेतन शृंखला की कुछ अध्यापिकाओं का वेतन, टी. ए., डी. ए. एवं अन्य मदों की काफी राशि सन् 1976 से आज तक की बकाया है? यदि हां, तो क्यों तथा किस किस अध्यापिका की एवं कितनी कितनी व अब कब तक उक्त अध्यापिकाओं को उनकी इस प्रकार की राशि का भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) अध्यापिकाओं की टी. ए., डी. ए. की कोई रकम बकाया नहीं है। कुछ अध्यापिकाओं के अवकाश वेतन अवश्य ही बाकी हैं जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इनका चुकारा शीघ्रातिशीघ्र करवा दिया जायेगा।

कार्यालय उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थायें) भरतपुर।

सूची बाबत बकाया वेतन, टी० ए०, डी० ए० एवं अन्य मदों, सन् 1976 से अब तक जिला-भरतपुर में इस कार्यालय के अन्तर्गत कार्य करने वाली तृतीय वेतन शृंखला की अध्यापिकाओं की।

क्र. स.	नाम अध्यापिका	बकाया प्रकरण	अवधि	राशि	कारण	कब तक भुगतान कर दिया जायेगा
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती राम देवी वर्थला राज. बा. उ. प्रा. वि. वाया हैदरशाह धौलपुर	अवकाश वेतन	11/78	437.00	अवकाश प्रकरण की पूर्ति स्वयं के द्वारा न करने के कारण	30-4-79 तक
2.	मुन्ना देवी स. अ. राज. बा. मांनया (धौलपुर)।	,,	10/78	401.80	सेवा पुस्तिका के अभाव में	सेवा पुस्तिका अजमेर से आने पर।
3.	मक्खन बिच्चू स. अ. राज. बा. उ. प्रा. वि. धौलपुर	अवकाश एवं उपस्थिति वेतन			चूंकि अध्यापिका उपस्थिति देने के उपरान्त सत्र 77-78 में पूरे वर्ष अवकाश पर	

1	2	3	4	5	6	7
		अगस्त 77 से 1979 तक			रही हैं और माह 9/78 में स्थानान्तरण होने पर धौलपुर में उपस्थिति दी है, परन्तु उप जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर से, उनका सेवाभिलेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र भी अनेक बार लिखने के उपरांत माह फरवरी, 79 में प्राप्त हुआ है। जिसके आने से माह फरवरी 79 का तो वेतन दे दिया गया शेष उपस्थिति दिवसों का वेतन 31–5-79 तक भुगतान कर दिया जायेगा।	
4.	श्रीमती कृष्णा वन्ती स. अ. राज. बा. प्रा. वि. ढीग	अवकाश वेतन	12/78	425.00	अवकाश प्रकरण पूरा न होने के कारण	30–4–79
5.	,, जय देवी स. अ. राज. बा. उ. प्रा. वि. सीकरी	,,	11/78	610.00	अवकाश प्रकरण की पूर्ति देर से करने के कारण	30–4–79
6.	,, कैलाश कुमारी स. अ. राज. बा. उ. प्रा. वि. रुपवास	,,	1/79	435.00	अवकाश प्रकरण देर से प्राप्त होने के कारण	30–4–79

112

1	2	3	4	5	6	7
7.	श्रीमती सुषमा शर्मा स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. धौलपुर	अवकाश वेतन	12/77, 1/79 2/79	1235.00	अवकाश प्रकरणों की पूर्ति अभी तक पूरी नहीं की गई है ।	30–4–79
8.	,, एस. डी. लाल राज. बा. उ. प्रा. वि. उज्जैन ।	स्थिरीकरण ऐरियर (1.4.70)	1.4.70 से 31.8.77 तक	1714.00	अध्यापिका द्वारा लम्बे समय पर अवकाश पर रहने के कारण भी अवकाश प्राप्ति पत्र माह फरवरी, 79 में प्राप्त हुये हैं ।	30–4–79
9.	,, उर्मिला वाजपेयी स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. नगर	(1.9.68 स्थिरीकरण का ऐरियर)	1.9.68 से 21.7.71 तक	351.00	स्थिरीकरण माह जनवरी, 79 में हुआ ।	30–4–79
10.	,, रानी वर्मा प्रा. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. समऊ	1.9.76 वेतन स्थिरीकरण ऐरियार	11/77 से 12/78 तक	588.00	उप जिला शिक्षा अधिकारी, (छात्रा) अलवर से अन्तर वेतन मान चित्र प्रमाणीकरण के पश्चात वापिस प्राप्त न होने के कारण ।	
11.	,, मंजुला शर्मा स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. सरमथुरा	अवकाश माह	2,3,4,5/78	940.45	अवकाश प्रकरण की पूर्ति विलम्ब से किये जाने के कारण अवकाश भी विलम्ब से स्वीकृत हुये जिससे	

1	2	3	4	5	6	7
				अधिकतर अवैतनिक अवकाश स्वीकृत हुए।		15–4–79
12.	श्रीमती मंजुला शर्मा स. अ. राज. बा. उ. प्रा. वि. सरमथूरा	वेतन वृद्धि ऐरियर 10/77से 11/78 तक	141.15		....	15–4–79
13.	,, आशा शैनै स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. रूपावल	अवकाश वेतन 9/78 से 12/78	1580.00	अवकाश प्रकरण में कमी होने के कारण		30–4–79
14.	,, राधारानी स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. रूदावल	,, 10/78	405.00	अवकाश प्रार्थना पत्र अधूरा होने के कारण		30–4–79
15.	,, कैमेश कटारा स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. रूपावल	,, 12/77 से 1/78	790.00	अवकाश प्रकरण में चिकित्सा प्रमाण पत्र की		

1	2	3	4	5	6	7
					कमी के कारण	30–4–79
16.	श्रीमती कान्ती देवी स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. रूदावल	मकान किराया	11/77 से 4/78	300.00	प्रवास का प्रमाण पत्र न देने के कारण	प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ।
17.	,, राजेन्द्र कौर स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. पवरसर	अवकाश वेतन	8/78	590.00	अवकाश प्रार्थना पत्र अधूरा होने के कारण	30–4–79
18.	,, उर्मिला श्री वास्तव स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. धौलपुर	एस.टी.सी. टैण्ड का ऐरियर	1/76 से 8/76	440.00	एस० टी० सी० की मार्कशीट देर से प्राप्त होने के कारण	30–4–79
19.	,, सरोज शर्मा स. अ., धौलपुर ,,	,,	,,	,,	,, ,,	,,

1 2	3	4	5	6	7
20. श्रीमती सरोज शर्मा स. अ. राज. बा. उ. प्रा. वि. धौलपुर	अवकाश वेतन	10/78	395.00	अवकाश प्रकरण देर से प्राप्त होने के कारण	30–4–79
21. ,, अवतार कौर स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. भोपाल गढ़	,,	8/78 से 10/78	1305.00	प्रसव दिनांक का प्रमाण पत्र के अभाव में	30–4–79
22. ,, सुशीला देवी स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. बहनेरा	एस. टी. सी.	1/76 से 8/76	440.00	एस० टी० सी० की अंक-तालिका देर से प्राप्त होने के कारण	30–4–79
23. ,, ऊषा अरोड़ा स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. बहनेरा	,,	1/76 से 3/79 तक	850.00	,, ,,	30–4–79
24. ,, सुशीला देवी स. अ., काथूड़ा पाड़ा, धौलपुर	अवकाश वेतन	6.9.77 से 19.9.77 तक	225.00	अवकाश प्रकरण देर से पूर्ति करने के कारण	30–4–79
25. ,, सन्तोष शर्मा स. अ., राज. बा. उ. प्रा. वि. उज्जैन	वेतन वृद्धि	1/77 से 9/77 तक	90.00	कार्यालय की गलती के कारण	30–4–79

(115)

1	2	3	4	5	6	7
26.	श्रीमती राम देवी स. अ. राज. बा. प्रा. वि., कामां	वेतन वृद्धि	8/78 से 10/78	45.00	कार्यालय की गलती के कारण	30–4–79
27.	,, विमला शर्मा स. अ., राज. बा. प्रा. वि. डीग	,,	7/78/12/78	90.00	,,	,,

नोट :— (1) 21–3–79 तक प्राप्त सभी टी. ए. बिलों का भुगतान कर दिया गया है।

(2) मेडिकल बिल माह फरवरी, 79 तक जितने भी प्राप्त हुये। उन सब का भुगतान कर दिया गया है। जिन अध्यापकों के मेडिकल बिल 15–3–79 के बाद प्राप्त हुये, जिनकी संख्या 36 है, उनका भुगतान आगामी बजट प्राप्त होने पर कर दिया जावेगा।

उप जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्रा संस्थाएं) भरतपुर राज.

उद्योग खनिज विकास निगम
की विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी

932 श्री बंशी लाल सारस्वत (नागौर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य उद्योग खनिज विकास निगम ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कितनी कितनी पूंजी लगा रखी है ?

(2) इन में से प्रत्येक क्षेत्र में वार्षिक कितना कितना घाटा या नफा है ?

(3) इनमें से नफे के सभी स्त्रोत क्या नागौर जिले में स्थित हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगाई गई पूंजी का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) प्रश्न भाग एक के उत्तर में दी गई सूची में घाटे या नफे की सूचना अंकित है ।

(3) जी नहीं । नागौर जिले में निगम के तीन खनन कार्य एवं दो औद्योगिक क्षेत्र (मकराना एवं मेड़ता सिटी) स्थित हैं । कोई औद्योगिक इकाई नहीं है । खनन कार्यो में से दो मुनाफे में हैं और एक घाटे की स्थिति में है । राज्य में निगम के औद्योगिक एवं खनन कार्यो में नफे घाटे का विवरण अन्यत्र उपलब्ध है ।

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि०. जयपुर
विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजित पूंजी एवं लाभ-हानि का विवरण

क्र० सं०	नाम क्षेत्र	विनियोजित राशि (लाख रु० में)			हानि लाभ (राशि लाखों में)	
		31 मार्च, 77 तक	31 मार्च, 78 तक	31 मार्च, 79 तक (अनुमानित)	77–78 में	78–79 में (अनुमानित)
1.	औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना आदि	613.18	788.28	1056.62	(–) 39.46	(+) 4.08
2.	औद्योगिक परियोजनाएं					
	(अ) संयुक्त क्षेत्र	37.21	68.07	91.88	—	—
	(ब) निगम क्षेत्र	24.42	37.89	49.24	(+) 1.37	(+) 10.00
	(स) सार्वजनिक क्षेत्र	50.00	50.00	50.00	—	—
	(द) निजी क्षेत्र	18.39	41.44	95.40	—	—
3.	खनन कार्य	—	247.06	245.25	(–) 2.79	(–) 11.69
4.	ऋण					
	(1) टर्म लोन	—	21.50	85.31	—	—
	(2) अन्य ऋण	85.04	85.23	111.56	—	—
5.	प्रमोशन प्रोजेक्ट्स (टेस्ट एण्ड डवलपमेंट)	0.03	2.19	2.53	—	—

नोट:–निगम के द्वारा संचालित विभिन्न क्षेत्रों में हुई लाभ-हानि के आंकड़े अलग अलग क्षेत्रानुसार उपलब्ध नहीं हैं। मार्च, 77 तक हुई निगम की कुल हानि 10.65 लाख रही है। 108.66 लाख का लाभ रिजर्व एण्ड सरप्लस में ट्रांसफर करने के पश्चात्-और वर्ष 1977-78 में रु० 88.01 लाख की हानि रखी है एवं वर्ष 78-79 में रु० 61.38 लाख की हानि होने की सम्भावना है।

(119)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लि०, जयपुर जिन विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है उनका विवरण निम्न है :—

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	परियोजनाएं	आर.आई.एम.डी.सी द्वारा विनियोजन, 31-3-78 तक	78-79 में अनुमानित विनियोजन
1	2	3	4
	सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाएं :		
1.	स्कूटर्स (अलवर)	50.00	—
		योग 50.00	
	निगम की परियोजनाएँ :		
1.	टी. वी. रिसीविंग सेट्स (जयपुर)	32.00	—
	क्रियान्वयन की प्रक्रिया में :		
2.	ग्रेनाइट कटिंग एण्ड पालिसिंग (जोधपुर)	2.13	7.37
3.	वाच असेम्बली यूनिट (अजमेर)	1.02	3.98
4.	थ्री व्हीलर्स	2.74	—
		योग 37.89	11.35
	संयुक्त क्षेत्र परियोजनाएं उत्पादन रत :		
1	ब्लैण्डेड एण्ड सिन्थेटिक यार्न (बांसवाड़ा)	46.94	—
	क्रियान्वयन की प्रक्रिया में :		
2.	स्टील ब्लैड्स (स्पेशल स्टील) जयपुर	9.66	1.79
3.	एस. जी. आयरन कास्टिंग्स (अलवर)	1.47	6,35
4.	ड्रग फार्म्यूलेशन (जयपुर)	—	3.20
5.	ऐलीमेंटल फास्फोरस (उदयपुर)	0.21	1.00
6.	इन्डस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स (धौलपुर)	—	0.41
7.	सिन्थेटिक एण्ड ब्लैन्डेड यार्न (अलवर)	—	6.88
8.	ग्लायक्सोल (उदयपुर)	0.12	3.68
9.	लो डैन्सिटी पोलीथ्लीन वाइडविड्थ फिल्म	0.05	—
10.	वूलन यार्न (जोधपुर)	—	—
11.	वूलन यार्न (भीलवाड़ा)	—	—

12. वूलन यार्न (लक्ष्मणगढ़–सीकर)	—	—
13. वूलन यार्न (जयपुर)	—	0.25
14. वूलन यार्न (जैसलमेर)	—	—
15. वूलन यार्न (ब्यावर अजमेर)	—	—
16. वूलन यार्न (रींगस–सीकर)	—	—
17. वूलन यार्न (बाड़मेर)	—	—
18. वूलन यार्न (सांभरलेक)	—	—
19. जी. एल. एस. लैम्पस	7.00	—
20. ग्लास बाटल्स एण्ड कन्टेनर्स	2.46	—
21. स्पिनरेट्स : री–मैन्यूफैक्चर न्यूली मैन्युफैक्चर्ड स्पिनिंग प्लेट्स	0.01	—
22. वाईमेटल स्ट्रिप्स	0.01	—
23. मिनी सीमेंट (कोट पूतली)	—	—
24. मिनी सीमेंट (विलाड़ा)	—	—
25. मिनी सीमेंट (पाली)	0.02	—
26. मिनी सीमेंट (सीकर)		
27. मिनी सीमेंट (सिरोही)	—	—
28. कापर फाइल एण्ड क्लैड लैमीनेट्स	—	0.25
29. पैरा नाइट्रो पिनोल एण्ड पैरा नाइट्रो मेटा क्रेसोल	0.01	—
योग	68.07	23.81

ग्राम पंचायत झोपड़ा के काश्तकारों पर अनधिकृत कब्जे के तहत पेनल्टी

672. श्री चुन्नी लाल जेलिया (खण्डार)। क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सत्र 1977–78 में विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में ग्राम पंचायत झोपड़ा के काश्तकारों पर अनधिकृत कब्जे के तहत जो, पेनल्टी बांधी गई है, वह किस नियम के तहत बांधी जाती है ? क्या पटवारी उन काश्तकारों की जमीन को मौके पर जाकर नापता है या वैसे ही बांधी जाती है ?

(2) क्या राज्य सरकार ऐसे अनधिकृत छोटे-छोटे जमीन के टुकड़ों को उन गरीब काश्तकारों को आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उन पर इतनी भारी पेनल्टी क्यों बांधी गई है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1977–78 में ग्राम पंचायत के ग्रामों, ग्राम झोपड़ा, सिरोही, नाहरीखुर्द एवं बगीना में सिवाय चक भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले काश्तकारों पर पेनल्टी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कायम की गई है। अनाधिकृत कब्जे की रिपोर्ट सम्बन्धित पटवारी द्वारा फसल की मौके पर जांच करके खसरा गिरदावरी में इन्द्राज करने के बाद उसके आधार पर की जाती है।

(2) जिस भूमि पर आधिक्य अतिक्रमण किया गया था उसमें से अधिकांश भूमि गैर मुमकिन नदी, गैर मुमकिन रास्ता, गैर मुमकिन खण्डा, गैर मुमकिन चरागाह एवं वन क्षेत्र है। कुछ अतिक्रमियों ने एक ऐसे खसरा नम्बर पर अतिक्रमण किया है जो उपरोक्त वर्ग का नहीं है वरन सिवाय चक है। परन्तु यह भूमि एक ही खसरा नम्बर का भाग है जिसका रकबा 55 बीघा है। प्रकट है कि इस प्रकार की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को छोटी पट्टी की परिभाषा में लेकर उसका आवंटन नहीं किया जा सकता।

रेवेन्यू निरीक्षक के पद पर नियुक्ति का मामला

693. श्री अचला राम (देसूरी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री रामनिवास परिहार बूसी एक्स एम्पलाई जागीर को, जोधपुर कमिश्नर द्वारा, रेवेन्यू इन्सपेक्टर के पद पर दिनांक 15 अप्रेल, 1961 को को एब्जोर्ब किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में चेयरमेन के समक्ष अपील दिनांक 15–5–61 को प्रस्तुत हुई थी ? यदि हां, तो आज तक निर्णय क्यों नहीं किया गया और अब कब तक निर्णय दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल, अजमेर में तारीख 15–5–61 को इनवर्ड नं 6211 पर दर्ज की गई थी और बाद में सम्बन्धित शाखा में इनवर्ड नं. 2116 ता. 17–5–61 को दर्ज हुई थी और उसके पश्चात् एल. आर. शाखा में आउट वर्ड नं. 7209 ता० 10–6–61 को भेजीजी

(122)

श्री (अचला राम)
और एल. आर. शाखा में इनवर्ड नं. 430 ता. 15–6–61 को दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो आज तक उक्त अपील क्यों गायब की गई और अब कब तक अपीलकर्त्ता को निर्णय से अवगत करा दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल अजमेर से सम्बन्धित रिकार्ड मंगाने हेतु कलेक्टर, पाली को पत्र नं एल. आर. । Estt. डिस्ट्रा 2076 ता. 21 अगस्त, 61 को लिखा था ? यदि हां, तो रिकार्ड कब आया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री रामनिवास परिहार को निरीक्षक पद पर जोधपुर कमिश्नर द्वारा ऐब्जोर्व किया गया था, मगर उन्होंने इस पद पर कार्य ग्रहण नहीं किया।

(2) जी नहीं। राजस्व मण्डल की भू-अभिलेख शाखा की पत्र प्राप्ति पंजिका में दिनांक 15–5–61 को इस प्रकार की अपील प्राप्त होना अंकित नहीं है।

(3) जी नहीं। राजस्व मण्डल के भू-अभिलेख शाखा के जनरल रिसीप्ट के इनवर्ड क्र. सं. 6211 पर श्री परिहार की अपील दर्ज नहीं है। तथा यह क्रम संख्या 21–4–61 को अंकित की हुई है जिस पर जिलाधीश चित्तौडगढ़ का अन्य पत्र दर्ज है।

(4) रिकार्ड अनुसार कलेक्टर पाली को यह पत्र लिखा जाना नहीं पाया जाता है।

विदेशी नागरिकों की राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां

697. श्री हरिकृष्ण (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विदेशी नागरिकों को राज्य के विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न पदों पर स्थाई नियुक्ति दिये जाने की क्या नीति निर्धारित की हुई है ?

(2) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याख्याता तथा छात्र परामर्श केन्द्र के निदेशक पदों पर स्थाई रूप से दो विदेशी व्यक्ति कार्यरत हैं ?

(3) इन्होंने कब और किस सन्दर्भ में भारत की नागरिकता स्वीकार की है ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें भारतीय माना गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में विदेशी नागरिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है, लेकिन साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम में विदेशी नागरिकों को रखने पर कोई स्पष्ट प्रतिबन्ध भी नहीं है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कोई विदेशी नागरिक स्थायी सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भारतीय नागरिक या कुछ अपवादों में भारतीय मूल का होना आवश्यक है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। ये भारतीय नागरिक नहीं हैं।

तालिका (अ)

परिशिष्ट सं० 6

(तारांकित प्रश्न सं० 902 की तालिका)

जूट कैनवास बैग्स के प्राप्त टेण्डर्स की दरों की तुलनात्मक तालिका

क्रमांक	टेण्डर देने वाली फर्म का नाम	40 किलो क्षमता वाले बैग की दर (प्रति 100) मय बिक्री कर।	20 किलो क्षमता वाले बैग की दर (प्रति 100) मय बिक्री कर	धरोहर राशि	नमूना	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स श्रीकृष्णा कम्पनी, कलकत्ता	431-60 रुपये	317-20	लघु उद्योग होने के कारण राशि जमा नहीं कराई	प्राप्त	गन्तव्य स्थान पर सुपुर्दगी
2.	मैसर्स दयाल एण्ड सन्स, कलकत्ता	408-72 ,,	315-12	उपरोक्तानुसार	अप्राप्त	सुपुर्दगी हावड़ा में
3.	मैसर्स कलकत्ता गनी एण्ड हैसियन ट्रेडर्स, हावडा	407-00 ,,	305-00	चैक द्वारा	प्राप्त	गन्तव्य स्थान पर
4.	मैसर्स अनिल लेमिनेटर्स, हावड़ा	408-20 ,,	307-58	7000/- रु० की बैंक गारण्टी व लघु उद्योग(बाहरी सिंचाई)	प्राप्त	सुपुर्दगी
5.	मैसर्स प्रहलाद राय सतनारायण, कलकता	429-00 ,,	334-00	7000/- रु० नकद रसीद सं० 60 दि० 28-2-79	अप्राप्त	,, ,,
6.	मैसर्स खण्डेलवाल बारदाना स्टोर, जयपुर	458-64 ,,	338-00	चैक द्वारा	अप्राप्त	,, ,,
7.	मैसर्स जैन एण्ड कम्पनी, जयपुर	431-60 ,,	286-00	डिमाण्ड ड्राफ्ट 7000/-रु०	अप्राप्त	,, ,,
8.	मैसर्स हरियाना जूट एण्ड लेमिनेटिंग वर्क्स, कलकता	442-00 ,,	327-60	,, ,,	अप्राप्त	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
9.	मैसर्स वार्शने पैकिंग कारपोरेशन, आगरा	404–00 रुपये	303–00	लघु उद्योग इकाई होने के कारण राशि जमा नहीं कराई	अप्राप्त	गन्तव्य स्थान पर सुपुर्दगी
10.	मैसर्स.प्रभात ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	426–40 „	291–20	डिमाण्ड ड्राफ्ट 7000/–रु०	प्राप्त	„ „
11.	मैसर्स हरियाना सप्लाई एजेन्सी, कलकत्ता	415–80 „	300–00	„ „	प्राप्त	„ „
12.	मैसर्स कोटा लेमिनेटर्स प्रा० लि०, कोटा	419–63 „	301–47	लघु उद्योग इकाई होने के कारण राशि जमा नहीं कराई ।	प्राप्त	„ „
13.	मैसर्स राजस्थान लेमिनेटर्स एण्ड प्रिन्टिंग इण्डस्ट्रीज, कोटा ।	419–63 „	301–47	„ „	प्राप्त	„ „

तालिका (ब)

जूट कैनवास बैग्स के प्राप्त टेण्डर्स की दरों मग्निशियसन के बाद की तुलनात्मक तालिका

क्रमांक	टेण्डर देने वाली फर्म का नाम	40 किलो क्षमता वाले बैग की दर (प्रति 100) मय बिक्री कर।	20 किलो क्षमता वाले बैग की दर (प्रति 100) मय बिक्री कर	धरोहर राशि	नमूना	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स श्रीकृष्णा कम्पनी, कलकत्ता	431–60 रुपये	317–20	लघु उद्योग होने के कारण राशि जमा नहीं कराई	प्राप्त	गन्तव्य स्थान पर सुपुर्दगी
2.	मैसर्स दयाल एण्ड सन्स, कलकत्ता	408–72 ,,	315–12	उपरोक्तानुसार	अप्राप्त	सुपुर्दगी हावड़ा में
3.	मैसर्स कलकत्ता गनी एण्ड हैसियन ट्रेडर्स, हावडा	407–00 ,,	305–00	चैक द्वारा	प्राप्त	गन्तव्य स्थान पर
4.	मैसर्स अनिल लेमिनेटर्स, हावड़ा	406–64 ,,	306–80	7000/– रु० की बैंक गारण्टी व लघु उद्योग(बाहुरी सिचाई)	प्राप्त	सुपुर्दगी
5.	मैसर्स प्रहलाद राय सतनारायण, कलकता	411–00 ,,	317–00	7000/– रु० नकद रसीद सं० 60 दि० 28–2–79	अप्राप्त	,, ,,
6.	मैसर्स खण्डेलवाल बारदाना स्टोर, जयपुर	421–36 ,,	315–12	चैक द्वारा	अप्राप्त	,, ,,
7.	मैसर्स जैन एण्ड कम्पनी, जयपुर	431–60 ,,	286–00	डिमाण्ड ड्राफ्ट 7000/–रु०	अप्राप्त	,, ,,
8.	मैसर्स हरियाना जूट एण्ड लेमिनेटिंग वर्क्स, कलकता	442–00 ,,	327–60	,, ,,	अप्राप्त	,, ,,

125

1	2	3	4	5	6	7
9.	मैसर्स वार्शने पैकिंग कारपोरेशन, आगरा	404–00 रुपये	303–00	लघु उद्योग इकाई होने के कारण राशि जमा नहीं कराई	अप्राप्त	गन्तव्य स्थान पर सुपुर्दगी
10.	मैसर्स प्रभात ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	425–25 ,,	291–20	डिमाण्ड ड्राफ्ट 7000/–रु०	प्राप्त	,, ,,
11.	मैसर्स हरियाना सप्लाई एजेन्सी, कलकत्ता	410–80 ,,	312–00	,, ,,	प्राप्त	,, ,,
12.	मैसर्स कोटा लेमिनेटर्स प्रा० लि०, कोटा	411–00 ,,	291–00	लघु-उद्योग इकाई होने के कारण राशि जमा नहीं कराई।	प्राप्त	,, ,,
13.	मैसर्स राजस्थान लेमिनेटर्स एण्ड प्रिन्टिंग इण्डस्ट्रीज, कोटा।	411–00 ,,	291–00	,, ,,	प्राप्त	,, ,,

तालिका–स

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

(Rawat Niwas, 3–Chetak Marg, Moti Dungri Road, Jaipur–4)

No. F. 3 (17) Store/RSSC/78–79/ Dated

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited for the supply of jute canvas bags as follows :—

1. BASIC MATERIAL : Jute canvas bags of 340. 188 gms (12 .oz) quality 35"–12 oz· 37".

2. STITCHING The bags will be double stiched, double locked by inside folding with unbleached 9 cord No. 2 closing thread and number of stiches will be not less than four in 2·5 on (1") as per sample which can be seen.

3. PRINTING Printing will be done one side in black permanent colour by screen printing as per matter provided by corpn. the cost of the screen will borne by the supplier.

4. SIZE AND QUANTITY :

Size	Approx qty.
86.5 Cms X 56 Cms (34" X 22")	1,40,000 to 1,50,000
78.74 X 40.64 Cms.	30,000 to 40,000

5. RATE. The rate should be quoted per bag including screen printing and f. o. r. destination

6. PLACES AND PERIOD OF DELIVERY F.O.R. destination in Rajasthan, delivery within 20. days of placing order

7. TOLEARANCE 2% is allowed.

8. PACKING	In bales containing 200/400 bags each duly packed safely.
9. SAMPLE	One sample bag should be sent along with the quotation.

Tenders are to be submitted by 28.2.1979 before 2 P. M. alongwith the sample in properly sealed envelop duly marked "Tender for supply of jute canvas bags" to undersigned. The tenders will be opened at the head office in presence of tenderers present and negotiations may be held, if necessary.

Intending tenderers shall have to deposit earnest money of Rs 7000/- in cash/demand draft payable to the corporation, without which tenders will not be oonsidered.

Tender from, terms and conditions may be obtained from the Registered office of the corporation on any working day by paying Rs. 10.00 cash/postal order which will not be refunded.

Any offer received after the time and date stipulated herein will not be considered.

Delivery time is the essence and offers must indicate their ability to adhere to the time stated herein.

The purchaser reserves the right to reject or accept whole or in part the offer submitted in response to the invitation without assigning any reasons therefor.

Managing Director,

Rajasthan State Seeds Corporation Limited

(Rawat Niwas, 3-Chetak Marg, Jaipur-4.)

ANNEXURE

Conditions of Tender and Contract

Sub :—These conditions should be read very carefully by the tenderers while filling in their quotations.

1. The supplier shall be deemed to have carefully examined the specifications, size make etc. of the goods to be supplid If he shall have any doubt as to the meaning of any portion of these conditions or of the specifications, drawing etc. he shall before signing the contract, refer to the office incharge and get clarifications.

2. The contractor shall not assign or sub-let his contract or any part there of to any other ageney.

3. All the stores supplied shall be of the best quality, to the specifications trade mark laid down for them and in strict accordance with the approved standard samples and in case of any materials of which there are no standard of approved suppliers, the supplies shall be of the best quality and description obtainable in India. The decision of the accepting authority shall be final as to the quantity and the quality of the stores and shall be binding upon the tenderers and in case any of the article supplied not being approved and thus shall be liable to be rejected or replaced and any expenses or loss caused to shall be entirely at the account of the supplier.

4. The corporation shall have at all reasonable time access to

(130)

the suppliers premises; and shall have the power at all reasonable time to inspect and examine the materials and workmanship of the goods.

5. In case goods other than that of the approved quality make or size as supplied, it shall be rejected and will have to be replaced within a reasonable time by the supplier without charging any extra cost and at his own expenses. If due to exigencies of public interest such replacement is not possible, the prices of such articles will be reduced suitably. The prices for this purpose shall be fixed by the corporation which shall be final.

6. The rejected articles must be removed by the tenderers from the destination where ever they may be. The official concerned will take reasonable care of such material but in no case shall be responsible for any loss, shortage, damage that may occur to it while it is on their premises.

7. The tenderer shall be responsible for the proper packing so as to avoid damage under normal conditions of transport by rail and road or air and for the delivery of the material in good condition to the consignee at destinations. In the event of any loss, damage, breakage or of leakage any shortage the tenderers shall be liable to make good such loss and shortage at the checking of the material by the consignee. No extra amount on such account shall be admissible.

8. All rates quoted must be F.O.R. any place Rajasthan including all taxes. The delivery of the goods shall be given at the premises of the corporation or at Warehousing Godowns as the case may be.

9. The tenderer whose tender is accepted shall arrange supplies within a period of 20 days form the date of the placing the order.

(131)

10. The contract of supply can be repudidated at any time if the supplies are not made to the satisfaction of the Corporation.

11. Tender should be filled in ink. No tender filled in by pencil or otherwise shall be considered. No additions and alterations should de made in the tender. No over writing should be done. If it is essential, it should do done clearly and initialed. The tenderers should sign the tender form and terms and conditions at each page at the end in token of the acceptance of all terms and conditions of the tender and the agreement.

12. Tender must be accompanied by an earnest money of Rs. 7,000–/ without which tenders will not be considerd. The amount should be deposited either in cash or in form of demand draft payable to Rajasthan state seeds corporation Ltd., Jaipur. Remittance charges on payment made to the firm will be borne by the contractors.

13. Successful tenderers will have to execute an agrement inh the prescribed form and deposit security amounting to Rs. in cash or Bank Guarantee for the due performamce of the contract. No interest will be paid by the department on suc Security amount.

14. If the approved suppliers fail either to supply goods of the prescribed specifications or to deliver the goods within the specified period, the corporation shall be at libery to arrange supplies either through retender or otherwise In that evcnt the supplier shall have to make good the loss sustained or excess cost incurred by the corporation in arranging supplies through any other ageney and if the supplier fails to do so, the amount shall be due from the supplier and the corporation shall also be free to adjust the

(132)

amount of security money deposited by the supplier against this amount.

15. **Insurance :** The goods will be delivered at the destination godowns in perfect conditions. The supplier, if he so desires, may insure the valuable goods against loss by theft, destruction or damage by fire, flood under exposure to weather or otherwise (vz. war, rebellion riot etc.) The insurance charges will have to borne by the supplier and condition shall not be required to pay such charges if corhoration.

16. No advance payment will be made, payment shall be due and payable by the corporation only when the whole quantity has been delivered and inspected and accepted by the corporation at destinations. In case of disputed items, amount shall be withheld and will be paid after the settlement of the disputes, in terms of the a ward granted.

17. The validity period and the delivery period can be extended if mutually agreed to.

18. No railways receipt will be accepted by V.P.P.

19. All legal proceedings, if necessary arising or instituted by any of the parties (Corporation or contractor) shall have to be lodged in the courts situated in Jaipur city and not else where.

20. The supplier shall have to make good the loss sustained or excess cost incurred by the corporation on account of failure. neglect or contravention by him in due performance of the contract and in the event of any such default on the part of supplier, the amount of such loss will be recoverable from the supplier and in doing so the corporation shall also be free to forfeit the earnest money deposited by the supplier.

21. Size and specification of the bags are as under :—

JUTE CANVAS BAGS.

1. BASIC MATTER — Jute canvas bags of 340.188 gms (12-0z) quality 35"-12-0z-37".

2.	STITCHING	The bags will be double stiche, double locked by in side folding with unbleached 9 cord No. 2 closing thread and number of stiching will be not less than four in C. M. (12) as per sample which can be seeh.
3.	PRINTING	Printing will be done on one side in permanent colour by screen print as per Annexure 'A' and printing. The cost of screen will be met by the supplier.
4.	SIZE & QUALITY (34" × 22")	Size Approx. Qty. 86.50 Cms × 56 Cms. 1,40,000 to 1,50,000 78.74 Cms × 40.64 Cms. 30,000 to 40,000 (31" × 16")
5.	Places & Period of delivery	F.O.R. destination in Rajasthan within 20 days of placing order.
6.	TOLERANCE	2% is allowed.
7.	PACKING	In bales containing 200/400 bags duly packed safely. Accepted Signature of the Tender.

(134)

परिशिष्ट सं.–7

(तारांकित प्रश्न सं० 18 की सूची)

सूची–(क)

सूची कुआ, बाड़ी एवं कस्बा रतनगढ़ सं० 1980 से पूर्व निर्मित बीकानेर रियासत समय

क्रमांक	विवरण कुंजी	खसरा नं.	क्षेत्रफल कुआ	क्षेत्रफल बाड़ी	संयुक्त निर्माण
1	2	3	4	5	6
1.	ओंकार भारती चेला जसवन्त भारती	614 पुराना खतिका	)2	1ıı)	1980 से पूर्व
2.	किसनदयाल वगैरह चौधरी (अग्रवाल)	402 ,,	)5 विस्वा	2 ııı)1	,,
3.	गजानन्द वगैराह खेतान	515 ,,	1)	3)	,,
4.	गोविन्दराम वल्द राम बख्स, पोदार	598 ,,	1)2	3ı)	,,
5.	चिमनलाल घनश्यामदास वगैरह नालगड़िया	566 ,,	1)	3ııı)1	,,
6.	चिरंजीलाल वगैरह धानूका	617 ,,	1)	1ııı)1	,,
7.	चौथमल वगैरह रिणी वाला (अग्रवाल)	666 ,,	1)	4ıı)3	,,
8.	अलादीनें वल्द गोगा तेली	599 ,,	)3	1ı)	,,
9.	बद्रीदास वगैरह	581 ,,	11)	4)4	,,
10.	चिमन लाल बालूराम वगैरह गनेड़ीवाला	627 ,,	)5 बि०	4ı)1	,,
11.	मोहनलाल मुवालका	369 ,,	1)	4ı)1	,,
12.	श्योचन्द राय वगैरह चांदगोठिया	930 नया	)3	ıı)	,,
13.	तोलाराम वगैरह पुरोहितान	400 पुराना	1)	6ııı)	,,

1	2	3	4	5	6
14. हरिवरस वगैरह भागीरथ का अग्रवाल	110	पुराना	1)	5।।।)1	1980 से पूर्व
15. हुणतमल वगैरह तापड़िया ट्रस्ट	726	,,	1)	6)2	,,
16. सरस्वती बैंव मुरलीधर चमड़िया	472	नया	)3	।।1)3	,,
17. केसरदेव वगैरह ब्राह्मण	896	,,	1)	1।।।)3	,,
18. अजीत सारिय कुआ	902	,,	1)3	1)2	,, सिवाय चक
19. ज्वाला, रावता पि० बंसी धर ब्राह्मण	927	,,	)3	।।।)	,,
20. सत्यनारायण वगैरह खेमका	1412	,,	1)	4)4	सिवाय चक
21. रामजीदास वगैरह ब्राह्मण	1439	,,	1)	1।।)	,,
22. घोलिया कुआ	1442	,,	)3	।।।)2	,,
23. विलास राय वगैरह चौधरी	1504/976		1)	1।)	,,
24. रामरतन वगैरह ब्राह्मण	–		)2	1)	,,
25. मोहनलाल सूरजमल जालान	1351	नया	)3	1)2	1970
26. कुआ मंगीयान	857	नया	1)	2)	1975 आबादी में है
27. अमरचन्द का कुआ	857		1)	1)	1970 आबादी में है ।
28. कुआ रेगरान	857		1)	2)	1970 आबादी में है ।

सूची—(ख)

सूची कुआ व बाड़ी जो सं. 1980 के बाद में निर्मित हुए–तहसील–रतनगढ़

क्रमांक	विवरण कुआ-बाड़ी	खसरा नं.	क्षेत्रफल		संम्वत् निर्माण
			कुआ	बाड़ी	
1	2	3	4	5	6
1.	नत्थू वल्द केसरा कुम्हार	214 नया	)3	॥)1	सं. 1980 सेबाद में
2.	राजकुमार पुत्र प्रह्लाद ब्राह्मण	278 नया	)3	1)2	2021
3.	चिमना वल्द तिलोका माली	430 नया	)5 बि.	3॥)4	,,
4.	गोशाला कुआं	830 नया	)2	2)	1895
5.	सोहन कुम्हार	870 नया	1)	1॥)	2021 सिवाय चक
6.	किसनलाल वगैरह सुनार	875 नया	)3	1।)2	1995
7.	कुआ रंगरान	918 नया	)3	1)	2015 सिवाय चक
8.	कुआ मोचियान	923 नया	)3	॥)	1995 –
9.	वक्फ कुआ	935 नया	)3	1।)	2004 –
10.	राजेन्द्र पुत्र चेतराम ब्राह्मण	947 नया	)2	21)	2024 –
11.	रोखंराम माली	1041 नया	1)	2)	2022 –
12.	विलास, सुखदेव वगैरह सुनार	1356 नया	1)	1॥)	2020 –
13.	ओंकार मल सुनार	1367 नया	।॥)3	3॥)1	2012 –
14.	ऋषिकुल आश्रम	1068 नया	)2	2)	1990
15.	इमरती वगैरह सराफान	1470 नया	।)	4)1	1988
16.	लाभचन्द जसकरण वैद्य	192 नया	)2	30)	2021
17.	लादूसिंह राजपूत	78 नया	)1	–	2023
18.	माणकचन्द लादूराम दुगड़	831 नया	।)	5)	2031
19.	लाला चेतन माली	309 नया	)3	–	1970
20.	कालीराम हरीतवाल	433 नया	।)	10)	2021

(137)

कुओं की बाड़ी की जमीन में से 5 कुओं की बाड़ी की जमीन विक्रय के मामलों का विवरण

1. श्री ओंकार भारती चेला जसवन्त भारती के कुओं की बाड़ी से तीन व्यक्तियों को भूमि विक्रय हुई है।
2. श्री चौथमल वगैरह रोपी वालों के कुए की बाड़ी में से एक व्यक्ति को भूमि विक्रय हुई है।
3. श्री अमर चन्द के कुए की बाड़ी में से 5 व्यक्तियों को भूमि विक्रय हुई है।
4. खेमका के कुए की बाड़ी में से 5 व्यक्तियों को भूमि विक्रय हुई है।
5. मंगियान के कुए की बाड़ी से 2 व्यक्तियों को भूमि विक्रय हुई है।

(138)

परिशिष्ट सं०-8

(तारांकित प्रश्न संख्या 333 की सूची)

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम में मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास हेतु छठी पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 79—80 में सम्भावित व्यय राशि।

क्र० सं०	सैक्टर	वर्ष 79-80	प्रारुप छठी पंचवर्षीय योजना (विचाराधीन) (1978-83)
1	2	3	4
1.	कृषि	60.27	231.47
2.	भू-जल	128.96	472.11
3.	सिचांई	83.46	73.27
4.	डेयरी विकास	156.61	400.05
5.	लाठी सीरीज	11.94	64.73
6.	भेड़ विकास	50.91	74.43
7.	वन	41.89	128.38
8.	दुग्ध मार्ग	148.90	338.70
9.	विद्युत	44.00	317.00
10.	ग्रामीण जल प्रदाय योजना	74.00	235.00
11.	सहकारिता	19.31	90.71
12.	एस. एफ. डी. ए. टाईप	55.00	416.66
13.	रेशम उद्योग	—	1.00
14.	एजेन्सी एण्ड एक्जूक्येशन	25.71	125.46
15.	प्रोजेक्ट फार्मूलेशन	5.65	5.37
16.	भू-अभिलेख	5.17	3.71

मरु विकास कार्यक्रम में मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास हेतु छठी पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 79—80 में सम्भावित व्यय राशि

1.	कृषि	111.32	497.40
2.	भू-जल	77.62	147.95
3.	सिचाई	103.96	485.02
4.	डेयरी विकास	227.25	883.49
5.	भेड़ विकास	26.23	300.16
6.	पशु स्वास्थ्य	52.24	432.45
7.	एस. एफ. डी. ए. अनुदान	9.00	135.00

1	2	3	4
8.	लाठी सीरीज	—	86.92
9.	विद्युत	266.50	999.18
10.	वन	345.05	945.67
11.	राष्ट्रीय मरु उद्यान	45.50	200.00
12.	सहकारिता	23.18	118.86
13.	एजेन्सी एण्ड ऐक्जूक्येशन	22.30	30.50
14.	प्रोजेक्ट फार्मुलेशन	2.73	14.00
15.	दुग्ध मार्ग	1.00	1000.00
16.	ग्रामीण जल प्रदाय योजना	—	850.00
17.	बायो गैस	—	100.00
18.	ग्रामीण उद्योग	0.11	171.00
19.	मरु विकास आयुक्त	—	35.00

(140)

परिशिष्ट सं 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1106 का आदेश)

From Sh. B. S. Nepalia, Assitant Secretary to Government of Rajasthan Appointments (A-V) Department, Jaipur addressed to Director, Primary & Secondary Education, Rajasthan, Bikaner.

Sub :--Recorumendations of SAC–Education Department Rajasthan, Decision of the Govt. of India.

I am directed to say that the Govt. of India have in consultation with the State Advisory Committee, considered the representations received against the provisional interlaced seniority lists of Trained and Untrained Graduate Grade Teachers, issued by the Education Department and have taken the following decisions :—

There was no statutory Rule constituting the Departmental Promotion Committee but the system of selection before appointment was being followed regularly while making appointments and promotions in the former State of Ajmer. At the same time it has also been observed that some of the teachers appointed otherwise than through selection had been confirmed in the former State. Taking all these factors into consideration, the Ajmer Unit seniority list as on 31.10.55 should include :—

(1) Teachers officiating in a particular cadre from a date prior to 1.11.55.

(ii) Teachers actually confirmed in a particular cadre before 1.11.56.

(iii) These irregularly appointed within the period from 1.11.55 to 31.10.56 (as all regularly appointed teachers upto 31.10.56 have already been ordered to be treated as substantive for seniority purposes.)

Those who were appointed in an officiating capacity but without selection during the period from 1.11.55 to 31.10.56 be shown in a seperate list and be assigned their due position in the main list if found suitable after necessary screening in accordance with the rules/orders applicable to them on 31.10.56 without altering their inter-se-seniority.

2. (i) Restoration of Seniority allowed by the Rajasthan Govt. to Ajmer Teachers in cases of promotions to the grade of Rs. 120-300, in the absence of seniority list, without prejudice to the seniority of seniors, be allowed to stand.

(ii) Restoration of seniority allowed to teachers of the Govt. Institutions in Ajmer over those of provini alised schools, due to delay in implementation o Govt. Orders in 1955 for giving the grade of Rs. 120-300 to Trained Graduate teachers of High schools, be also allowed to stand.

(iii) The Teachers of provincialised schools be not given presumptive seniority either amongst themselves or over teachers of the Government Institutions except with the previous approval of the Central Govt. In each specific case the point for checking will be whether it was merely a case of change of scale of his former post or of promotion to a higher post or grade. This will depend on the facts of each ease.

Specific posts for teaching crafts were created on 14.4.1956 and 4.8.56 and teachers who had obtained specialisation in Crafts were appointed, to those posts. Many teachers senior to thos appointed could not be appointed to these posts. Some teachers, but for their appointment as Craft teachess, whould have been promoted in the General side in their turn. In view of this, teachers, who were B. Ed. and would have otherwise been promoted but for their appointment as Craft teachers, may, therefore, be

included in the General cadre, maintaining the parent state seniority.

4. The Rajasthan Public Service Commission had accorded general approval to the promotion of such untrained graduate grade teachers as were selected by the Commission and either had already got the training as teacher or successfully completed the training subsequently to the trained graduate grade strictly in accordance with their seniority on the express condition that no supersession is involved in such promotions. As such the Rajasthan Unit Seniority of teachers in each grade as on 31.10.56 should include :—

(i) teachers officiating in a particular cadre from a date prior to 1.11.55

(ii) teachers actually confirmed in a particular cadre before 1.11.56.

(iii) teachers regularly appointed within the period from 1.11.55 to 31.10.56 (as regularly appointed teachers upto 31.10.56 have already been ordered to be treated as substantive for seniority purposes.

Those who were appointed in an officiating capacity but without selection during the period from 1.11.55 to 31.10.56 should be shown in a separate list and be assigned their due position in the main list if found suitable after necessary screening in accordance with the rule or orders applicable to them on 31.10.56 without altering their inter-se-seniority.

Decisions on individual representations are being communicated separately. Final interlaced seniority lists of trained and untrained graduate grade teachers may kindly be prepared on the basis of the aforesaid general decisions and decisions on individual representations be forwarded to this department, in six sets, for obtaining approval of the Government of India expeditiously.

Copy of letter No. F. 10 (1) Apptts/A.VI/61 Pt. XV. Vol. III/dated 22.4.71 from Shri B.S. Nepalia, Assistant Secretary to Government of Rajasthan Appointment (A-v) Department addressed to the Director, Primary & Secondary Education, Rajasthan, Bikaner.

Sub :—Recommendation of SAC-Edu. Department, Rajasthan Decision of the Government of India.

Ref —This Department's letter No. F. 10 (1) Apptts/ A.VI/61 dated 16.4.71.

In continuation of this Department letter referred to above, I am directed to say that Seniority lists of selected teachers have already been drawn up with reference to the date of their selections in both the States i. e. pre-re-organised State of Rajasthan and the Ex-Ajmer State. However there are non-selected teachers serving from 1950 in both the units. In that case these non-selected teachers appointed upto 31.10.56 are required to be assigned seniority with reference to the dates of orders of their appointment vis-a-vis selected teachers who though might have been appointed for long have been assigned seniority with reference to the dates of their selection. To avoid such anamolies and minimum disturbance in the existing provisional interlaced seniorlty list, it has been decided that the teachers may be categorised in the following groups for purposes of unit seniority lists :—

GROUP-"A"

Teachers who have been selected upto 31.10.56.

GROUP-"B"

Teachers who were not selected upto 31.10.56 but confirmed prior to 1.11.56.

144

GROUP-"C"

Teachers who were neither selected nor confirmed but appointed prior to 1.11.55.

GROUP-"D"

Teachers neither selected nor confirmed but appointed during period from 1.11.55 to 31.10.56.

The main list shall consist of Group A, B & C, enblock one after the other and thereafter Group-"D"; subject to being found suitable after screening the notional position of the teachers of both the units, the main list of each unit containing Group-A, B & C, will be treated as one list, without keeping any distinction of Groups-A, B, & C, of the unit lists for the purpose of interlacing and arriving.

145

परिशिष्ट सं.–10

(अतारांकित प्रश्न 1112 की सूची)

परिशिष्ट–क

सूची

जयपुर शहर में निम्न विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये खेल के मैदान उपलब्ध हैं।

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (पोद्दार) जयपुर।
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (दरबार) जयपुर।
3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (आदर्शनगर) जयपुर (बेडमिंटन केवल)
4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (मोतीकटला) जयपुर (विद्यालय चौक में)
5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (माणक चौक) जयपुर (विद्यालय चौक में)
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (रेजीडेंसी रोड) जयपुर (आंशिक तौर पर)
7. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (गणपतनगर) जयपुर (रेल्वे का मैदान उपलब्ध है)
8. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (नाहरी का नाका) जयपुर (अव्यवस्थित है)
9. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (घाटगेट) जयपुर।

जयपुर शहर में निम्न विद्यालयों में छात्राओं के लिये खेल के मैदान उपलब्ध हैं।

1. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (महाराजा) जयपुर।
2. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (बनीपार्क) जयपुर।
3. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (आदर्शनगर) जयपुर।
4. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (गांधीनगर) जयपुर।

(146)

परिशिष्ट 'ख'

जयपुर शहर में निम्नलिखित विद्यालयों में खेल के मैदान की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।

1. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, गंगापोल, जयपुर ।
2. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, तेलीपाड़ा, जयपुर ।
3. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, चौड़ारास्ता, जयपुर ।
4. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, पानों का दरीबा, जयपुर ।
5. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, घाटगेट, जयपुर ।
6. सिंधी राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, सिंधी केम्प, जयपुर ।
7. वीर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर ।
8. पदमावती बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर ।
9. महिला विद्यापीठ, जयपुर
10, एम. एस. जैन सुबोध स्कूल, जयपुर ।
11. मुस्लिम बालिका माध्यमिक विद्यालय, जयपुर ।
12. राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण 'म' विद्यालय, जयपुर ।
13. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (कमला नेहरू) जयपुर ।
14. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गणगौरी बाजार, जयपुर ।
15. सेन्ट ऐन्जिला बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर ।
16. वैदिक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर, मान्यता व सहायता प्राप्त,
17. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, झोटवाड़ा, जयपुर ।
18. नरेन्द्र वीर दुर्लभजी बाल मन्दिर जयपुर ।
19. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जयपुर (फतहटीबा)

(परिशिष्ट सं.-11)

अतारांकित प्रश्न 1113 का मांग पत्र

जिला म्युनिसिपल एम्पलाईज फैडरेशन, श्री गंगानगर

क्रमांक   दिनांक

निदेशक,
राजकीय विधान विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय : जिला म्युनिसिपल एम्पलाईज फैडरेशन श्री गंगानगर की प्रथम बैठक को भजसिंहपुर में दिनांक 19–3–78 को रखी गई, में सर्वसम्मति से पारित मांगों की पूर्ति करायें।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि जिला म्युनिसिपल एम्पलाईज फैडरेशन ने अपनी प्रथम बैठक दिनांक 19–3–78 को भजसिंहपुर में हुई, में निम्न राज्य स्तर की मांग पर आपसी विचार कर निम्न मांगें पारित की जो पूर्ति हेतु आपके समक्ष पेश है, इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर जल्द जल्द कर्मचारियों को दिलाने का श्रम करें।

मांगें निम्न प्रकार,से हैं :—

(1) राणावत वेतनमान जो पालिका कर्मचारियों को 1–4–70 से दिया गया है। राज्य कर्मचारियों की भांति दिनांक 1-9-68 से दिलाया जावें।

(2) चिकित्सा भत्ता जो पालिका कर्मचारियों को फिक्स 10/–5 प्रतिमाह की दर से दिया जाता है कम से कम 34/–30 प्रतिमाह किया जावे क्योंकि इस महंगाई के प्रभाव में उक्त राशि बहुत ही कम है।

(3) ग्रेच्युटी राज्य कर्मचारियों की भांति दी जाये। प्रति पांच साल के हिसाब से की जाती है को तुरन्त अदा किया जावें।

(4) नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों की सर्विस कन्डीशन्स राजकीय कर्मचारियों की सर्विस कन्डीशन की तुलना में बराबर नहीं है। अतः जो सर्विस कन्डीशन की तुलना में बराबर नहीं है, राजकीय कर्मचारियों की है, वे ही सर्विस कन्डीशन नगर परिषद/नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की होनी चाहिये।

(148)

(5) राजकीय कर्मचारियों को भवन निर्माण एवं वाहन क्रय हेतु, राज्य कर्मचारियों को सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है। नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को भी सुविधा दिये जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत राज्य सरकार शीघ्र उपनियम बना कर प्रभावशील करे।

(6) नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के जिन अधिनस्थ/मन्त्रालयिक/चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया गया है उनको तारीख नियुक्ति से स्थाई किया जाये। पूर्व में अगर किसी कर्मचारी को तारीख नियुक्ति से स्थाई नहीं किया गया है तो उसको तारीख नियुक्ति ही से स्थाई किया जाय। स्थाई करने के राजकीय आदेश को तत्काल निरस्त किया जावे।

(7) नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान की जावे जैसा कि राजकीय कर्मचारियों को ऐसी सुविधा है।

(8) दी राजस्थान म्युनिसिपल सबोर्डिनेट एण्ड मिनिस्ट्रियल सर्विस रूल्स, 1963 के साथ दिये गये अपाइमेंट में नाकेदार के पद से कनिष्ट लिपिक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है लेकिन आर० एस० आर. के नियम 26 ए० के अन्तर्गत पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाता। अतः पदोन्नति का लाभ दिया जावे।

(9) जो कर्मचारी 17–10–59 को जिन पदों पर ये और रूल्स के अन्तर्गत जिसको स्थाई माना गया है उसको पदोन्नति का लाभ देने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रतिबन्ध नहीं रखा जावे व इस कारण से जिन कर्मचारियों को अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया उनको पदोन्नति का लाभ दिया जावे।

(10) दी राजस्थान म्यूनिसिपेल्टीज (सप्लाई आफ सीवरेज यू एम्पलाईज रूल्स 1963 में स्थाई कर्मचारियों, सफाई निरीक्षकों को मिल निर्मित कपड़े भी दिये जाने का प्रावधान है लेकिन अन्य कर्मचारियों (नाकेदार) सबनाकेदार/चतुर्थ श्रेणी को खादी के कपड़े की वर्दी दिये जाने का प्रावधान है अतः यह भेद भाव समाप्त कर सभी कर्मचारियों को मिल निर्मित कपड़े की वर्दी दिये जाने के आदेश दें।

(11) सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन बहुत देर से निकाले जाते हैं या तो आयोग द्वारा तीन माह की अवधि में विज्ञापन निकाले जाकर पूर्व में नियुक्त कर्मचारियों को वरियता दी जाकर चयन किया जावे या तीन माह पश्चात् उन कर्मचारियों को भी जो अस्थाई नियुक्त हैं, को उनके पदों पर स्थाई किया जावे।

(12) नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों से आठ घण्टे से अधिक कार्य लेने पर मिनिमम वैसेज एक्ट व प्रिमियम वैसेज रूल्स के अन्तर्गत ओवर टाइम दिया जावे।

(13) आक्ट्राय, फारसर्विस स्टेशन वाटरवक्स माली बैल दरान/एवं हरिजन कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश नहीं दिया जाता अतः कर्मचारियों को 15 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जावे।

(14) जिन कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची अभी तक प्रकाशित सम्बन्धित पालिकाओं द्वारा नहीं की गई है, को तुरन्त वरिष्ठता सूची प्रकाशित कराने के आदेश प्रदान करें।

(15) जिन नगरपालिकाओं में मुहमाटल भत्ता नहीं दिया जाता उन नगर-पालिकाओं में गृह भाटक भत्ता दिया जावे।

(16) जिन नगरपालिकाओं में ग्रेच्युटी की राशि की अदायगी नहीं की गई है। ग्रेच्युटी की राशि संबधित कर्मचारियों के प्रावधान खातों में जमा कराई जावे

(17) नगरपालिकाओं के मैट्रिक मय एल. एस.जी.डी. प्रशिक्षित कर्मचारियों को 50 प्रतिशत से अधिशासी अधिकारी व राजस्व अधिकारी के पक्षों पर पदोन्नत करने हेतु नियमों में संशोधन किया जाये।

(18) नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की अदायगी मूल वेतन व महंगाई भत्ता व एस. डी. ए. जोड़ कर की जावे। इस बाबत नियमों में संशोधन किया जावे।

उक्त मांगें आपके समक्ष स्वीकृति हेतु पेश कर फैडरेशन आपसे आशा करता है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर उक्त मांगें कर्मचारियों को दिला कर फैडरेशन को अनुगृहीत करें।

ह०
महासचिव
वित्त म्युनिसिपल एम्पलाईज
फैडरेशन–श्री गंगानगर

राजस्थान सरकार

गंगानगर जिले के नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा दिनांक 25–5–78 से की गई हड़ताल के संबंध में समझौता वार्ता का विवरण–दिनांक 30–5–78,

उपस्थिति––

राज्य सरकार पक्ष

1. प्रो. केदार नाथ, श्रम एवं यातायात मन्त्री राज०
2. श्री भंवरलाल शर्मा, स्वायत्त शासन एवं शिक्षा मन्त्री राज.
3. श्री विज्ञान मोदी, स्वायत्त शासन एवं यातायात राज्य मन्त्री, राज०
4. श्री विजयसिंह, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज०
5. श्री राजेश्वर तिवाड़ी, उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन राज०, जयपुर,
6. श्री शिवचरण शर्मा, निदेशक, स्थानीय निकाय (स्वायत्त शासन)
7. श्री सारड़ीवाले, आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर

(150)

कर्मचारी पक्ष 1. श्री ताराचन्द शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फैडरेशन नगरपालिका कर्मचारी फैडरेशन, गंगानगर ।

2. श्री ओमप्रकाश बंसल, महासचिव ।

3. श्री मुरारीलाल, प्रधान वालमिक कर्मचारी संघ, गंगानगर ।

4. श्री पूर्णचन्द, महामन्त्री ।

5. श्री बुद्धराम वर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका कर्मचारी यूनियन, गंगानगर ।

6. श्री बनवारी लाल गुप्ता, सदस्य ।

7. श्री बनारसीदास, सदस्य ।

आज दिनांक 30 मई, 1978 को उपरोक्त दोनों पक्षों की उपस्थिति नगरपालिका श्रीगंगानगर कर्मचारियों की मांगों पर समझौता वार्ता माननीय श्रम एवं यातायात मन्त्री जी (प्रो. केदारनाथ) के कक्ष में हुई । कर्मचारियों की चार मांगें हैं जिन पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :—

मांग संख्या 1

राणावत वेतन आयोग जो कि दिनांक 1–4–70 से दिया गया है राज्य कर्मचारियों के समान दिनांक 1–9-68 से दिया जाये ।

इस मांग के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस मांग का सम्बन्ध सम्पूर्ण राजस्थान की नगर पालिकाओं से है जिस पर वित्त विभाग की राय ली जाकर मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है । अत: इस सम्बन्ध में स्वायत्त शासन विभाग टिप्पणी तैयार कर वित्त विभाग की राय लेकर मन्त्रिमण्डल के निर्णय हेतु प्रस्तुत करें ।

मन्त्रिमण्डल द्वारा जो निर्णय लिया जावेगा उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

दोनों पक्षों ने उक्त समाधान को स्वीकार किया ।

मांग संख्या 2

चिकित्सा भत्ता जो 10 रुपये प्रति माह दिया जाता है वह बढ़ाकर 35 रुपये माह दिया जावे ।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि नगरपालिका कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता 10 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाये । यह निर्णय दिनांक 1 अप्रेल, 1978 से लागू किया जाये ।

ये दोनों पक्षों ने इस समाधान को स्वीकार किया ।

मांग संख्या 3

राज्य कर्मचारियों की भांति ग्रेच्युटी दी जावे ।

यह मांग दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 4

वर्तमान राजस्व अधिकारी एवं कर निरीक्षक का स्थानानान्तरण अन्यत्र किया जाये ।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि यह प्रशासनिक मामला है । इन कर्मचारियों के विरुद्ध जो भी शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं उन पर स्थानीय विकास विभाग के उप निदेशक द्वारा जांच कराई जावेगी एवं जाँच के परिमाणों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

दोनों पक्षों ने उक्त समाधान को स्वीकार किया ।

हड़ताल के दिनांक से अनुपस्थिति तक का समायोजन कर्मचारियों के बकाया अवकाश में कर लिया जायेगा । जिन कर्मचारियों का कोई बकाया अवकाश नहीं होगा उनका आगे के अवकाश में समायोजन कर लिया जावेगा । किसी भी कर्मचारी के साथ प्रतिशोधात्मक कार्यवाही नहीं की जावेगी ।

कर्मचारी कल दिनांक 1–6–78 के प्रातः से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट जावेंगे ।

हस्ताक्षर राज्य सरकार	हस्ताक्षर कर्मचारी पक्ष
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

परिशिष्ट सं.–12

अतारांकित प्रश्न सं 1114 का आदेश

Abstract copy from Raj., Municipalities (Octroi) Rules, 1962.

Jaipur, date Dec. 30,1959.

No. F.5 (199) LSG/A/59.-In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 107 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Rajasthan Act. 38 of 1959), the State Government hereby grants exemption with effect from the first day of January, 1960 to all small, medium and large Scal Industries from the payment of octroi on all machinery imported for the purpose of setting up industries subject to the importer producing a certificate to that effect from the Industries Department of the State.

Jaipur, dated April 22,1961.

No. F. 5 (199) LSG/A/59.- In exercise of powers conferred by sub section (5) of section 107 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Rajasthan Act No. 38 of 1959), the State Government hereby grants exemption w.e.f. the Ist May, 1960 to all small, medium and large scale Industries from the payment of octroi on all machinery imported for the purpose of expansion of industries subject to the importer producing a certificate to that effect from the Industries Department of the state.

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची

नगर परिषद, जयपुर की कच्ची बस्तियों की सूची

क्र० सं०	नाम कच्ची बस्ती
1.	चौ. तोपखाना देश गन्दी मोरी से मारनल स्फूरत
2.	कायस्तों की बगीची के पास
3.	चौ० कामगाभियान
4.	चौ० सिरकीनराम
5.	चौ० मोदीखाना :— ठाकुर बोराज की हवेली के पास
6.	[चौ० विश्वेश्वर जी :— प्रेम प्रकाश टाकिज के पीछे
7.	चौ० घाट गेट कोठी रेगरान]
8.	[कोलीबस्ती चोरी सरदार के बाग के पास
9.	सांगानेरी गेट से घाटगेट तक
10.	चौ० रामचन्दर जी :— माहरवाड़ा
11.	सड़क घोड़ा निकास रोड
12.	कुण्ड राधा किशन के पास
13.	चौ० गंगापोल :— चार दरवाजे से गंगापोल गेट तक
14.	ठाकुर आंसणों की मोरी के पास
15.	कच्ची बस्ती नायकान

154

1	2
16.	थारियों के बाग के पास
17.	घो० सरवप :—
	कच्चा बन्धा हरिजन बस्ती
18.	लंवर की मोरी गनगोरी बाजार
19.	नादरों की मस्जिद के पास
20.	आरा मोरी के पास
21.	घो० केतान
22.	राजामल का तालाब गोविन्द देवजी के मन्दिर के पास
23.	ब्रह्मपुरी हरिजन बस्ती
24.	घो० पुरानी बस्ती :
	1–कारखाने की कोठी के पास मीणा बस्ती
	2–हरिजन बस्ती यज्ञ शाला की बावड़ी के पास
	3–खटकों की बस्ती कारखाने की कोठी के पास
	4–खेरकोट हरिजन बस्तो
	5–बैरवा बस्ती
	6–नीलगरों की बस्ती
	7–नाहरगढ़ हरिजन बस्ती
	8–जयलाल मुंशी के रास्ते से नारगृह के मन्दिर तक
25.	रास्ता बालानन्द जी हरिजन बस्ती
26.	रास्ता बालानन्दजी बलाई बस्ती
27.	गुलाब बाड़ी
28.	कोली बस्ती लंगर के बालाजी के उत्तर में फकीरों का टीबा

1	2
29.	चौ० तोपखाना हुजूरी :— कोली बस्ती खेरकोट
30.	पहाड़गंज एरिया मीणा बस्ती
31.	बंजारा बस्ती
32.	हरिजन बस्ती
33.	कोली बस्ती गुलजार मस्जिद के पास
34.	कोली बस्ती गंगा माता के मन्दिर के पास
35.	खेरकोट हरिजन बस्ती घाटगेट से मीणा बस्ती तक
36.	दयालपुरी हरिजन बस्ती

(156)

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1120 की सूची)

नियमन की पेंडिंग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं. 1

क्रमांक	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1	2	3
1.	3/77	श्री धन्नाराम मगनलाल जी कुम्हार
2.	13/77	श्री मोहम्मद सदीक खां
3.	14/77	श्री मोहम्मद साबिर खां
4.	15/77	श्री मोहम्मद साबिर खां
5.	48/77	श्री रामकरण बथुजी
6.	39/77	श्री प्रहलाद राम बाबूलाल
7.	41/77	श्री ईश्वरलाल रतनेश्वर जी
8.	47/77	श्री दुर्गाशंकर रामकरण
9.	48/77	श्री रामकरण बथुजी
10.	50/77	श्रीमती किशना देवी पत्नि रामकरण
11.	52/77	श्री हुकमाराम बालारामजी
12.	53/77	सुमेरमल कल्याण लालजी
13.	54/77	श्री सांवलचन्द प्रताप जी
14.	55/77	श्री भंवरलाल सांवलचन्द
15.	56/77	श्री मालाराम तुलसाजी
16.	60/77	श्री पृथ्वीराज चौपड़ा
17.	61/77	श्री अब्दुल कादर
18.	62/77	श्री अमीना इब्राहीम खां
19.	66/77	श्री टीपू प्रताप जी
20.	75/77	श्री अलादीन रमजूखां
21.	76/77	श्री अनवरखां अलादीन
22.	77/77	श्री कालूखां अलादीन
23.	78/77	श्री रूपाराम दताजी

1	2	3
24.	79/77	श्री पृथ्वीराम रूपाजी धोबी
25.	82/77	श्रीमती उदी पत्नि गोदाजी
26.	83/77	श्री नथमल गोदाजी
27.	84/77	श्री जेठमल गोदाजी
28.	86/77	श्री मिसरीमल शिवदास जी
29.	87/77	श्री पुखराज फुलचन्द जी
30.	88/77	श्री मूलचन्द शिवदान लल जी
31.	89/77	श्रीमती लीलाबाई तेजरामजी
32.	90/77	श्री हीरालाल पारवमल
33.	91/77	श्री गबरदीन वली श्री नूर खां
34.	92/77	श्री सफी खां नूर खां जी
35.	93/77	श्री सरदार खां सोमर
36.	97/77	श्री तेजसिंह बाघसिंह राजपूत
37.	98/77	श्रीमती कुसुम प्रेमसिंह जी
38.	99/77	श्रीमती रुकसाना हुसैन खां
39.	102/77	श्री राजमल अन्नालाल जी
40.	103/77	श्री उगमराव बलराम जी
41.	104/77	श्री चम्पालाल नरपतराम सेवक
42.	105/77	श्री पीरमोहम्मद दल्लाखां जी
43.	106/77	श्री बाबूखां दिलमोहम्मद
44.	107/77	श्री अयुबखां दिल मोहम्मद
45.	108/77	श्री अब्दुल रहीम दीन मोहम्मद
46.	101/77	श्री भंवरलाल प्रसादजी
47.	125/77	श्री हसनखां करीमखां
48.	126/77	श्री सोहनलाल पटेल
49.	132/77	श्री रामाराम भूराजी माली
50.	133/77	श्री उदाराम भूराराम माली
51.	134/77	श्री भमराराम पन्नाजी माली

1	2	3
52.	141/77	श्री हुरकचन्द हुरमलजी सेवक
53.	142/77	श्री पर्वतसिंह नारायणसिंह जी
54.	143/77	श्री रामसिंह गहलोत
55.	144/77	श्री बालसिंह अम्बालाल जी
56.	145/77	श्री किशनसिंह गहलोत
57.	146/77	श्रीमती जुबेदा कोजे मोहम्मद
58.	147/77	श्री मोहम्मद सलाम मोहम्मद
59.	148/77	श्री काशीलाल लच्छारामजी
60.	149/77	श्री प्रभुराम अत्मारामजी श्रीमाली
61.	150/77	श्री शक्तराज प्रभुराम जी
62.	152/77	श्री प्रताप तुलछा जी लुहार
63.	153/77	श्री भोलाराम भूरारामजी
64.	154/77	श्री रतनलाल प्रताप जी
65.	157/77	श्री सीला तेजराम सेवम
66.	159/77	श्री हनीफ खां अलीबक्ष
67.	160/77	श्री अब्दुल हजीफ
68.	161/77	श्री रामूलाल शर्मा
69.	164/77	श्री ताहीर हुसैन कासमबाजी मुसलमान
70.	165/77-78	श्री शिवराम रामदीन जी विश्नोई
71.	166/77-78	श्री मोरारामजी रामदीन जी विश्नोई
72.	169/77-78	श्री बन्शीलाल गुप्ता बालकिशनजी
73.	170/77-78	श्री भंवरलाल लेखराज वि० सोहनराज
74.	171/77-78	जीवाराम वि० रामा माली
75.	173/77-78	श्री घरमचन्द सादुल जी जैन
67.	177/77-78	श्रीमती रामूबाई पत्नि माणकचन्दजी
77.	181/77-78	श्री मूलचन्द मेहता
78.	182/77-78	श्रीमती रामूबाई पत्नि माणकचन्द जी

(159)

1	2	3
79.	184/77–78	श्री बंशीधर पुत्र गंगाराम जी जैन
80.	185/78–78	श्री परसमल बनताजी लुहार
81.	186/77–78	श्री पन्नालाल बनताजी लुहार
82.	187/77–78	श्री चम्पालाल बनताजी लुहार
83.	188/77–78	श्री अमृतलाल बनता जी लुहार
84.	189/77–78	श्री रघुनाथ शिवज्ञानी खण्डेलवाल
85.	190/77–78	श्री पारसमल सिरेनल सेवम
86.	191/77–78	श्रीमती संतोष कुमारी पत्नि कुन्दनमल
87.	192/77–78	श्री हनुमान अम्बालाल सेवम
88.	193/77–78	श्री राजमल अम्बालाल सेवम
89.	196/77–78	श्री मुकेशमल प्रभुलाल जी
90.	198/77–78	श्री बाबूलाल छोगालाल जी दर्जी
91.	51/77–78	श्री गोपी किशन रामकरणजी

नियमन की पेंडिंग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं. 3

क्रमांक	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1.	16/77	श्री रूपा, हीरा–वक्ता नेता, सोमलाल शिक्षा रामस्वामी माली
2.	38/77	श्री रूपाराम नेताजी मानत्त
3.	44/77	श्री भगताराम आबूजी भाट
4.	58/77	श्री सूराराम मुकाजी दर्जी
5.	59/77	श्री पन्नालाल पुनमाजी कुम्हार
6.	68/77	श्रीमती मुन्नी जी पत्नि अतेरजी
7.	69/77	श्री अलरखां सोनी जी कोटवाल
8.	95/77	श्री बाबूलाल सोनी
9.	115/77	रसीद ब्रदर्स
10.	151/77	श्री पन्नालाल, पुनमाजी कुम्हार

1	2	3
11.	183/77	श्री ऊका, भजारा वि० मोतीखां
12.	81/77	श्री सुलेमान अनावी कोटवाल

एस० डी० अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका भीनमाल

नियमन की पेंडिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं 2

क्र० सं०	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1.	12/77	श्री अब्दुल लतीफ पंसारी
2.	31/77	श्री उमगराज चम्पालाल ओड
3.	33/77	श्री चम्पालाल मेराजी ओड
4.	35/77	श्री बस्ताराम हेनराम वेलदार
5.	36/77	श्री तेजाराम मेरा जी वेलदार
6.	137/77	श्री ब्रह्मानन्द प्रतापजी
7.	197/78	श्री शंकरलाल मोरथजी महेश्वरी
8.	199/78	श्री अलाखां छोटूखां जी मुसलमान
9.	200/78	श्री सुरेशमल भागीरथ मल गुप्ता

एस० डी० अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, भीनमाल

नियमन की पेंडिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं 4

क्रमांक	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1.	40/77	श्री तेजराम शिवराज जी मेहता
2.	70/77	श्री जगदीश शंकरलाल सोनी
3.	100/77	श्री सीमराथ सरभागी लुहार
4.	118/77	श्री रमेशकुमार बाबूलाल
5.	119/77	श्री पुखराज कपूरचन्द जी ओसवाल
6.	201/78	श्रीमती मूली देवी पत्नी बस्तीमल
7.	202/78	श्री बस्तीमल उदचन्द जी

8.	179/78	श्री दीपाराम बन्नाजी प्रजापत
9.	77/77	श्री भंवरलाल शिवराज मेहता

एस० डी० अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, भीनमाल।

नियमन पेंडिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं. 7

1.	67/76	श्री रामलाल डकाजी लुहार
2.	158/77	श्री लाली पंथ समाज
3.	101/77	श्री डागरमल पुखराज ओसवाल
4.	111/77	श्रीमती शांतीदेवी पत्नि कपूरचन्द

एस० डी० अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, भीनमाल

नियमन पेंडिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं० 9

1	4/77	श्री लालाराम केसाजी भाट
2.	5/77	श्री शंकरलाल केसाजी भाट

वार्ड नं० 11

1.	163/77	श्री फूलचन्द चतरा जी सोनी

नियमन की पेंडिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं० 12

क्रमांक	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1.	37/77	श्री दीपचन्द टीकमचन्द महेश्वरी
2.	94/77	श्री छोकदमल सोहनराम जी
3.	127/77	श्री किस्तुरा राम हुकमाजी गांधी
4.	136/77	श्री हीराचन्द वंदारा
5.	194/77	श्री मांगीलाल टीलुचन्द जी ओसवाल
6.	195/77	श्री कालूचन्द रामलाल ओसवाल

नियमन की पेंडिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं० 13

क्रमांक	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1.	139/77	श्री सीताराम पुरोहित
2.	140/77	श्री भूराराम पुरोहित

(162)

3.	155/77	श्री सोगानी बाई पत्नि सांवलचन्द
4.	167/77	श्री समुद्रा सांवला पुत्र जोधा जी
5.	168/77	श्री रामरतन सांवलाराम
6.	27/77	श्री हमीखां उम्मेखांजी मुसलमान
7.	28/77	श्री उम्मेदखां हासमखां जी
8.	29/77	श्री कलालखां उम्मेदवार जी
9.	30/77	श्री भूरेखां उम्मेदखां जी
10.	34/77	श्री गोरीशंकर चिनकीराम जी श्रीमाली
11.	45/77	श्री रंगलाल मूलचन्द जी ओसवाल
12.	178/77	श्रीमती संकी बाई पत्नि घमडीरामजी सेवाली
13.	190/77	श्री टीकमचन्द बरमाजी ओसवाल

परिशिष्ट सं०–15

(अतारांकित प्रश्न सं० 1121 की सूची)

Statement Showing Housing of Various Catagories Completed Yearwise IN JAIPUR CITY

S. N.	YEAR	JANTA E. W. S.	L. I. G.	M. I. G.	H. I. G.	TOTAL
		CATAGORIES				
1.	1970–71	–	–	–	–	–
2.	1971–72	–	62	–	–	62
3.	1972–73	–	–	46	–	46
4.	1973–74	50	335	138	–	523
5.	1974–75	151	519	259	29	958
6.	1975–76	252	539	359	43	1193
7.	1976–77	380	181	380	81	1022
8.	1977–78	28	109	32	10	179
9.	1978–79 (Dec. 78)	26	8	14	13	61
	Total	887	1753	1228	176	4044

164

परिशिष्ट सं०-16

(अतारांकित प्रश्न 1122)

राजस्थान पुलिस की रिपोर्ट

स्पेशल रिपोर्ट (नियम 58-59)

ओर से–पु. जिला एस. एच. ओ. थाना सरदार शहर, चूरू

वास्ते–श्रीमान पुलिस अधीक्षक, चुरू ।

मु. नं. 23 ता: 21-3-78

1. नाम मुस्तगीस या इत्तला कुनिन्दा जरिये दरख्वास्त शेराराम पुत्र रामूराम जाट, ढाणी, सुहाणों की ढाणी ।
2. नाम व पता मुलजिम किशनी देवी पत्नि काना राम कुम्हार सा० सुहाणों की ढाणी ।
3. नं० व किस्म जुर्म मय दफा 454/380 ता० हि०
4. नं० रिपोर्ट इत्तला अव्वल मय ता० व वक्त रिपोर्ट–एफ० आई० आर० 23-3-78 वक्त 9 ए० एम० ।
5. जय वकुआ सुहाणों की ढ़ाणी थाना सरदार शहर सिम्त व फासला थाने से 10 मील थाना से
6. ता० व वक्त वकुआ ता० 9-3-78 के कुछ दिन पहले ।
7. तादाद माल 15000)00
8. रिपोर्ट पर जो कार्यवाही थाने से की गई मुकदमा दर्ज कर तफतीश शुरु की गई ।
9. नाम व ओहदा अफसर तफतीश कुनिन्दा श्री राम जी लाल ए.एस.आई. ।
10. ता० व वक्त जब पुलिस मौके पर पहुंची 21-3-78, 10 ए० एम०
11. तादाद मुलजिमान जो (मय ता०–1)

संबंधित—1

श्रीमान जी,

निवेदन है कि आज ता० 21-3-78 को 9 ए० एम० पर श्री शेराराम पुत्र रामूराम जाट सा० सुहाणों की ढ़ाणी उम्र 35 साल हाजिर थाना होकर एक किता दरख्वास्त गुजरिन्दा श्री मान गृह मन्त्री दरख्वास्त हिन्दी मजमून माननीय गृह मन्त्री जी, राजस्थान सरकार जयपुर । विषय सरदार शहर पुलिस द्वारा चोरी की रिर्पोट दर्ज न करने बाबत महोदय निवेदन है कि प्रार्थी का 13 भरी सोने व 350 भरी चांदी के जेवरात जो एक सन्दूक में बन्द करके एक मकान में रखे हुए थे, चोरी हो गये है । करीब एक सप्ताह पूर्व जब सन्दूक, कपड़े आदि निकालने के लिए संभाला तो उसमें उक्त जेवरात नहीं मिलें । मेरा सन्देह मेरे घर के पड़ोसी

काना राम कुम्हार की औरत किशनी देवी पर गया क्योंकि वह औरत पहले भी दो चोरियां कर चुकी थी। जो गांव के मुख्याओं ने सुल्टाई थी। इसके अलावा किशनी देवी को कुछ दिन पूर्व श्री रेखा राम पुत्र श्री हुणता राम ने मेरे घर में घुसते हुए भी देखा था। जो उसने मेरे द्वारा चोरी का जिक्र करने पर बताया। इस पर मैंने गांव के मुख्याओं को इकट्ठा किया तथा किशनी देवी के पति श्री काना रामको बुलाया, तो उसने अपनी पत्नि द्वारा चोरी करना मुख्याओं के समक्ष मंजूर करली और जेवरात के पैसे देने की बात कही परन्तु दूसरे दिन एक वकील के फुसलाने बहकाने व लालच में आकर पैसे देने से इन्कार हो गया तब मैं उस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन सरदार शहर में गया तो वहां के थानेदार श्री भूपसिंह ने मुकदमा दर्ज करने से यह कहकर इन्कार कर दिया कि मेरे को ऊपर से हिदायत है कि किशनी देवी ने चोरी नहीं की है, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा। अतः निवेदन है कि मेरा मुकदमा दर्ज कराने व माल बरामद कराने का आदेश प्रदान करें तथा साथ ही मामला गुप्तचर विभाग को सोंपने का आदेश भी दें, क्योंकि स्थानीय थानेदार पर पुलिस के जिला अधिकारियों का दबाव होने के कारण मुझे न्याय मिलने में सन्देह है। 16-3-78 प्रार्थी शेरा राम पुत्र रामू राम जाट सा० ढाणी सुवाणा पुलिस स्टेशन सरदार शहर जिला चूरू। S P. Churu please see that the case is registered, investigation starts and the progress is intimated to me.

एस० डी०

गृह राज्य मन्त्री 16/3/78/8198दि० 17-3-78 का आदेश क्रमांक 2402 दिनांक 20-3-78 एस० पी० चूरू, बाबत कायमी मुकदमा पेश की व मजिद बताया कि चोरी गये सोने के गहनों में एक हवेली सरपंच करीब 9 तोला जिसमें कुल 8 मोहरें हैं जिसमें 4 झाड़शाही पुरानी व 4 नयी मोहरें बीच में मूरत तथा 4 वगसरी मादलीया है, तथा एक टेवरा-सोना तावगी करीब साढ़े तीन तोला कालर वाला है। चांदी के चोरी गये गहनों में एक जोड़ी टोपला एक हुसली बड़ी एक जोड़ी केवरी घुंघरूवाली एक कड़ी, एक तागड़ी एक कड़िया बड़ा हाथ में पहनने का है सारें गहनों की कीमत करीब 15000;00 की थी। इस गहने को मैं व मेरी औरत, बेटी साइन देखकर पहचान सकते है। मजमून दरख्वास्त लेवें। दरियाफ्त से जुर्म दफा 454/380 ता० हि० का सरवड होना पाया जाता है। जिस पर मु० नं० 23 में चाक किया जाकर तफतीश शुरू की गई।

एस० आर० जारी की गई। रिपोर्ट सेवा में पेश है।

ता० 21-3-78

166

परिशिष्ट सं०–17

(अतारांकित प्रश्न 1124 की सूची)

सूची

सुपर डीलक्स व डीलक्स वाहनों में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं :—

1. सीटें आरामदायक कुशन्ड व तकियेदार होती है।
2. सीटों की संख्या कम होने से वायु प्रदूषण कम होता है तथा यात्री आराम से बैठ सकते हैं।
3. खिड़कियों के शीशे रंगीन होते हैं जिससे धूप का प्रसर नहीं होता है।
4. ऐसी बसों की बोडी को सब तरह से कुचालक पदार्थों से ढका जाता है जिससे यात्रियों को सभी ऋतुओं में आराम मिलता है।
5. इन वाहनों में चालक कक्ष यात्री कक्ष से पूर्णतया अलग होता है तथा वायु निरोधक होता है जिससे यात्री कक्ष में बैठे यात्री इंजन की आवाज व धुएं से मुक्त रहते है।
6. प्रकाश की पर्याप्त व उचित व्यवस्था, ट्यूब लाइटें लगाई जाती हैं।
7. इन वाहनों में रेडियो तथा पंखों का भी प्रबन्ध होता है।
8. इन वाहनों में यात्रियों का सामान रखते हुए अलग से स्थान की सुविधा उपलब्ध की जाती है जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।

द्रुतगामी तथा साधारण वाहन सेवाओं में उपरोक्त सुविधायें नहीं होती हैं। द्रुतगामी सेवायें केवल मात्र लम्बी दूरी के यात्रियों को कम समय में गन्तव्य स्थान तक पहुचाने हेतु लगाई जाती है।

—

167

परिशिष्ट सं०–18

(अतारांकित प्रश्न 1126 की सूची)

चूरू जिले में संचालित औषधालयों की सूची

क्रमांक	नाम तहसील	नाम औषधालय	क्रमांक	तहसील	नाम औषधालय
1	2	3	1	2	3
1.	चूरू	1. अ श्रेणी चूरू	5	राजगढ़	1. नैसल
		2. यूनानी चूरू			2. हमी रवास
		3. मामासी			3. चांदगोटी
		4. जसरासर			4. अथैला
		5. खण्डवा			5. घानोटी बड़ी
		6. सांवड़ा			6. घणाऊ
		7. धांध			7. ददरेवा
		8. सैहनाली			8. रामसरावाल
		9. लाखाऊ			9. लंसडि
		10. श्यामपुरा			10. लम्बोरबड़ी
		11. पीथीसर			11. बेरासर बड़ा
		12. सरजूसर			12. पहाड़सर
2.	रतनगढ़	1. अ श्रेणी रतनगढ़	6	सरदारशहर	1. बन्धनाऊ
		2. सेहला रतनगढ़			2. फोगा
		3. सेहला			3. मालासर
		4. पडिहारा			4. रामसोसर
		5. भूलरेडी			5. मेहरासर उपाध्यान
		6. लधासर			6. ढांणी पांचेरा
		7. लाछडसर			7. खेजड़ा
		8. कनवारी			8. सारसर
		9. पाचूसर			9. रात्यूसर
		10. मांनूवा			10. राजसरबा कान
		11. गुसाईसर			11. बुकन्सर बड़ा
					12. उदरासरकल्याणपुरा
					13. मेहरी

118

1	2	3	1	2	3
3.	तारानगर	1. तारानगर	7	डूंगरगढ़	1. पवपज जाना
		2. बूचावास			2. रीड़ी
		3. धी रवास			3. ऊपनी
		4. कालवास			4. वार्णेऊ
		5. पुनसीसर			5. सूडसर
		6. रेडी भूरावास			6. बिग्गावास रामसर
		7. वांय			7. गुसाईसर बड़ा
		8. सात्य			8. पुनरासर
		9. पालेरी			9. ठकरियासर
		10. नगोई			10. वाडेला
		11. सारायण			11. लिखमा देसर
		12. गावास गडाना			12. उदरासर
		13. रेया टुन्डा			
4	सुजानगढ़	1. दडिदा			
		2. रांजियासर			
		3. गोपालपुरा			
		4. चाडवास			
		5. मालोना			
		6. सालासर के मसर			
		7. सालासर			
		8. न्यामा			
		9. शोभासर			
		10. लासगढ़			
		11. कानूता			
		12. सुजानगढ़			

चूरू जिले में संचालित नवीन औषधालयों की सूची--जून, 77 से दिसम्बर, 78 तक

क्रमांक	तहसील	नाम औषधालय
1.	चूरू	1. लाखाऊ 2. सेहनाली
2.	राजगढ़	3. लम्बोर बड़ी 4. लसेड़ी 5. बोरांसर बड़ा
3.	डूंगरगढ़	6. लिखमादेसर 7. बाडेला
4.	रतनगढ़	8. पाबूसर 9. कडवारी
5.	तारानगर	10. मालेरी 11. सारायण 12 रेया टुन्डा
6.	सरदारशहर	13. उदरासर कल्याणपुरा 14. मेहरी 15. बुकलसर बड़ा 16. राजासर विकान
7.	सुजानगढ़	17. सुजानगढ़ 18. श्यामपुरा

परिशिष्ट सं० 19

अतारांकित प्रश्न 1127 की सूची

ANNXURE—I

Date	Pur Pose
January, 1978.	
12-1-78 to 13-1-78 (CH—14, 15-1-78)	To attend meeting in the chamber of the Health Commissioner.
20-1-78 to 21-1-78 (CH—22-1-78)	To conduct the M.D. (P & M) Examination at Amritaar.
27-1-78 to 28-1-78 Cpi-casual leave. (CH—29-1-78)	To conduct final NERS Examination in P & SM at S.M.S. Medical College Jaipur.
February. 1978.	
3-2-78	Attended BFC meeting at Jaipur.
4-2-78	Attended University meeting at Jaipur.
7-2-78 to 8-2-78	Attended meeting in the chamber of the Health Commissioner.
9-2-78 to 11-2-78	Deputation to attend the 8th Annual Conference at I.A.P,S.M. at Udaipur.
19-2-78 to 20-2-78	Attended three decdes celebrations at S.M.S. M edical college; Jaipur.
21-2-78	Discussed progrees in relation to various proposals with Health Commissioner.
22-2-78	Attended the meeting of central Selection Committee.

27–2–78 to 28–2–78	Attended the Inter–regional Conference of teaching statistics to Medical undergrad uatcs at Karachi·
March, 1978	
1–3–78 to 10–3–78 (CH—11, 12–3–78	Attended the Inter-regional conf. of teaching statistics to medical undergradautes at Karachi.
17–3–78	Attended meeting in the Chamber of Health Commissioner as per telephonic message.
18–3–78—Casual leave. (CH—19–3–78).	—
20–3–78	Attended Central Selection Committee meeting.
21–3–78 to 22–3–78	Delhi–to conduct examinations.
23–3–78 (24–3–78 to 26–3–78 CH)	Attended meeting in the sectt.
April, 1981	
4–4–78 to 6–4–78.	Went to Earmet in the specialists team.
10–4–78 to 13–4–78 (8–4–78 to 9–4–78 CH).	Attended the Central Selection Committee
14–4–78 to 15–4–78 Casual leave. (CH—16–4–78	—
25–4–78	Attended Annual Plan meeting at Jaipur.
28–4–78 to 29–4–78	Went to Sirohi in the specialist team.
May, 1978.	
3–5–78	Delivered talk in Public Institute, Jaipur.

4–5–78	Attended the meeting of Central Selection Committee.
15–5–78 to 17–5–78	Attended meeting in B.A.R.C. Bombay regarding cobelt Installation.
20–5–78 to 21–5–78	Went to Jalore in the specialist team.
22–5–78 to 23–5–78	Delivered talk in the H.C.N. State Institute of Public Administration on the Foundational course.
29–5–78	Attended Union Public Service Commission.
(28–5–78 CH)	New Delhi for assisting the Commission in selection of Madical officer, Rural Field Studies Population control.
June, 1976.	
9–6–78 (CH—8–6–78 and 10–6–78 to 11–6–78).	Discussed the scheme of astahlishing a Rehabilitation and physiotherory centre with Dr. P. K. Sethi Regarding the scheme sumitted on the basis of propased donation of a sum of Rs. 50,000/– from Shri Rajan Agrawal.
16–6–76	Attended meeting in the Chamber of the Health Minister, regarding Cleanliness drive and installation of Sanitary Latrines.
July, 1978.	
3–7–78 (2–7–78—CH)	Discussed progress in respect of Construction of Cebelet Plant in the

	New teaching Hospital Complex in the Chamber of the Health Commissioner.
10-7-78 (CH—8, 9-7-78).	Attended meeting regarding the review of the plan scheme.
11-7-78 to 12-7-78.	Discussion Regarding different subjects in Secratariat, P.W.D. Office and University of Rajasthan.
13-7-78—Casual Leave.	—
14-7-78.	Attanded Meating in the DMAHS Officer on iCDS programs.
15-7-78- to 21-7-78 Gasuted leave.	—
22-7-78. (CH—23-7-78.	Discussions with the By. Secretray Regarding the registratton of Post-Graduate Students and filling the Vecenesion in different Department.
29-7-78. 30-7-78 (C.H.)	Attended meeting of Central Selection Cenit too.
31-7-78.	Attended meeting of the Board of Studies, Faculty of Medicine and Sub-Committee for drafting Pre-elinical syllabus at University of Raj.
August, 1978	
1-8-78 to 3-8-78.	Attended meeting of the Board of Studies, Faculty of Medicine and Sub-Committee for drafting Pre-Clinical Byllabus at University of Rajasthan.
4-8-78	Idscuasion with the Addl. Chief Chief Engineer, P.W.D., Regarding Progress in construction work of the New Teaching Hospital and Cobalt Thesapy Unit.

5-8-78 to 6-8-78.	Attended meeting of the Sub. Commttee constituted by Medicel Council of India, New Delhi.
9-8-78 to 10-8-78.	Attended meeting in the chamber of the Health Minister.
11-8-78.	Discussion with the DCMS, New Delhi regarding exemption of custom duty.
12-8-78 to 13-8-78	Reputation for attending the Dma Workshop/neminer on the Evaluation in General Practice/Community Medicine and self assessment-Tecinques & Methods at New Delhi.
19-8-78. (CH—20-8-78)	Attended meeting with the chief Minister.
26-8-78 to 29-8-78. (CH—27-8-78)	Attended the Rajasthan Prenvincial Tuberculosis and Chest Workers Meet at Ajmer.
September, 1978.	
11-9-78.	Attended expenditure review meeting in the department of Finance.
12-9-78.	Attended Principal's meeting.
13-9-78.	Attended meeting with Health Minister.
19-9-78.	Attended the Sub-Committee constituted by the Board of Studies of the University of Rajasthan.
25-9-78 Casual leave. (CH—24-9-78)	—
26-9-78.	University Meeting of Madical Education and Researc Sub-Committee of the Faculty of Medicine.

27-9–78 to 30-9-78. (on leave)	Admitted in the S.M.S. Hospital and was operated for bladdarneck obstr-uction.
October, 1978.	
1-10-78 to 6-10-78. (leave)	Admitted in the S.M.S. Hospital and was operated for bladderneck obstru-ction.
7-10-78 to 10-10-78 (11-10-78 CH)	Attended the meeting of Selection Board for admission in the Medical Colleges.
12-10-78 to 13-10-78 Casual leave. (CH, 14, 15-10-78 and 29, 31-10-78	—
November, 1978	
1-11–78 to 2-11–78 (CH).	—
3–11–78 to 4–11–78.	Discussions about the Cobalt Plant building with the Addi. Chief Engg. and Dy. Archietect, P.W.D. Rajas-than and to discuss about the propo-sals regarding new constructions in College and attached hospitals.
13–11-78—Casual leave. (CH 12–11–78 and 14–11–78)	—
December, 1978	
3–12–78 to 5–12–78	Conducted inspection at Medical College, Phopel in the capacity of the Inspector appointed by the M.
6-12–78 to 8–12–78 Casual leave. (CH 9–12–78 to 10–12–78)	—
11-12-78 to 16-12-78.	Deputation to attend First Course on Management of Meadical Colleges at Bangalore.

(176)

23-12-78 (CH—24-12-78)	Meeting of admission Board.
25-12-78.	Attended meeting of the new constituted Managing Committee of the Raj. state Branch of the Indian Road Cross Society at Jaipur.
26-12-78 to 27-12-78.	Conducted inspection for inspecting facilities and standards of examination of M.D. (PASM) organised by the Bombay University.

ANNXXURE—II

Information regarding arrangements of the charge of the principal & Controller in absence of the undersigned for the period from March, 1978 to Feb. 1979 (1978-79)

Dr. M.S. Rathore, Professor & Health of the Department of Anatony of this College is working as Purser. He looks after the work of the principal & Controller, as and when unedersigned were out of Station, the following locked-after the work of the Principal & Controller for the period noted against their names :—

1. Dr. S.K. Pande, Professor & Head of the Deptt. of Surgery—&-Superintendent, Associated Group of Hospitals, Jodhpur.

   10.4.78 to 15.4.78 25-4-78 3-5-78 to 4-5-78 22-5.78 to 23.5.78 28.5.78 to 29.5.78, 3.6.78 to 11.6.78, 16.6.78, 30.7.78 to 31.7.78 8.12.78 24.12.78 to 27.12.78.

2. **Dr. K. Banerias, Professor & Head of the Department of Medicine.**

   27.8.78 to 29.8.78. 26.9.78, 1.10.78 to 3.10.78 3.11.78 to 4.11.78, 9.12.78 and 16.12.78.

---

(178)

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 1135 का विवरण

कच्चे माल की वितरण प्रणाली

(1) लोहा एवं इस्पात :—

लोहा एवं इस्पात इकाईयों की क्षमता निर्धारित कर उन्हें पास-बुक जारी की जा चुकी है, जिस पर इकाईयों की क्षमता तथा जो मात्रा देय हुई है, अंकित रहती है। राजस्थान लघु उद्योग निगम डिपो से वर्णमाला अनुसार इकाईयों को उनकी देय मात्रा आवंटित की जाती है।

(2) सीमेन्ट :—

सीमेन्ट काम में लाने वाली इकाईयों ने पी. सी. सी. पोल्स व एस. सी. पाइप्स, जाली व चोखट की क्षमता निर्धारण के, फार्म्स विभाग द्वारा जारी कर दिये गये है। इकाईयों की क्षमता, पूर्व में उनके द्वारा उठाये गये माल, राजकीय आर्डरों को ध्यान में रखकर आवंटन किया जाता है।

(3) मोम :—

विभिन्न प्रकार की मोम प्रयोग करने वाली इकाईयों के लिये उनकी क्षमता का प्रतिशत निर्धारित किया गया है और प्रत्येक इकाई को कम से कम पांच बोरे आवंटित किये जाते हैं।

(4) कोयला :—

इकाई द्वारा गतवर्ष कोयले की खपत, उत्पादन और उसकी कार्य कुशलता को देखते हुये कोयला आवंटित किया जाता है। कुछ उद्योगों के लिये उत्पादित वस्तुओं के अनुसार कोयले की मात्रा के लिये फार्म्स भी विभाग द्वारा जारी किये गये हैं।

सूची—'क'

परिशिष्ट सं. 21

(अतारांकित प्रश्न सं.—1139 की सूची)

राजस्व अभियानों के तहत निपटाये गये मामलों का तहसीलवार विवरण, जिला टोंक

क्र. सं.	नाम तहसील.	धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट	बाड़ा व मकान के अतिक्रमण के मामले	विलानामी चाहत	रहन बिल कब्ज	मुतफरिक
1–	टोंक	17656	1131	4	—	—
2–	निवाई	9459	—	—	114	—
3–	देवली	25342	4248	161	241	—
4–	उनियारा	10772	688	33	—	90
5–	मालपुरा	8106	1839	—	61	—
6–	टोडारायसिंह	5652	498	1	32	—
	कुल योग	76987	8404	199	448	90

179

(180)

सूची 'ख'

टोंक जिले की तहसीलों में विचाराधीन मामलों की वर्षवार स्थिति

क्र०सं०	नाम तहसील	3 वर्ष से अधिक	2 वर्ष से अधिक	1 वर्ष से अधिक	6 माह से अधिक	6 माह से कम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	टोंक						
	1–धारा 91	4	12	49	–	247	312
	2–मकान व बाड़े	–	–	29	–	410	439
	3–मुतफर्रिक	–	5	17	–	81	103
	4–लावारिस	–	–	7	–	2	9
	5–अन्य	–	1	2	–	6	9
	योग	4	18	104	–	746	872
2–	मालपुरा						
	1–धारा 91	1	–	4	32	84	121
	2–मकान व बाड़े	–	–	–	5	80	85
	3–विलानामी चाह	–	–	–	–	4	4
	4–लावारिस	–	–	2	1	2	5
	5–मुतफर्रिक	–	–	7	18	13	38
	योग	1	–	13	56	183	253

1	2	3	4	5	6	7	8
3–	निवाई						
	1–धारा 91	–	–	–	59	–	59
4–	टोडारार्यसिह						
	1–धारा 91	–	–	26	492	–	518
	2–मकान व बाड़े	–	–	–	–	–	–
	3–मुतफर्रिक	–	–	25	–	–	25
	4–बिलानाम चाह	–	–	3	–	–	3
	5–अन्य	–	–	–	–	–	–
	योग	–	–	54	492	–	546
5–	देवली						
	1–धारा 91	–	–	–	149	–	149
	2–गैर मुमकिन चाहत	–	–	–	21	–	21
	योग	–	–	–	170	–	170

181

1	2	3	4	5	6	7	8
6–	अलीगढ़						
	1–धारा 91	–	85	295	313	–	693
	2–मुतफर्रिक	–	26	39	31	–	96
	3–लावारिस	–	–	–	3	–	3
	4–विलानामी चाह	–	–	–	4	–	4
	योग	–	111	334	351	–	796

सूची 'ग'

टोंक जिले की तहसीलों में विचाराधीन मुकदमात धारा 91 का मान चित्र

विचाराधीन मामलों की वर्षवार स्थिति

क्र०सं०	नाम तहसील	3 वर्ष से अधिक	2 वर्ष से अधिक	1 वर्ष से अधिक	6 माह से कम	कुल योग
1–	टोंक	4	12	49	247	312
2–	निवाई	–	–	–	59	59
3–	देवली	–	–	–	167	167
4–	उनियारा	–	85	295	313	693
5–	मालपुरा	1	–	4	116	121
6–	टोडारायसिंह	–	–	26	492	518
	योग	5	97	374	1394	1870

परिशिष्ट स०–22

(अतारांकित प्रश्न सं० 1150 की सूची)

राजस्थान राज्य में सन् 1975–76 से सन् 1978–89 तक कृषि संबंधी जिन्सों के मासिक मूल्यों की सूची

माह	गेहूं				चना			
	1975–76	76–77	77–78	78–79	1975–76	76–77	77–78	78–79
जुलाई	145·98	115·06	122·31	129·10	170·93	112·70	149·16	177·17
अगस्त	140·10	112·20	124·81	126·05	176·76	107·45	152·24	200·51
सितम्बर	133·32	108·32	129·74	132·33	185·23	103·55	176·75	215·19
अक्टूबर	124·27	103·79	128·60	127·72	185·95	102·45	179·08	218·84
नवम्बर	125·25	109·42	134·50	129·86	187·29	107·99	193·62	212·12
दिसम्बर	121·80	118·66	147·54	133·57	175·14	110·16	202·12	202·89
जनवरी	120·28	129·93	146·00	144·63	117·33	120·04	184·62	184·70
फरवरी	110·84	135·52	145·50	134·68	166·39	123·34	187·11	180·82
मार्च	105·27	131·36	141·72	—	129·36	119·71	188·78	—
अप्रेल	107·57	120·14	128·11	—	110·74	117·26	172·91	—
मई	105·45	120·78	123·15	—	101·85	149·45	161·72	—
जून	109·35	120·92	126·34	—	101·83	141·37	175·05	—
राज्य की औसत मूल्य	121·20	118·84	133·23	132·25	155·73	117·12	176·93	200·20
पिछले वर्ष से अगले वर्ष प्रतिशत कम (–) ज्यादा (+)		–03–37	12–11	–0–75		–24·79	51·07	19·15

(184)

	जौ				धनिया			
	1975·76	76·77	77·78	78·79	1975·76	76·77	77·78	78·79
जुलाई	98·75	70·56	96·78	90·83	315·73	512·52	533·78	232·00
अगस्त	96·63	68·56	95·67	84·84	320·45	546·49	521·94	215·00
सितम्बर	89·35	66·34	105·11	90·77	354·86	578·58	663·72	216·48
अक्टूबर	69·23	62·00	102·47	85·33	368·63	662·54	605·87	209·93
नवम्बर	67·72	69·80	103·95	85·72	447·20	686·01	572·38	190·24
दिसम्बर	65·19	75·11	114·35	85·43	471·83	746·34	528·00	165·78
जनवरी	66·64	87·97	119·46	85·83	470·94	625·11	551·84	164·52
फरवरी	60·27	93·88	116·46	85·51	410·24	809·40	298·38	133·00
मार्च	53·61	90·44	116·06	–	283·46	506·24	309·93	–
अप्रेल	60·50	82·70	94·10	–	361·90	589·37	292·46	–
मई	50·38	100·45	91·80	–	430·39	562·70	256·21	–
जून	62·08	99·22	98·30	–	488·03	527·86	234·50	–
राज्य की आयत मूल्य	70·84	80·59	104·55	86·78	383·65	587·45	447·41	190·82
पिछले वर्ष से अगले वर्ष प्रतिशत कम (–) ज्यादा (+)		13·76	29·73	–17·00		49·23	–23·84	–57·35

	अजवायन	सूंड		मूंग		उज्वान	
	1976	1977·78	78·79	1975·76	76·77	77·78	78·79
जुलाई	471·6	898·30	310·33	–	166·51	226·13	228·38
अगस्त	342·5	940·00	315·00	–	149·90	221·84	296·11
सितम्बर	430·0	898·20	297·80	183·95	148·93	221·05	219·67
अक्टूबर	–	962·50	443·75	168·12	143·60	214·63	314·54
नवम्बर	–	–	221·75	148·37	162·80	233·45	308·38
दिसम्बर	[285·0	550·75	171·25	138·84	164·23	250·73	810·00
जनवरी	602·7	451·00	166·50	128·21	175·07	245·00	308·10
फरवरी	515·0	450·00	144·50	115·67	190·79	255·33	–
मार्च	262·5	360·00	–	117·10	195·71	251·55	–
अप्रेल	800·4	345·00	–	144·96	208·58	285·00	–
मई	856·2	330·00	–	145·68	225·27	281·02	–
जून	825·0	300·00	–	155·00	223·55	238·32	–
राज्य की आयत मूल्य	664·1	589·00	233·84	145·34	179·20	249·87	297·70
पिछले वर्ष से अगले वर्ष प्रतिशत कम (–) ज्यादा (+)		–11·22	–60·34		23·30	39·44	19·14

	उड़द				बाजरा			
	1975·76	76·77	77·78	78·79	1975·76	76·77	77·78	78·79
जुलाई	166·25	200·71	247·00	262·95	173·14	96·05	114·45	116·96
अगस्त	157·00	180·00	230·00	238·50	154·46	85·67	112·71	110·91
सितम्बर	170·33	200·72	229·12	251·50	132·49	72·82	115·37	104·88
अक्टूबर	156·48	177·28	208·38	257·04	94·90	83·92	109·79	99·40
नवम्बर	144·92	195·62	219·84	266·92	95·51	94·23	119·11	98·40
दिसम्बर	143·23	205·77	240·33	259·46	90·72	95·78	137·75	98·54
जनवरी	142·71	226·75	227·97	254·25	82·36	103·20	133·54	93·08
फरवरी	135·00	234·00	232·25	230·00	79·43	106·67	129·71	86·29
मार्च	136·25	221·50	213·65	–	67·50	105·38	122·00	–
अप्रेल	178·00	227·33	246·00	–	74·38	100·95	113·02	–
मई	130·21	240·00	265·00	–	71·52	111·08	110·39	–
जून	200·75	227·12	265·00	–	84·41	116·25	116·38	–
राज्य की औसत मूल्य	159·26	211·40	235·74	285·20	100·07	98·08	119·91	101·05
पिछले वर्ष से अगले वर्ष प्रतिशत कम (–) ज्यादा (+)		32·74	11·51	8·68		–1·99	21·85	–15·78

	ज्वार				मक्का			
	1975·76	76·77	77·78	78·79	1975·76	76·77	77·78	78 79
जुलाई	152·83	131·79	99·43	121·17	148·78	89·49	112·90	124·00
अगस्त	142·67	114·92	94·59	104·90	133·11	87·59	115·00	110·63
सितम्बर	120·89	111·55	94·47	102·05	101·61	85·56	112·71	107·45
अक्टूबर	104·68	109·67	88·89	93·31	83·89	81·47	105·44	101·26
नवम्बर	94·68	103·67	92·50	93·71	83·26	92·54	114·99	103·95
दिसम्बर	95·51	102·77	115·23	96·10	80·69	99·74	125·33	100·28
जनवरी	95·30	109·16	110·56	93·34	82·46	106·90	121·97	96·55
फरवरी	93·00	107·71	112·16	93·56	77·76	108·99	121·22	95.82
मार्च	95·50	106·11	115·80	–	69·96	105·45	124·16	–
अप्रैल	112·70	104·48	110·54	–	71·05	102·62	115·68	–
मई	115·20	106·98	110·66	–	72·45	108·01	117·45	–
जून	131·70	111·51	127·51	–	80·82	112·71	120·00	–
राज्य की आयात मूल्य	112·80	109·91	106·03	99·77	90·57	98·37	116·73	104·99
पिछले वर्ष से अगले वर्ष प्रतिशत कम (–) ज्यादा (+)		–2·56	–3·53	–5·90		8·61	13·65	–11·74

माह	अरहर 1975.76	76.77	77.78	78.79	मोठ 1975.76	76.77	77.78	78.79
जुलाई	137.03	118.65	227.12	301.83	196 50	92.04	142.90	186.50
अगस्त	134.85	114.15	235.75	297.17	186.80	87.75	143.04	188.25
सितम्बर	139.34	125.09	265.97	313.78	173.00	82.00	151.80	211.05
अक्टूबर	145.27	144.75	249.04	316.63	149.75	91.00	149.75	222.38
नवम्बर	153.63	163.63	275.53	280.16	151.50	94.25	162.75	236.87
दिसम्बर	136.25	162.00	237.83	285.00	113.00	99.80	181-40	215.00
जनवरी	125.55	186.22	—	—	93.20	118.47	159.50	223.8[illegible]
फरवरी	107.88	199.00	—	—	75.25	130.13	157.00	220.00
मार्च	91.20	193.89	248.75	—	73.75	130.25	161.50	—
अप्रेल	104.64	179.42	247.69	—	89.00	128.10	174.50	—
मई	98.80	209.06	273.25	—	86.25	142.50	180.00	—
जून	103.12	210.30	300.00	—	84.50	140.83	198.00	—
राज्य की आयत मूल्य	123.13	167.18	261.14	299.10	122.71	111.43	163.51	212.96
पिछले वर्ष के अगले वर्ष प्रतिशत कम (−) ज्यादा (+)		35.78	56·20	14.54		−9.19	46.73	30.24

माह	कपास 1975–76	76–77	77–78	1978–79
जुलाई	—	—	—	—
अगस्त	—	—	—	—
सितम्बर	—	—	—	—
अक्टूबर	210–83	360–02	352–58	312–43
नवम्बर	225–65	373–01	369–40	313–27
दिसम्बर	236–70	393–45	398–39	309–05
जनवरी	243–12	424–72	396–45	294–94
फरवरी	246–95	423–69	342–50	300–67
मार्च	239–85	446–77	305–05	—
अप्रेल	277–16	441–25	296–81	—
मई	—	—	—	—
जून	—	—	—	—
राज्य की आयत मूल्य पिछले वर्ष के अगले वर्ष प्रतिशत कम (–) ज्यादा (+)	240–75	406–80 68–97	350–17 –13–92	306–07 –12–59

परिशिष्ट सं.-23

(अतारांकित प्रश्न सं.74 की रिपोर्ट)

अजमेर जिले के भू-प्रबन्ध के सम्बन्ध में दिनांक 16-4-78 को राजस्व मण्डल भवन में प्रात: 11 बजे से 2 बजे तक समिति की बैठक में लिये गये निर्णय पर समिति की रिपोर्ट :—

1.जिलाधीश को भू-अभिलेख अधिकारी के नाते एक विज्ञप्ति जारी कर लोगों को यह बताए कि भू-अभिलेख कार्य को समाप्त करने का प्रस्ताव है। अत: जिस किसी को कोई आपत्ति करनी हो तो उक्त विज्ञप्ति के एक माह के अन्दर आपत्ति सम्बन्धित उप जिलाधीश के सम्मुख प्रस्तुत करदे । इस विज्ञप्ति का पर्याप्त प्रचार किया जाय और व्यापक प्रचार के लिये प्रतिलिपियां पंचायतों को और विकास अधिकारियों को भेजी जाय ।

2. जिलाधीश बकाया कार्य का लेखा-जोखा राजस्व विभाग को दे और बकाया कार्य को देखते हुए जिलाधीश की मांग पर उचित अनुभवी स्टाफ राजस्व विभाग दिलवाए ।

3. आवश्यक स्टाफ उपलब्ध हो जाने के 3 माह के अन्दर भू-अभिलेख का कार्य पूरा किया जाय और तब भू-अभिलेख का कार्य बन्द करने की विज्ञप्ति धारा 106 व 107 के अधीन जारी की जाये ।

परिशिष्ट सं.–24

(अतारांकित प्रश्न सं. 493 की सूची)

List of Proposals against the sanction for a list of UMAID HOSPITAL.

1. Providing Ward-robs in Nurses Hostal at New Teaching Hospital, Jodhpur.	Rs. 40,000/—
2. Construction of new operation theatre at M.G. Hospital, Jodhpur.	Rs. 40,000/—
3. Extension of garages for M.G. Hospital for Staff; Doctors etc.	Rs. 15,000/—
4. S/F of exhaust fans.	Rs. 10,000/—
5. Improvement of enterance area at M.G. Hospital.	Rs. 5,000/—
6. Miscellenious work at M.G. Hospital.	Rs. 27,000/—
7. Miscellenious work at Medical College.	Rs. 15,000/—
8. Miscellenious work at Umiaid Hospital.	Rs. 25,000/—
9. Repair of existinglift at Umaid Hospital.	Rs. 25,000/—
Total Rs.	2,02,000/—

परिशिष्ट सं.–25

(अतारांकित प्रश्न सं. 831 की सूची)

(सूची अ)

जिले एवं वर्ष वार स्वीकृत सड़कें

क्र० सं० जिले का नाम	वर्ष								
	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79
1. जयपुर	10	38	49	–	22	2	5	3	11
2. अजमेर	1	18	21	–	1	–	3	–	2
3. अलवर	13	36	56	–	2	–	6	–	7
4. भरतपुर	12	32	42	–	5	–	4	–	6
5. झुन्झुनूं	8	11	17	–	4	–	23	6	6
6. सीकर	4	15	18	–	9	–	5	5	5
7. उदयपुर	5	28	33	–	5	–	5	3	4
8. चितोड़गढ़	5	17	31	–	9	–	5	1	10
9. भीलवाड़ा	1	32	33	–	1	–	10	–	9
10. बांसवाड़ा	2	1	5	–	1	–	4	2	2
11. डूंगरपुर	1	2	7	–	2	–	4	–	3
12. कोटा	6	12	21	–	3	1	4	4	5
13. झालावाड़	2	8	12	–	1	–	8	1	4
14. टौंक	5	4	13	–	3	–	1	–	8
15. सवाई माधोपुर	10	22	32	–	5	–	3	2	6
16. नागौर	1	12	16	–	4	1	–	–	2
17. पाली	3	8	10	–	4	–	1	10	2
18. बाड़मेर	1	1	2	–	3	–	–	4	1

क्र. सं. जिले का नाम	वर्ष								
	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79
19. जैसलमेर	1	–	1	–	1	–	–	–	3
20, बीकानेर	1	7	7	–	3	–	5	–	5
21. चूरू	1	1	–	–	6	–	5	1	2
22. गंगानगर	4	22	31	–	2	–	1	3	4
23. जोधपुर	–	4	8	–	6	–	6	–	3
24. सिरोही	–	11	12	–	1	–	1	–	3
25. जालोर	–	6	5	–	3	–	–	–	2
26. बूंदी	–	4	7	–	5	–	2	–	3
	97	352	489	–	111	4	111	45	118

कुल सड़कें जो 1970 से 79 तक स्वीकृत हुई = 1327

(194)

सूची (ब)

फागी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1970 से 1979 तक स्वीकृत हुई सड़कें एवं उनकी प्रगति।

क्र०सं०	सड़क का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्य की स्थिति
1.	फागी चाकसू सड़क पर डामर कार्य	1972–73	कार्य पूर्ण हो गया।
2.	चोरु गांव में डामर का कार्य	1974–75	कार्य पूर्ण हो गया।
3.	फागी मालपुरा सड़क ..	1974–75	कार्य पूर्ण हो गया।
4.	हरसोलिया से पिपला अप्रोच रोड	1978–79	कार्य पूर्ण हो गया।
5.	अपग्रडिग आप मिसिंग लिंक सड़क चाकसू से फागी	1978–79	कार्य प्रगति पर हैं।